C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol.XV, Seventh Session, 2011/1932 (Saka)
No.17,Wednesday, March 16, 2011/ Phalguna 25, 1932(Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.281, 282 and 292, 283 to 287	2-52
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.288 to 291 and 293 to 300	53-82
Unstarred Question Nos.3221 to 3450	83-448

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

PAPERS LAID ON THE TABLE **449-462**

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN **462**
7th Report

STATEMENTS BY MINISTERS
(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Ministry of Overseas Indian Affairs 463
Shri Vayalar Ravi

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of Standing Committee on Railways on "Protection and Security of Railway Property and Passengers", pertaining to the Ministry of Railways 464
Shri K.H. Muniyappa

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd and 4th Reports of Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2009-10 and 2010-11, respectively), pertaining to the Ministry of External Affairs 465
Shrimati Preneet Kaur

MATTERS UNDER RULE 377 **477-494**

(i) Need to fix the Minimum Support Price for Paddy

Shri N.S.V. Chitthan 478

(ii) Need to expedite the enactment of the Bill for the protection of rights of the people afflicted with HIV/AIDS

Shri P.T. Thomas 479

(iii) Need to include the Kachhargarh cave having temple of Lingojango in district Gondia, Maharashtra as a tourist place of national importance and provide basic tourist facililties at the site.

Shri Marotrao Sainuji Kowase 480

(iv) Need to provide service roads in addition to the main roads in and around industrial units to curb the incidents or road accidents involving small vehicles

Shri P.L. Punia 481

(v) Need to extend the date for the submission of applications for the Merit cum Means Scholarship for the academic year 2010-2011 in Kerala

Shri Anto Antony 482

(vi) Need to ensure disbursement of loans to the deserving people through banks under centrally sponsored schemes in Kota and Bundi districts of Rajasthan

Shri Ijayaraj Singh 483

(vii) Need to set up a Regional Office of Central Board of Secondary Education at Thiruvananthapuram in Kerala.

Shri Kodikkunnil Suresh 484

(viii) Need to open a Kendriya Vidyalaya in Nawada, Bihar

Dr. Bhola Singh 485

(ix) Need to set up a bench of Jharkhand High Court in Santhal Pargana, Jharkhand

Shri Nishikant Dubey 486

(x) Need to provide adequate numbers of railway rakes under West Central Railway Zone for Transportation of wheat and fertilizers in Madhya Pradesh

Shri Rakesh Singh 487

(xi) Need to open a branch of Life Insurance Corporation of India in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar

Shrimati Rama Devi 488

(xii) Need to curb the increasing incidents of atrocities on women in Fatehpur Parliamentary Constituency, Uttar Pardesh

Shri Rakesh Sachan 489

(xiii) Need to take measures to make Hiuen Tsang Museum at Nalanda, Bihar a popular tourism destination

Shri Kaushalendra Kumar 490

(xiv) Need to strengthen the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme to reduce malnutrition among children

Shri Kalikesh Narayan Singh Deo 491

(xv) Need to give Tamil Nadu its due share of water from river Cauvery

Dr. P. Venugopal 492

(xvi) Need to expedite the construction of Road Over Bridge near IIT Kharagpur, West Bengal

Shri Prabodh Panda 493

(xvii) Need to convert the Bangaluru-Mysore-State Highway in Karnataka into six-lane National Highway

Shri N. Cheluvaraya Swamy 494

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)-2011-12 496-522

Ministry of External Affairs 496-514

Shri S.M. Krishna 521-522

Ministry of Mines 524-631

Shri Sanjay Nirupam 524-538

Shri Hansraj G. Ahir 540-550

Shri Satpal Maharaj 552-554

Shri Kaushalendra Kumar 555-556

Shri Shailendra Kumar 557-560

Shri P.L. Punia 561-563

Dr. Mahendrasinh P. Chauhan 564-567

Shrimati Jayshreeben Patel 568-571

Dr. Kirit Premjibhai Solanki 572-574

Shri Naranbhai Kachhadia 575

Shri Vijay Bahadur Singh 576-579

Shri Maheshwar Hazari 580-582

Sk. Saidul Haque 583-587

Shri R. Thamaraiselvan 588-591

Shri Kalikesh Narayan Singh Deo 592-596

Shri Ganesh Singh 597-598

Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar 599-601

Dr. Prasanna Kumar Patasani 602-603

Shrimati Jyoti Dhurve 604-605

Shri S.S. Ramasubbu 606-608

Dr. Sanjeev Ganesh Naik	609-610
Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure	611-617
Shri Shripad Yesso Naik	618
Kumari Meenakshi Natarajan	619-623
Shri Arjun Ram Meghwal	624-626
Shri Jagdambika Pal	628-629
Shri A.T. Nana Patil	630-631

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	656
Member-wise Index to Unstarred Questions	657-661

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	662
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	663

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, March 16, 2011/ Phalguna 25, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Question Hour. Question 281, Dr. Kirodi Lal Meena.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। आपको ज़ीरो ऑवर में बोलने का मौका देंगे।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Kindly raise it in the 'Zero Hour'. I will give you a chance in the 'Zero Hour'. Devegowdaji, kindly raise it in the 'Zero Hour'.

अध्यक्ष महोदया : आप लोग ज़ीरो ऑवर में यह विषय उठा लीजिएगा। आप रोज़ क्यों खड़े हो जाते हैं?

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्नकाल चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। इस तरह से रोज़ मत कीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Question 281, Dr. Kirodi Lal Meena.

(Q. No.281)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदया, इल्लीगल रूटिंग के इस गोरखधंधे में गत तीन वर्षों में...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल किरोड़ी लाल मीणा जी की बात रिकार्ड में जाएगी और कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदया, इल्लीगल रूटिंग के इस गोरखधंधे में गत तीन वर्षों में कौन-कौन सी फर्म या कम्पनियां लिप्त पायी गईं तथा उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I will give you time in the 'Zero Hour'. Devegowdaji, you will get time in the 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

श्री सचिन पायलट : माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स में घोटाले के बारे में है, लेकिन प्रश्न केवल बीएसएनएल और एमटीएनएल के संदर्भ में पूछा गया था और हमने जवाब में स्पष्ट रूप में कहा है कि पिछले तीन सालों में बीएसएनएल की लाइन्स को मिसयूज़ करने वाले जो सात केस सामने आए थे, उन पर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की गई है और जो भी कम्पनी या व्यक्ति इसमें लिप्त थे, उन पर लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज़ अपना काम कर रही हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इल्लीगल कॉल्स में कम दरों पर सप्लाई करने का जो धंधा था, उसमें लगातार गिरावट इसलिए आयी है, क्योंकि वर्ष 2003 में इंटरनेशनल कॉल्स का लैंडिग चार्ज साढ़े पांच रूपए था और लोकल कॉल का पचास पैसे था। अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स की दरें लगातार सस्ती होती गईं और आज बीस पैसे एसटीडी का है और 40 पैसे इंटरनेशनल कॉल का है। अब इसमें बहुत कम अंतर है और लोगों के लिए इसको मिसयूज़ करने का बहुत स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मंत्रालय के 34 टर्म सेल्स पूरे देश भर में निगरानी बनाए हुए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति या कम्पनी मिसयूज़ करता है, तो हमारा मंत्रालय उन सर्विस ऑपरेटर्स के साथ कॉपरेट करके उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन फर्मों या कम्पनियों के खिलाफ आईपीसी के तहत कोई मुकदमा दर्ज हुआ है?

---

* Not recorded.

श्री सचिन पायलट : अध्यक्ष महोदया, इण्डियन पीनल कोड,1860 के सैक्शन 120बी, 379 और 420 के तहत हमारे बीएसएनएल के कर्मचारियों पर मुकदमा दायर है और कार्रवाई की जा रही है।

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : अध्यक्ष महोदया, बीएसएनएल, एमटीएनएल और निजी मोबाइल कम्पनियों के नेटवर्क की प्राब्लम रहती है, जिसकी वजह से बीच में ही कॉल कट होने के कारण उपभोक्ताओं के पैसे कट जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेटवर्क बीच में ही न कटे और उपभोक्ताओं के पैसे न कटें, क्या इसके लिए कोई प्रावधान किए गए हैं?

श्री सचिन पायलट: मैडम, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, वह कंजेशन से संबंधित है। कॉल ड्राप्स अक्सर नेटवर्क में हो जाती है, इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ट्रॉई एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेस को मेन्टेन करती है। सारे ऑपरेटर्स, बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों ऑपरेटर्स की भी उस पैरामीटर को बनाए रखने में जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देशभर में लगभग 75 करोड़ मोबाइल के उपभोक्ता हैं। हर महीने लगभग डेढ़-पौने दो करोड़ नये उपभोक्ता हम लोग जोड़ रहे हैं, इसलिए ट्रेफिक वोल्यूम्स बहुत बढ़े हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि भारत में जो भी नागरिक इस सर्विसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनको सबसे सस्ती दरों पर, अच्छी क्वालिटी की सर्विस हम लोग दें। इसकी जिम्मेदारी हम लोग ऑपरेटर्स पर डालते हैं। अगर कहीं ऐसी कम्प्लेंट आती है तो ट्राई के माध्यम से हम उस पर कार्यवाही भी करते हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मैं यहां से बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी कुर्सी पर अपने स्थान पर जाइए और वहां से प्रश्न पूछिए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इसके पहले भी मैंने इस बात को सदन में उठाया था। पूरे देश में, विशेष रूप से पूर्वांचल में हम लोग जब क्षेत्र एवं गांवों में जाते हैं, मैं भदोही संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां बीएसएनएल नहीं लगता। ...(व्यवधान) वहां छ: बजे से आठ बजे सांयकाल तक पिक ऑवर बताया जाता है, उसमें तो लगता ही नहीं। उसमें से टीं की आवाज आती है और उपभोक्ता का पैसा कट जाता है। उसमें बताया जाता है कि रूट बिज़ी है। एक तरफ सारी कम्पनियां अपने उपभोक्ता बढ़ाने के लिए तमाम स्कीम्स निकालती हैं और दूसरी तरफ बीएसएनएल में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसके उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यह समस्या आ रही है। उपभोक्ता बढ़ना तो देश और इस विभाग के लिए अच्छी बात है। क्या इस व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरे देश के साथ-साथ पूर्वांचल, विशेष रूप से भदोही संसदीय क्षेत्र , जहां से मैं चुन कर आता हूं, वहां

सांयकाल में, पिक ऑवर में और अन्य समय में बीएसएनएल के लगने और बिना बात किए जो पैसे कट जाते हैं, क्या उसकी व्यवस्था सुधारने का भी कोई उपाय माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री सचिन पायलट: मैडम, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह सवाल अंतरराष्ट्रीय कॉल्स में जो गड़बड़ी पाई जाती है, उससे संबंधित है, लेकिन मैं माननीय सदस्य के सवाल को बहुत गंभीरत से लेता हूं। जिस प्रदेश के जिस हिस्से से माननीय सदस्य चुन कर आते हैं, वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि बीएसएनएल की जो सर्विसेस हैं, उन्हें और उम्दा बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। मैं यह बात भी बताना चाहता हूं कि देश भर में जो साढ़े छ: लाख गांव हैं, वहां पर दूरदराज के इलाकों में प्राइवेट कम्पनियां मुनाफा न होने की वजह से कभी-कभी जाने में संकोच करती हैं। वहां हमारी कोशिश रहती है कि बीएसएनएल के टावर को हम लोग लेकर जाएं। माननीय सदस्य ने जो कॉल्स की बात की है, अब ऐसी टैक्नोलॉजी आ गई है कि पर-सैकिंड पर बिलिंग होती है, उपभोक्ता जितने सैकिंड बात करता है, उसकी उतनी ही बिलिंग होती है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जहां तक नेटवर्क की बात है, जो मोबाइल टावर्स हैं, उन्हें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। हमारे सामने यह भी कठिनाई आती है कि कभी-कभी प्रदेशों में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर हम लोग जेनरेटर लगवाते हैं और वे जेनरेटर डीजल से चलते हैं। हमारी कोशिश यह रहेगी कि आने वाले समय में बीएसएनएल की सर्विस को हम लोग और बेहतर करें।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I am clubbing Q.No. 282 with Q.No.292.

Shrimati Deepa Dasmunsi.

(Q. Nos. 282 and 292)

SHRIMATI DEEPA DASMUNSI : Madam, through you, I want to ask this to the hon. Minister. The private agencies have been entrusted the work of exploration and extraction of coal reserves. In our State, we are seeing in Sansul area that there is a huge quantity of coal lying on the roadside near the railway station. It is a heap of coal which is being looted day by day. It has been patronized by the local leaders of CPI(M) and the Left Front Government is doing nothing against it. … (*Interruptions*) Madam, this is absolutely right. … (*Interruptions*) It has appeared in the newspapers and all other media. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Ask your question.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: She is asking the question. Let her ask it.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI DEEPA DASMUNSI: Madam, I am again saying that it has been patronized. It has come in the newspapers and the media so many times. On the one side, there are insufficient rakes and on the other side, looting has been going on. In the naxalites-hit area, on the one side, there is exploration and on the other side, there is exploitation. … (*Interruptions*)

In the naxalite-hit areas of the States like West Bengal, Jharkhand and Orissa, the private agencies, the operators are learnt to be exploiting the locals, especially the tribals. My question is whether the Government is taking any action to prevent this situation and how far the terms and conditions prove beneficial for the country.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्या ने जो चिन्ता जताई है वह चिन्ता हमारे देश के कुछ प्रान्तों में है, इसमें कोई शक नहीं है, फिर चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह झारखंड हो, चाहे वह उड़ीसा हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो। हमारी कोल प्रॉपर्टीज भी ज्यादातर इन्हीं चारों-पांचों स्टेट में हैं। इसलिए हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि हम लोग इन समस्याओं का समाधान राज्य से मिलकर करें। मैं भी जिन प्रान्तों के दौरे पर गया, वहां के चीफ मिनिस्टर से जरूर मिला। पश्चिम बंगाल गया, वहां के

चीफ मिनिस्टर से मिला। झारखंड गया, वहां के उस समय के गवर्नर से मिला। बाद में चीफ मिनिस्टर से मिला। मेरी भी कोशिश यही रहती है कि इस तरीके की जो चोरियां हो रही हैं, उन्हें हम रोकने में कामयाब हों, क्योंकि आज के वक्त में कोयला, हमारे देश की ही नहीं, बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गया है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है और उस प्रयास में आंशिक सफलता भी मिलती है, कभी सी.बी.आई. रेड डालती है, लेकिन राज्य सरकारों से मेरा खासतौर से अनुरोध है चूंकि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य का विषय है, पुलिस पूरी तरह से राज्य का विषय है इसलिए अगर राज्य सरकारों का और अधिक सहयोग हमारे मंत्रालय को प्राप्त हो, कोल इंडिया को प्राप्त हो, तो शायद इस समस्या से निपटने में ज्यादा कामयाब होंगे।

SHRIMATI DEEPA DASMUNSI : Madam, I want to ask through you that Coal India has stopped giving coal linkages to new industries. What the hon. Minister has answered is that the only solution is to import. Now, large industries can take recourse to import coal, but what about the small industries? Obviously, they have to forcefully depend upon the illegally mined coal. This is perhaps the main reason why the illegal mining is flourishing.

What steps are being taken by the Government to meet this demand and to ensure easy availability of coal to all industries and for domestic use?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्षा जी, 90 परसेंट कोयला इंडीजीनस होता है और अपने देश की 90 प्रतिशत आपूर्ति हम इंडीजीनस कोल से ही करते हैं, लेकिन जैसा माननीय सदस्या भी जानती होंगी और पूरा हाउस जानता होगा कि हमारे पास, हमारे देश में, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का कोल नहीं है। खासतौर से स्पोंज आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट की इंडस्ट्री में बहुत हाई क्वालिटी के कोल की आवश्यकता होती है। इसलिए इन इंडस्ट्रीज को जीवित रखने के लिए इम्पोर्टेड कोल की आवश्यकता तो बनी ही रहेगी, लेकिन फिर भी हमारे यहां, हमारे देश में कोल इंडिया के माध्यम से, सिंगरैनी कंपनी के माध्यम से हम देश की 85 से 90 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति करते हैं।

महोदया, जहां तक हमारी माननीय सदस्या ने यह कहा है कि हमने लिंकेज बन्द कर दिया है, लिंकेज बन्द नहीं हुआ है। इस साल भी लिंकेज दिया गया है। इसके अलावा दो और तरीके हैं- ई-ऑक्शन और स्पॉट ऑक्शन। इन दोनों तरीकों से भी जो छोटे उपभोक्ता हैं, उन्हें कोयले की आपूर्ति की जाती है। इसलिए यह कहना कि लिंकेज बन्द कर देने से छोटे उपभोक्ताओं को दिक्कत आएगी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के कारण किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हां, यह

जरूर है कि हमारे देश को कोल की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, क्योंकि बेहतरीन क्वालिटी का कोल हमारे देश में पैदा नहीं होता है। उसके लिए हमें इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा।

श्री नारनभाई कछाड़िया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन-जिन एजेंसियों के नाम आपने प्रश्न के उत्तर में दिए हैं, उनमें से कितनी एजेंसियों के कार्यक्रम ठीक हैं और कितनी एजेंसियों के कार्यक्रम ठीक नहीं हैं और जिन एजेंसियों के कार्यक्रम ठीक नहीं हैं, उनके विरुद्ध आपने क्या कदम उठाए हैं और उनके नाम क्या हैं और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो वह बताएं?

अध्यक्ष महोदया : आप एक बार में कितने प्रश्न पूछेंगे? आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री नारनभाई कछाड़िया : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोयले की कंपनियों और निजी ब्लॉक धारकों के माध्यम से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कदम कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं उनसे हमारे देश में कोयले का कितना उत्पादन बढ़ा है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, हमने अपने देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। हमने जो 208 कोल ब्लॉक दिए हैं, उनमें से पब्लिक सैक्टर को भी दिए हैं और प्राइवेट सैक्टर को भी दिए गए हैं। प्राइवेट सैक्टर को कोल ब्लॉक देने की हमारे मंत्रालय की मंशा यह थी कि जहां एक ओर हमारे पब्लिक सैक्टर की पी.एस.यूज. कोल इंडिया है, सिंगरैनी है, ये कोयले का उत्पादन करें और उसके साथ-साथ पब्लिक सैक्टर के लोग भी एंड यूज प्लांट के लिए कोयले का उत्पादन करें जिससे ज्यादा से ज्यादा कोल हम अपने देश की धरती से एक्सट्रैक्ट कर सकें।

महोदया, जो 208 कोल ब्लॉक दिए गए हैं, उनमें से केवल 26 कोल ब्लॉक्स में अभी तक उत्पादन शुरू हो पाया है और ज्यादातर कोल ब्लॉक में उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनमें प्रमुख एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस है, फॉरैस्ट की क्लीयरेंस का कारण है, बहुत सारी स्टेट में लॉ-एं-डंड-ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं है। इस वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। कई स्टेट में नक्सल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। फिर भी हमने जिन-जिन को कोल ब्लॉक दिए हैं और जिन्होंने एक पीरियड के बाद, अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, उन्हें हमने शो-कॉज नोटिसेस भी दिए हैं, एडवायजरीज भी जारी की हैं और हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन उन कंपनियों के माध्यम से कर सकें, लेकिन अगर कोई प्राइवेट सैक्टर की कंपनी या पब्लिक सैक्टर की कंपनी जानबूझ कर कोयले का उत्पादन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त

कार्रवाई करेंगे। 10 कोल ब्लॉकों को हमने रद्द भी किया है। आने वाले समय में यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो जो आबंटन हुए हैं, उनमें से ऐसे कोल ब्लॉक होल्डरों का आबंटन हम रद्द भी करेंगे।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बताया कि कोल माइंस प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में दिए गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले प्राइवेट सैक्टर को जो कोल ब्लॉक दिया गया है, उसकी तिथि कौन सी थी और जो आजकल दिया है, उसकी तिथि कौन सी है और तब से लेकर आज तक वह वैसे ही बिना उत्पादन के खाली पड़ा हुआ है, उसका क्या कारण है और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्षा जी, पिछले दो वर्षों में कोई भी कोल ब्लॉक आबंटित नहीं किया गया है। जितने भी कोल ब्लॉकों का आबंटन किया गया था, वह इससे पहले किया गया है। जैसा मैंने पहले बताया कि जिन लोगों ने जानबूझ कर कोयले का उत्पादन कोल ब्लॉकों के माध्यम से शुरू नहीं किया है, उन्हें एडवायजरीज जारी की गई हैं और उनमें से जिनके जवाब संतोष जनक नहीं पाए गए हैं, उनमें से 10 कोल ब्लॉक्स को तो हमने रद्द किया है। बाकी और कोल ब्लॉक्स को रद्द करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उन्हें रद्द करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और पैनल्टी लगाने की यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो हम वह भी लगाएंगे।

अध्यक्ष महोदया : श्री अनन्त कुमार हेगड़े जी, हम आपको दूसरा प्रश्न पूछने की विशेष अनुमति दे रहे हैं।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : मंत्री जी का उत्तर बिलकुल जनरल लगता है। शायद सही ढंग से उत्तर देना नहीं चाहते हैं या कोई और बात है। मेरा सवाल यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड कोल का उत्पादन करती है, लेकिन साथ ही साथ आजकल इम्पोर्ट भी करती आई है। अगर कोल इंडिया कोल का इम्पोर्ट करता है, तो कितनी मात्रा में कोल का इम्पोर्ट करती है? मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का जो उत्तर दिया है उसके अनुसार मुझे लगता है कि कोल इंडिया की कार्य-क्षमता घटती गई है और पिछले कई सालों से कोल की मात्रा भी घटती आई है। टारगेट अलग था और एचीवमेंट अलग था। एचीवमेंट और टारगेट के बीच में बहुत बड़ा फर्क था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोल इंडिया लिमिटेड आने वाले दिनों में धीरे-धीरे अपना उत्पादन घटा कर के, ज्यादा इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रही है या विचार कर रही है और अगर कर रही है, तो उसका क्या ब्यौरा है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, शायद माननीय सदस्य ने बहुत ज्यादा ध्यान हमारे रिप्लाई पर नहीं दिया है। पिछले 10 वर्षों में निरन्तर कोल इंडिया के प्रोडक्शन में 6 से 7 परसेंट तक वृद्धि होती चली आ रही है। पिछले साल भी 6.7 परसेंट की कोल इंडिया के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। जहां तक कोल

इंडिया के द्वारा कोयला इम्पोर्ट करने की बात है तो आज तक कोल इंडिया ने एक किलो कोयला भी इम्पोर्ट नहीं किया है। कोयले को हमारी सरकार ने ओ.जी.एल. में रख दिया है। ओ.जी.एल. का मतलब यह है कि कोई भी प्राइवेट कम्पनी, कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर चाहे तो कोल का इम्पोर्ट कर सकता है और देश की आवश्यकता की आपूर्ति कर सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य हमारे इस जवाब से पूरी तरह सैटिसफाइड होंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब तीसरा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। श्री जगदीश शर्मा जी।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: आप बैठ जाइये। Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

MADAM SPEAKER: It is not going on record. जगदीश शर्मा जी, आप प्रश्न पूछिये।

(Interruptions) ... *

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जवाब में मंत्री महोदय ने लिखा है कि कोयले के उत्पादन में प्रतिवर्ष 6 परसेंट, 7 परसेंट, 8 परसेंट की बढ़ोत्तरी कर रहे हैं, यह अच्छी बात है कि ये बढ़ोत्तरी करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनसे जानना चाहता हूं कि जब झारखण्ड और बिहार बंटा तो सारी कोयला खदानें झारखण्ड में चली गईं। बिहार में ऊर्जा संकट है और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बिहार सरकार ने थर्मल पावर प्लाण्ट लगाने का प्रस्ताव किया और उसमें बिहार सरकार ने भारत सरकार से तीन वर्ष पहले, खासकर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वे भी यहां पर आकर मिले और कोल लिंकेज की बात की, ताकि हमको जब कोल लिंकेज मिलेगा तो हम बिहार में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करेंगे और जो बिहार ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, उसको हम दूर कर सकेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार ने बिहार में कोल लिंकेज का प्रस्ताव दिया तो उसको अब तक लम्बित रखने का और नहीं देने का क्या कारण है और अगर आप नहीं देते हैं तो उसके भी क्या कारण हैं, यह हम जानना चाहते हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्षा जी, बिहार प्रान्त में जितने ऊर्जा के प्लांट लगे हुए हैं, उनको कोल लिंकेज के माध्यम से ही आपूर्ति की जाती है और मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि उन पावर प्लाण्ट्स को लगभग 95 परसेंट कोयले की आपूर्ति हम कोल इंडिया के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा बिहार प्रान्त को दो कोल ब्लॉक भी दिये गये हैं, लेकिन उनमें अभी तक कोई उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

---

[*] Not recorded.

श्री जगदीश शर्मा : हम नया पावर प्लांट स्थापित करने के लिए कोल लिंकेज की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: बिहार में जो पावर प्लांट लगे हुए हैं, उनको कोल लिंकेज बाकायदा दिया जाता है। वहां कोयले की कोई कमी नहीं है। बिहार प्रान्त को दो कोल ब्लॉक्स सरप्लस दिये गये हैं, ताकि वे कोयले का उत्पादन करें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आप उनको बोलने दीजिए। बसुदेव आचार्य जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

11.24 hrs.

At this stage Shri Jagdish Sharma and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

11.25 hrs.

At this stage Shri Jagdish Sharma and some other hon. Members went back to their seats

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय खड़े हो गए हैं अब आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : पहले शरद यादव जी कुछ कहना चाहते हैं तो वह अपनी बात कह लें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[*] Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आपको कुछ कहना है तो बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैं कहना चाहता हूँ लेकिन अगर शरद यादव जी कुछ कहना चाहते हैं तो वह अपनी बात कहें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने उत्तर दे दिया है आप बैठ जाएं, बार-बार उसी बात को उठा रहे हैं।

श्री शरद यादव : अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जो लोगों का रंज और अफसोस है, उसका कारण यह है कि कोल-लिंकेज और ब्लॉक में जमीन-आसमान का अंतर है। आपने कोल-लिंकेज के जो पुराने प्लांट हैं और जो नए बनने वाले प्लॉन्ट हैं, पुराने प्लॉन्ट के लिए कोल-लिंकेज है और जब बिहार का विभाजन हो गया तो उसकी कमर टूट गई। बिहार के हिस्से में ज़ीरो पॉवर आई। इसलिए वहां बड़े पैमाने पर जरूरत है कि उद्योग लगें और बिजली का उत्पादन हो। कोल लिंकेज और ब्लॉक में जमीन-आसमान का अंतर है। ब्लॉक का मतलब है कि जो पर्यावरण है, उसको साफ करना है, अलग करना है, तब कहीं वह मिलेगा। जो मैम्बर पूछ रहे हैं, वह कोल लिंकेज आप नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान) इसलिए जो नए प्लॉन्ट बनने वाले हैं, उनके लिए कोल-लिंकेज देने चाहिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ...[*]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री, आप बोलिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार के जितने पुराने पॉवर-प्लॉन्ट हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : बिहार प्रान्त में पिछले एक साल के अंदर दूसरे पॉवर-प्लॉन्ट के लिए भी कोल-लिंकेज की रिक्वैस्ट आई है। कोल-लिंकेज का एक सिस्टम है। जब तक पॉवर मिनिस्ट्री हमको रिकमेंड करके भेजती नहीं है कि इनका पॉवर-प्लॉन्ट तैयार हो चुका है और इनको कोल-लिंकेज दिया जाए, तब तक कोल-मिनिस्ट्री उस पर विचार नहीं कर सकती। एसएनसी की मीटिंग भी अभी नहीं हुई है। मैं जानता हूँ कि बिहार एक पिछड़ा हुआ सूबा है। बिहार को उत्पादन की, पॉवर और कोयले की आवश्यकता है।

---

[*] Not recorded.

झारखण्ड के अलग हो जाने के बाद वास्तव में बिहार की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर की रेकमेन्डेशन आएगी, हम एसएनसी की मीटिंग करा करके बिहार में जो नए पॉवर-प्लॉन्ट तैयार हो रहे हैं, अगर उनका स्टेटस सही है तो हम उन्हें लिंकेज देने का प्रयास करेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री बसुदेव आचार्य।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam Speaker, We have 200 billion tonnes of proven deposits of coal in our country. The problem with the Coal India Limited as well as the Government of India is that enough investment is not being made for augmenting the production of coal, as a result, the gap is widening year after year. The target for the 11th Five-Year Plan is 696.03 million tonnes. As regards non-coking coal, we have 100 per cent availability of non-coking coal in the country. We only have to import it for the steel plants only. For power and cement plants we have our reserves. But enough investment is not being made for new projects and for augmenting the production of coal.

Coal of the best quality is available in the Eastern Coalfields Limited. But the revival of Eastern Coalfields Limited is pending with the Government for years together. May I know from the Minister what measures Government is proposing to take to revive the Eastern Coalfields Limited, where best quality of coal is available whose calorific value is more than that of any of the coal available in other parts of the country, in order to augment the production and in order to bridge the gap? The gap will be further widened unless production is augmented, unless sufficient investment is made by the public sector coal companies. I am not talking of private sector. What is the Government planning to do in the 12th Five-Year Plan well in advance to augment the production of coal so that we need not depend on imports and bridge the widening gap?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर सदन और हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जहां तक ईसीएल की बात है, ईसीएल के रिवाइवल के लिए जिस तरीके का पैकेज कोल इंडिया ने दिया है, आज उसी का परिणाम है कि बीस वर्षों के बाद ईसीएल प्राफिट में आ गया है। यह कहना उचित नहीं है कि ईसीएल के लिए सरकार सतर्क नहीं है और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जहां तक ...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA: How much fund have you provided for ECL?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मुझे पूरा जवाब कहने दीजिए। जहां तक माननीय सदस्य की यह चिंता है कि डिमांड और प्रोडक्शन का गैप बढ़ता जा रहा है, तो इस सच्चाई को हमें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जितनी तेजी के साथ औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी के साथ पॉवर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जितनी तेजी के साथ पॉवर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उतनी तेजी के साथ हम कोयले को एक्सट्रैक्ट करने में सफल नहीं हो सके हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का जंगल नष्ट न हो, हम चाहते हैं कि हमारे देश का एन्वायर्नमेंट खराब न हो। दूसरा कारण यह है कि बहुत सारे सूबों में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। आए-दिन हड़तालें होती हैं, आए-दिन अधिकारी अगवा कर लिए जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, जिनकी वजह से हमारा जितना औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, उस रेश्यो में हम कोयले का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आपको एप्रीशिएट करना पड़ेगा कि सात से आठ पर्सेंट तक कोल इंडिया का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश की ग्रोथ उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ रही है। ...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA: It should be more than GDP. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय आचार्य जी, हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में हम देश की औद्योगिक ग्रोथ की तुलना में अपने देश का कोयले का उत्पादन भी बढ़ायें। ...(व्यवधान)

(Q. No. 283)

श्री हंसराज गं. अहीर : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि हम बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। हम करीब-करीब चालीस हजार करोड़ से ज्यादा विदेशी उपस्करों का आयात करते हैं। हम देश में केवल वायर लाइन टेलीकॉम उपकरणों का निर्माण करते हैं, जबकि कार्डलेस टेलीकॉम उपस्करों का आयात करते हैं। स्टेक होल्डर्स ने ट्राई को सूचना दी है कि स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण अधिक करके उसकी आपूर्ति करने की जिम्मेदारी लें। अनुसंधान केंद्र और बौद्धिक संपदा की सुविधा उपलब्ध कराने की उन्होंने मांग की है। चीन से जो आयात किए हुए उपस्कर आते हैं, इसमें हिडेनबग होने की कई बार अखबारों से सूचना मिली है।

क्या सरकार चीन से आयातित उपस्करों की जांच कर रही है? देश में जो आयात किया जा रहा है, उस आयात को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री हंसराज गं. अहीर : मैडम, साथ ही मंत्री जी ने कहा है कि हम कुछ निर्माण भी करते हैं, उत्पादन भी करते हैं, तो क्या हम उसमें से कुछ वस्तुएं निर्यात भी करते हैं?

SHRI SACHIN PILOT : Madam, the telecom industry has grown exponentially in the last one decade and in that space, the mobile usage by consumers, subscribers and operators has also increased hugely. To meet with the demand of the consumers, the mobile service providers are importing telecom equipment and as there is indigenous production of the telecom equipment right here in India. The total demand including import and indigenous is about Rs.95,000 crore, that is the bulk and size of the telecom equipment that is being manufactured or imported.

The point raised by the hon. Member is whether we are going to promote indigenous manufacturing. Here, I wish to inform the House, through you, that the TRAI had issued a Consultation Paper on 20th December, 2010, which says - How do we encourage telecom equipment manufacturing in India? It is our belief that once we formulate the new Telecom Policy, 2011, there, broadly we would make sure that there is a policy created which will encourage preferential access to manufacture of Indian goods because we believe that India has all the talent pool available, all the resources, all the raw materials available and there is no reason

why we will not able to compete with the global manufacturers to fulfil the demands here in India. But it is also a fact that the import of telecom equipment is happening.

The other point which the hon. Member raised is regarding the security issue. I want to inform the House, through you, that in consultation with the Home Ministry, we have taken stringent steps to ensure that no malware is imported into India and there are two ways of importing equipments. So, we are doing case by case study of all telecom equipment that is imported into the country. We are very alive to the challenge that no threat to our security is posed through the import of telecom equipment and we are taking every step, not just about the equipment that is imported from China but from all across the world. It is far too important an issue to be left unnoticed and the Home Ministry and the DoT are fully alive to the challenge.

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदया, देश में मोबाइल यूज करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनेक जगहों पर करीब ढाई लाख से ज्यादा टॉवर लग चुके हैं। इसमें ऊर्जा की खपत होती है। इसमें डीजल और ऑयल का यूज हो रहा है। इसे देखते हुए, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी ने एक अध्ययन में बताया है कि इस क्षेत्र में भारी पैमाने पर करीब-करीब पचास लाख टन कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? क्या सरकार इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के माध्यम से इन टॉवरों के लिए ऊर्जा निर्मित करने के बारे में कुछ विचार कर रही है और क्या सरकार इको-फ्रैंडली टेक्नॉलाजी के बारे में कुछ सोच रही है?

श्री सचिन पायलट : मैडम, मैं माननीय सदस्य का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज सदन में उठाया है। देश भर में लगभग साढ़े पांच लाख मोबाइल के टावर्स अब तक स्थापित हो चुके हैं और हमें लगता है कि जिस प्रकार दूरसंचार की क्रांति अब ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में फैल रही है, उसका और भी विस्तार होना चाहिए। दूरसंचार केवल बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित रहे, यह हमें गवारा नहीं है। इसके साथ-साथ जो चुनौतियां हमारे सामने आती है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जहां बिजली की पूर्ति नहीं होती, वहां मोबाइल टावर्स को चालू करने के लिए लाखों लीटर डीजल हम प्रतिवर्ष जलाते हैं। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के टॉवर्स को सोलराइज्ड कर सकें। सौर ऊर्जा या जो वैकल्पिक ऊर्जा है, उसका उपयोग करने से न

सिर्फ प्रदूषण में कमी होगी, बल्कि हमें लगता है कि जो मोबाइल आपरेटर्स हैं, वह कार्बन क्रेडिट का भी फायदा उठा सकते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए, डीजल की खपत को बचाने के लिए और जो फारेन एक्सचेंज हम डीजल पर जाया करते हैं, उन सबको बचाने के लिए हम चाहते हैं कि एक क्रमवार तरीके से सारे मोबाइल टावर्स को सौर ऊर्जा से चलायें। जिन प्रदेशों में यह संभव है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय और मिनिस्ट्री आफ रिन्यूबल एनर्जी मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : श्री अब्दुल रहमान : उपस्थित नहीं।

SHRI ANANDRAO ADSUL : Madam, part (b) of the Question says, 'whether the Telecom Regulatory Authority of India has sought the views of various stakeholders for promoting manufacture and research and development of telecom equipment'. I would like to know from the hon. Minister whether recommendation of TRAI is taken into consideration or whether TRAI has got power to act on its own views. I am saying this because the CAG Reports says that while issuing the 2G spectrum licenses, views of TRAI were not taken into consideration. Therefore, I would like to know whether TRAI has got some authority or not.

SHRI SACHIN PILOT: Madam, the question raised by the hon. Member relates to the purview and the scope of the regulator. The Telecom Regulatory Authority of India is a regulator for telecom industry, the nodal Ministry is the Department of Telecommunications. But as far as the Consultation Paper issued by the Telecom Authority of India is concerned, it is a routine process where they solicit views of all stakeholders. If I can draw attention of the hon. Member, through you, of the particular question that has been put, TRAI has asked for views of all stakeholders. There are 200 pages of document that has come forward for indigenous manufacturing. When TRAI releases its Consultation Paper, it takes into consideration the views of all stakeholders and recommends to DoT but the final decision taking authority is with the Government and the Department. TRAI is a regulator and it gives its recommendations.

(Q. No. 284)

श्री विजय बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि बीस करोड़ रुपये का आबंटन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया जिसका टेलीविजन पर बड़ा प्रचार हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसका भी आकलन है कि इस सर्व शिक्षा अभियान से एक्चुअली शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या नहीं? इसके साथ गांव में जो मिड डे मील की योजना है, तो ये बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं या उनको रसोइया बनाने का अभियान चल रहा है? क्या मिड डे मील की गुणवत्ता के आकलन का कोई विचार है कि इसे बंद कर के शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Madam, there have been various surveys conducted on the outcome of Sarva Shiksha Abhiyan. Right to Education was notified on the 1st of April, 2010. The State Governments are required to put in place certain parameters to initiate the Right to Education. However, under various surveys that have been conducted, the outcomes have been pretty encouraging. There is a drop in the number of children who are out of school. The enrolment has improved, more particularly in the Scheduled Caste, Schedule Tribe and the minority children. There is a reduction in the drop out rate. With regard to the targets that have been set to be achieved under the Sarva Shiksha Abhiyan, which is the vehicle for the Right to Education, there is a great improvement. So, there is a great improvement in all these parameters.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : I would like to know whether attendance is the only criteria to judge the success of a scheme. Is it not a fact that attendance on a Mid Day Meal is artificially inflated and the difference is misappropriated? Does the Minister or the Government have any thinking that this monitoring with regard to standard of food and standard of education be given to the representatives of the people, like the Members of Parliament so that if there is any misappropriation they can bring it to the notice of the Government?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Madam, for monitoring of the Sarva Shiksha Abhiyan there is a provision made in the expenditure itself and the State Governments can use six per cent of the complete allocation that is made for Sarva Shiksha Abhiyan for monitoring and management of the Programme.

Therefore, the State Governments are given the responsibility to monitor the implementation of the Sarva-Shiksha Abhiyan. However, we, from MHRD, do conduct joint review meetings; we conduct half-yearly meetings; and we do have social science institutes which actually look into whether the Sarva-Shiksha Abhiyan is being implemented to the fullest potential or not.

With reference to the Mid-Day Meal Scheme, the State Governments are responsible to ensure that the number of children who are actually availing the Mid-Day Meal Scheme are not inflated. As I have mentioned earlier, we do have review meetings with the State Governments to ensure that they implement the Scheme properly.

श्री अर्जुन राय : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो जवाब ले किया है, वह आधा है। प्रश्न यह था कि अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों से कितनी राशि की डिमांड हुई और इन्होंने कितनी आपूर्ति की। इन्होंने आपूर्ति की चर्चा कर दी लेकिन डिमांड की चर्चा नहीं की। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को देश में लागू करने से पूर्व सर्वेक्षण के माध्यम से कोई जानकारी हासिल की है कि उपयुक्त अधिनियम लागू होने पर देश के प्रत्येक राज्य में कितने अतिरिक्त बालकों को विद्यालय में दाखिला देना अनिवार्य होगा? सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों में इसके लिए कितने बालकों को दाखिला देने की क्षमता होगी? शेष बचे हुए बालकों के दाखिले के संबंध में सरकार ने क्या विचार किया है?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Madam, as I have mentioned in my answer to the previous question, Sarva-Shiksha Abhiyan is the vehicle for implementation of Right to Education. The number of children out of school has come down considerably. As per Census 2001, we had around two crore children who were out of school. The National Sample Survey Organisation conducted a Survey in 2005, reveal that we had around 1.34 crore children who were out of school. As

per the second Survey that was conducted as early as 2009, we had 81 lakh children out of school. However, our intention is to ensure that every child comes to school and our efforts have been towards that.

The State Governments do send their requests asking for support for the implementation of Right to Education but we do have a process. We have the PAB wherein the proposals of the State Governments are screened, deliberated and discussed. Then, the releases are done. However, even before the next release is done, it is essential that the State Governments do send in the Utilization Certificates. For the RTE, we have placed certain norms before the State Governments like putting in place SMEIS system, ensure that they notify the rules of the RTE and to ensure that they identify what they mean by a neighbourhood school and so on. So, unless the State Governments actually fulfil all these norms, we will not be able to release the entire funds completely to the State Governments.

श्री विजय बहुगुणा : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि आरटीई और एसएसए की जो शेयरिंग है, यह पूर्ववर्ती राज्यों के साथ 90 और 10 प्रतिशत के अनुपात में है और अन्य राज्यों के साथ 65 और 35 के अनुपात में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड जो एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, जो नए राज्य बने हैं, क्या वह उनके लिए इस अनुपात को बढ़ाने पर विचार करेंगी ताकि दुर्गम क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंच सके? राज्य के पास स्वंय के आर्थिक संसाधन ऐसे नहीं हैं कि वे इस स्कीम को पहुंचा सके।

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Madam, many State Governments have sent in their requests that the sharing pattern under RTE should be 90:10 of the Government of India and the State Governments respectively. But the fund sharing pattern originally that was approved under the 11th Plan period between the Centre and the State Governments was on a sliding scale. It was supposed to be 65:35 during the first two years of the 11th Plan period; 60:40 in the third year; 55:45 in the fourth year; and 50:50 thereafter. But however, this is being replaced with the new funding pattern where the sharing pattern would be 65:35 which is

applicable from 2010-11. This would continue for the next five years until 2014-15.

The Central Government also has approved an outlay of Rs. 2,31,233 crore for the implementation of the combined RTE Sarva Shiksha Abhiyan programme for a period of five years between 2010-11 and 2014-15. The annual requirement of the funds for the combined programme will be approximately in the range of Rs. 40,000 to Rs. 49,000 crore, both Centre and State Government sharing.

Madam, this outlay of Rs. 2,31,233 crore is also supported by the grant-in-aid of Rs. 24,068 crore which has been recommended by the Thirteenth Finance Commission to the States during the next five years. In the case of the North-Eastern States, the sharing pattern of 90:10 will continue. So, I am sure, my hon. colleague will appreciate the fact that we are sensitive to the fact that the State Governments do find it difficult to implement RTE completely on their own and therefore we have been doing whatever is best that we can do to help and support the State Governments in their implementation.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON : Madam, the Government's flagship programme, namely the Sarva Shiksha Abhiyan is a very good programme. This is the main programme for the implementation of the provisions as contained in the Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009.

I would like to know from the hon. Minister that for the rural and remote villages of our country if the implementation of the provisions of the RTE is successful or not and also whether its implementation is up to expectation and whether any monitoring cell has been established to review the implementation of RTE in such villages.

SHRIMATI D. PURANDESWARI: The Sarva Shiksha Abhiyan which is the vehicle for the RTE has always been considered a rural biased programme because our focus has been more on reaching out to the children living in the rural areas and also those children belonging to the disadvantaged sections of society.

As I had mentioned earlier, we review the progress of the Sarva Shiksha Abhiyan – RTE combined in the various forums like the Joint Review Committees. We also take reviews with the State Governments. The Secretary, MHRD (Elementary Education) also is in constant dialogue with the State Governments to ensure that the implementation is done well and properly.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, Speaker, the question relates to the right to education, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. We are told by the hon. Minister that this has been subsumed with the Sarva Shiksha Abhiyan. Again, Sarva Shiksha Abhiyan, as has been mentioned here, has a rural bias. But here the question pertains to right of the child, be he or she in the village or in the urban areas. He or she has a right to get admitted to a school. The question is -- as far as I understand and Shri Arjun Rai, who had put that question as the second questioner -- do you have any specific funding pattern in consultation with the State Governments for implementing the Right to Education Act? If you subsume it with Sarva Shiksha Abhiyan, then no where we can demarcate that this much of money is specifically allocated for the implementation of the provisions of the Right to Education Act. Will the Government do that? If the Government does not have it, is the Government going to do that? If the Government already has it, then you may please spell it out.

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Madam, Speaker, we did hold consultations at various levels and various junctures with the stakeholders. Just to name some, we did hold State level official meetings with the Education Departments of the State Governments. We also held one to one meeting with the State Ministers of Education more particularly with reference to the enrolment of teachers and also rational deployment of teachers. We also had held meeting of the CABE wherein

all the State Education Ministers were represented. This is to reiterate and to reinforce the need for addressing the teacher related issues in the implementation of the RTE, and several other meetings had also been conducted.

If my colleague would have paid a little more attention to the answer that I have given earlier, he would have found that the funding pattern for RTE is now 65:35 for the next five years to come. This is keeping in mind the difficulties which the State Governments did have in supporting the RTE. Otherwise, we should have reached the 50:50 sharing pattern by this year. But, however, realizing fairly well that the State Governments are struggling for funds and in response to the several representations that we have received from the State Governments, we now have a sharing pattern of 65:35 for the next five years to come.

MADAM SPEAKER: Q. No. 285, Shri Sudarshan Bhagat – not present.

The hon. Minister may kindly lay the written answer at the Table. Are there any supplementaries to this Question? I think there are no Supplementaries to this Question.

MADAM SPEAKER: Q. No. 286, Shri Adhalrao Patil Shivaji – not present.

Shrimati Supriya Sule.

(Q.No. 285 & 286)

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Madam, I would like to tell the hon. Minister that there is nothing specific in the written reply on Navratna Universities about which the hon. Minister has made a statement in Chennai. It only talks about existing universities and nothing about the new universities as the National Knowledge Commission recommendation has been that, to keep up with the growth in the education sector, we need 1500 more universities. In the reply, they have said that there have not finalized any plan even for the existing universities. Could the hon. Minister kindly throw some light on what they are going to do for improvement of quality education in higher educational institutions?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Madam, we have around 500 universities in our country today. Of course, the disparity with reference to the quality of education - it could be infrastructure, faculty and so on - is quite large. The idea of Navratna Universities actually emanated from this background that we need to identify universities which have the potential of becoming very good universities and probably lead the way for other universities to follow as well. A Committee was constituted under the Chairmanship of Prof. Syed Hasnain, Vice-Chancellor of Hyderabad University and of course, with the group to support him. They have yet to submit their report and once it is submitted, we will definitely look into the matter.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Madam, the universities which are existing already are overworked. For example, Pune University is one of the flagship universities in the country. It has about 1700 colleges which is impossible to manage in the context of quality itself. What steps would the hon. Minister take to help resolve this issue?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Madam, we are aware of the fact that many universities have a large number of affiliated colleges which gets very difficult for the university to actually concentrate on ensuring quality education provided in

higher educational institutions. It is because more particularly they would be engaged in probably setting question papers, evaluating them, going through re-examination process and so on. However, I am sure that my honourable colleague would appreciate the fact that we have two streams of universities. One is established through an Act of Parliament which are the Central Universities and the other one's is those which are established through State legislation which are the State Universities. A large number of universities are with the State Governments themselves. Therefore, we have, at various forums, deliberated with the Education Ministers and the Vice-Chancellors and have also suggested to them if they would look into reducing the number of affiliated colleges by probably creating more universities and then regionally looking into affiliating the institutions in that region. However, this is a decision which the State Governments and the Universities need to take as these are largely with the State Governments.

(Q. No. 287)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि पकड़े जाने वाले फिशरमैन की गिनती सही नहीं है। क्या यह सही है कि पाकिस्तान उन पर अलग-अलग धाराएं लगाकर उन्हें किसी और तरीके से बंदी बनाता है, किसी और माध्यम में बंदी बनाता है। वह उन्हें फिशरमैन में बंदी नहीं करता।

12.00 hrs.

क्या आपकी यह गिनती सही है? क्या इसके बारे में और मालूम करने के लिए आपने कुछ कदम उठाए हैं?

श्रीमती परनीत कौर: मैडम, जो गिनती की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, जो गिनती हमारे पास आई है, पाकिस्तान में हमारे काउंसिलर और हाई कमिश्नर वे रेगुलरली इन-टच रहते हैं। वे पूछते रहते हैं कि उनको काउंसिलर एक्सेस हो सकती है या नहीं। वे वहां जेलों में जाकर भी पता करते हैं। वर्ष 2010 में 454 इंडियन फिशरमेन पाकिस्तान ने रिलीज किए थे और 18 सिविलियन रिलीज किए थे। वर्ष 2010 में 100 फिशरमेन पाकिस्तान ने डिटेन किए थे। हमारे पास यही गिनती है। आप पाकिस्तान के बारे में ही जानकारी चाहते हैं?...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदया, मेरा सीधा सा सवाल है कि वे किसी और धारा में उनको पकड़ते हैं, फिशरमैन के रूप में नहीं पकड़ते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : समय कम है।

SHRIMATI PRENEET KAUR: Madam Speaker, through you, I want to tell the hon. Member that as far as we know eighteen civilians were captured in 2010. I think the Question was on the fishermen particularly.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): On behalf of Shri Ghulam Nabi Azad, I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4236/15/11)

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS AND MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI VAYALAR RAVI): I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aero Club of India, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aero Club of India, New Delhi, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4237/15/11)

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demand for Grants of the Ministry of Overseas Indian Affairs for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4238/15/11)

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Overseas Indian Affairs for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4239/15/11)

(iii) Detailed Demand for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Civil Aviation for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4240/15/11)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raebareli, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raebareli, for the year 2009-2010.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 4241/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): On behalf of Shri Kapil Sibal, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Outcome Budget of the Department of School Education and Literary, Ministry of Human Resource Development for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4242/15/11)

(2) Outcome Budget of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4243/15/11)

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demand for Grants (Hindi and English versions) of the Department of Commerce for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4244/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of Shri G.K. Vasan, I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4245/15/11)

THE MINISTER OF WATER RESOURCES AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Water Resources for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4246/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Environment and Forests for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4247/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI AJAY MAKEN): I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshmibai National University of Physical Education, Gwalior, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshmibai National University of Physical Education, Gwalior, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4248/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4249/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Outcome Budget of the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4250/15/11)

(2) Outcome Budget of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4251/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tata Memorial Centre, Mumbai, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tata Memorial Centre, Mumbai, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4252/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Classical Tamil, Chennai, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Classical Tamil, Chennai, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4253/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 4254/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Auroville Foundation, Auroville, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Auroville Foundation, Auroville, for the year 2009-2010.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 4255/15/11)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2008-2009.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 4256/15/11)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National University of Educational Planning and Administration, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National University of Educational Planning and Administration, New Delhi, for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 4257/15/11)

(10) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(Placed in Library, See No. LT 4258/15/11)

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2009-2010.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

(Placed in Library, See No. LT 4259/15/11)

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Primary Education Development Society of Kerala (Sarva Shiksha Abhiyan), Thiruvananthapuram, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Primary Education Development Society of Kerala (Sarva Shiksha Abhiyan), Thiruvananthapuram, for the year 2008-2009.

(15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

(Placed in Library, See No. LT 4260/15/11)

(16) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Madras, Chennai, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

(Placed in Library, See No. LT 4261/15/11)

(18) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Kharagpur, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(19) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (18) above.

(Placed in Library, See No. LT 4262/15/11)

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Rural Institutes, Hyderabad, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Rural Institutes, Hyderabad, for the year 2009-2010.

(21) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

(Placed in Library, See No. LT 4263/15/11)

(22) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 40 of the Indira Gandhi National Open University Act, 1985:-

(i) Notification No. IG/Admn.(G)/Ord. 13/2005/1948 published in weekly Gazette of India dated the 22nd October, 2010 relating to amendments to Clause 2.4 of the Ordinance on Research Degree Programmes (Ordinance 13) abolishing the "Area Committee' and creation of 'Research Committee' in its place for Institutes/Centres/Units/Other and consequential amdnemtns under Clause 2.4 of the Ordinance of Indira Gandhi National Open University.

(ii) Notification No. IG/Admn.(G)/Ord. 9/2000/1998 published in weekly Gazette of India dated the 3rd December, 2010 relating to

amendments/addition to sub Clause (5) below sub clause (4) of clause 9 of the Ordinance 9 on Conduct of Examination and Evaluation of Student Performance for the declaration of results of the term end examination of the Indira Gandhi National Open University.

(Placed in Library, See No. LT 4264/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Railway Sports Promotion Board, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Railway Sports Promotion Board, New Delhi, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4265/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4266/15/11)

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demand for Grants of the Ministry of Textiles for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4267/15/11)

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Textiles for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4268/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI JITIN PRASADA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 10 of the National Highways Act, 1956 :-

(1) S.O. 2880(E) published in Gazette of India dated the 1st December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 (Chariabahi-Teok Section) in the State of Assam.

(2) S.O. 2954(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31 in the State of Assam.

(3) S.O. 162(E) published in Gazette of India dated 24th January, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 73 (Yamunanagar-Panchkula Section) in the State of Haryana.

(Placed in Library, See No. LT 4269/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI A. SAI PRATHAP): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) Review by the Government of the working of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2009-2010.

(2) Annual Report of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 4270/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI GURUDAS KAMAT): I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968:-

(i) The Central Industrial Security Force (Additional Director General and Additional Deputy Inspector General) Amendment Recruitment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 920(E) in Gazette of India dated the 22nd November, 2010.

(ii) The Central Industrial Security Force (Group 'A' Executive Cadre Recruitment Second Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 976(E) in Gazette of India dated the 15th December, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4271/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 2008-2009.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4272/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2009-2010.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2008-2009.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 4273/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN

THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of Shri D. Napoleon, I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4274/15/11)

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4275/15/11)

(2) A copy of the Report (Hindi and English versions) under Section 21(4) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, for the year 2008.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 4276/15/11)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) वर्ष 2011-2012 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(Placed in Library, See No. LT 4277/15/11)

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(Placed in Library, See No. LT 4278/15/11)

(तीन) वर्ष 2011-2012 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट ।

(Placed in Library, See No. LT 4279/15/11)

(चार) वर्ष 2011-2012 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट ।

(Placed in Library, See No. LT 4280/15/11)

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 116/1/2010-एमएन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्ककरण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4281/15/11)

(4) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 2011 जो 3 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 63(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय डाकघर (पहला संशोधन) नियम, 2011 जो 4 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 10(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No. LT 4282/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI PRATIK PATIL): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demand for Grants of the Ministry of Coal for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4283/15/11)

(2) Outcome Budget of the Ministry of Coal for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4284/15/11)

12.05 hrs

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN

7th Report

SHRIMATI CHANDRESH KUMARI (JODHPUR): Madam Speaker, I beg to present the Seventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Third Report of the Committee on the subject `Empowerment of Women through Panchyati Raj Institutions'.

12.06 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Ministry of Overseas Indian Affairs*

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS AND MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI VAYALAR RAVI): I beg to lay a Statement under Direction 73A of the Speaker on the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing committee on External Affairs.

The 3rd Report of the Standing committee on External Affairs on the Demands for Grants 2010-2011 was presented to the Lok Sabha on 20th April, 2010 and laid in Rajya Sabha on 20th April, 2010. Action Taken Replies (ATR) of the Government on the recommendations/observations of the Committee were sent to the Committee on 26th July, 2010.

As required, the present status of implementation of the recommendations of the 3rd Report of the Standing committee is detailed at the Annexure which is laid on the Table of the House.

I hope that the Hon'ble Members will be satisfied with the action taken by my Ministry.

---

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 4285/15/11.

12.06 ¼ hrs.

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of Standing Committee on Railways on "Protection and Security of Railway Property and Passengers", pertaining to the Ministry of Railways*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): I beg to lay a Statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Parliamentary Standing Committee on Railways in pursuance of Directive 73 A, of the Hon. Speaker, Lok Sabha issued vide Lok Sabha Bulletin-Part II, dated 1st September, 2004.

The 8th Report of the Committee on "Protection and Security of Railway Property and Passengers" presented to the Lok Sabha on 27.8.2010 contained 24 recommendations and Action Taken Notes thereon were furnished to the Committee on 02.12.2010 in English version & on 08.12.2010 in Hindi version.

Statements showing details of all the recommendations contained in the Report and implementation status thereof are enclosed. Since the statements are voluminous, I request that the same may be taken as read.

---

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 4286/15/11.

12.06 ½ hrs.

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd and 4th Reports of Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2009-10 and 2010-11, respectively), pertaining to the Ministry of External Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI PRENEET KAUR): I beg to lay a Statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report (15th Lok Sabha) of the Standing Committee on External Affairs in pursuance of Rule 73A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

The Standing Committee on External Affairs examined the Demandsfor Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2009-2010 and laid its 2nd Report in the Lok Sabha on 3rd December 2009. The Report included 20 recommendations on which Action Taken Report was submitted to the Committee on 8th March 2010.

Now, I am laying on the Table of the House the progress made in implementation of the recommendations of the Committee (Annexure), as required under Hon'ble Speaker's above direction. The recommendations of the Committee have been studied in the true letter and spirit and every endeavour will be made to look into these recommendations. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents but would request that this may be considered as read.

---

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 4287/15/11.

.

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up `Zero Hour'.

Shri H.D. Devegowda.

… (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Madam, we have already given notice. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else except what Shri Devegowda says will go in the record.

(Interruptions) ...[*]

SHRI H.D. DEVEGOWDA: We must be allowed to raise a very important issue under Zero Hour. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else except what Shri Devegowda says will go in the record.

*(Interruptions) ...**

MADAM SPEAKER: He is raising some matter.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाएं और ज़ीरो ऑवर चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

12.09 hrs.

At this stage Shri Anant Kumar Hegde and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : This House cannot be run by the Opposition Leader because of the numerical strength. We have got every right to express our grievances. … (*Interruptions*) This is not the way…. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाएं और उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[*] Not recorded.

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except the version of Shri H.D. Devegowda.

(Interruptions) ...[*]

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Madam, when we have got any grievance, we have to raise it in the House.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.30 p.m.

12.12 hrs

The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes past Twelve of the Clock.

---

[*] Not recorded.

12.32 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at thirty-two minutes past Twelve of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri H.D. Devegowda.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को बोलने न दिया जाए।

…(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदया, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जीरो आवर में कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं होता है।

…(व्यवधान)

12.33 hrs.

At this stage Shri Anant Kumar Hegde and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी सीट पर वापिस चले जाइए और माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I would like to raise this issue which is very important.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी सीट पर वापिस चले जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : This is not an issue pertaining to any Member. … (*Interruptions*) This is an issue pertaining to a Trust which was violating the procedures and siphoning the money by taking favours from the Government on a *quid pro quo* basis.… (*Interruptions*) There is a nexus between the corporate houses and the Chief Minister who has given certain concessions to the company.… (*Interruptions*)

Madam, I would like to quote what Shri Atal Behari Vajpayee said. When Shri Atal Behari Vajpayee was the Leader of the Opposition, he raised the Antulay issue in the very same House, who was forced to resign…(*Interruptions*) Shri Antulay was the former Chief Minister of Maharashtra.… (*Interruptions*) I repeat Shri Vajpayee raised that issue when he was the Leader of the Opposition.… (*Interruptions*) In this connection, I would like to ask Shrimati Sushma Swaraj how they are not allowing me to raise this issue. Let us raise it…(*Interruptions*) I have got all the documents.… (*Interruptions*)

Madam, these are the proceedings wherein Shri Atal Behari Vajpayee raised the issue of Shri Antulay, the former Chief Minister of Maharashtra.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except the version of Shri H.D. Devedowa.

(Interruptions) ...[*]

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Madam, I would like to mention that the Prerana Education and Social Trust has swallowed Rs.27 crore from the corporate houses.… (*Interruptions*) I would like to tell you that the South-West Mining Limited is a public limited company and incorporated in 1996. Its present address is Vidyanagar, Tornagallu, Sandur (Tk), Bellary District, Bellary. From that place, they have taken Rs.20 crore. … (*Interruptions*) I would like to tell you about this.… (*Interruptions*)

Madam, I would like to tell you that M/s. MML has raised the demand of Rs. 118 crore till September, 2006. … (*Interruptions*) Madam Speaker, we will not allow them when they speak. How can they disturb like this? … (*Interruptions*)

This Prerana Educational and Social Trust has taken donations from several companies and individuals amounting to Rs. 27.18 crore. They have taken Rs. 1.37 crore from Adarsh Developers, Rs. 3.40 crore from Industrial Techno Manpower Services Private Limited, Rs. 3.40 crore from Jai Bharath Technical

[*] Not recorded.

Private Limited, Rs. 4.30 crore from Shri B.M. Jayashankar, Rs. 50 lakh from Prof. Jawahar. Rs. 50 lakh from Prof. Doreswamy, Rs. 50 lakh from Shri B.Y. Raghavendra, Rs. 3.2 crore from Real Technical Solutions Private Limited, Rs. 10 crore from South West Mining Limited and Rs. One lakh from Shri B.Y. Vijayendra. The total amount received comes to Rs. 27.18 crore. … (*Interruptions*)

Madam, I would like to submit that the paid up capital of another company namely, Industrial Techno Manpower Supply and Services Private Limited is Rs. One lakh only. They have shown a loss of Rs. 171 lakh during last year, but they have given a donation of Rs. 3.40 crore to this trust. Then, another company's name is Jai Bharat Technical Services Private Limited. Their share capital is only Rs. One lakh, their loss is Rs. 135 lakh, but they have made a donation of Rs. 3.40 crore. The name of another company is Real Technical Solutions Private Limited. Their share capital is also only Rs. One lakh and they have made a donation of Rs. 3.20 crore. This is how all the money has been siphoned off and they have all given a donation to the tune of Rs. 27 crore to Prerana Educational Trust. … (*Interruptions*)

I will prove all these things with documents. This is how the Karnataka Government, in collusion with the Chief Minister and local officials siphoned off this money to this trust. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Madam, there is a letter written by the Secretary of the Revenue Department of the Government of Karnataka to the Principal Secretary to the Chief Minister on 7th June, 2010 in which he wrote about the encroachment of the lake land by Adarsh Developers in Deverabeesanahalli area. … (*Interruptions*) He wrote in this letter that this company is using the road constructed by them and it is not a public road. As per the order of the hon. High Court in W.P.31343/95, the lake land cannot be granted or allotted for any other purpose. … (*Interruptions*) Any action on the part of the Government to allow or

permit utilization of lake bed land for any other purpose like road would amount to contempt of court. … (*Interruptions*) He further states in that letter that this is the second case concerning a developer where the Chief Minister's office has intervened and if we do not take any action against encroachments by powerful people and developers, we will have no moral courage to initiate action against any other encroacher. … (*Interruptions*) This is the letter written by the Secretary of the Revenue Department to the Principal Secretary to the Chief Minister. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Alright. You have made your point. Thank you very much.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, those who want to associate with this matter, please send your slips to the Table. Shri Rewati Raman Singh.

… (*Interruptions*)

SHRI KAMAL KISHOR 'COMMANDO' (BAHRAICH): Madam Speaker, I would like to associate myself with the matter raised by Shri Devegowda.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग वापस जाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बस हो गया, आपकी बात आ गई, अब आप लोग वापस जाइये। श्री रेवती रमण सिंह जी, आप बोलिये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब दूसरा मसला हो गया। अब आप वापस जाइये। आपका गला सूख जायेगा। अब आप जाइये, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। अब जाइये, बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

12.41 hrs.

At this stage Shri Anant Kumar Hegde and some other hon. Members went back to their seats

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपको ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इनके बाद आपको भी बुलायेंगे। अभी आप बैठिये।

श्री रेवती रमण सिंह : महोदया, मैंने आपको एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। ...(व्यवधान) मैंने 9 तारीख को फैक्स के द्वारा आपको सूचित किया था कि जैसे ही हम अपने घर से दिल्ली आने के लिए निकल रहे थे।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मैडम, क्या स्टेट के मामलों की यहां रोजाना चर्चा होगी?...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह : जैसे ही हम एयरपोर्ट जाने के लिए घर से निकल रहे थे तो वहां हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स वहां आ गई और वे लोग हमें वहां से जबरदस्ती पकड़कर पुलिस लाइन, इलाहाबाद ले गये। जैसे श्री मुलायम सिंह जी के साथ हुआ, अखिलेश यादव जी के साथ हुआ, ठीक वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, वैसी कभी नहीं घटी। मैं उत्तर प्रदेश में चालीस साल से राजनीति में सक्रिय सदस्य हूं, लेकिन आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : यह आपसी लड़ाई है...(व्यवधान) इसकी यहां चर्चा नहीं हो सकती...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह : पहली बार उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना घटी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : किसी और सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

(Interruptions) ...[*]

श्री रेवती रमण सिंह: उत्तर प्रदेश में बहुत सी सरकारें बनी, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ऐसा बर्बरतापूर्वक व्यवहार नहीं किया।

मैं आपसे मांग करूंगा कि आप संसद की एक कमेटी बनाकर इसकी इंक्वायरी करवा लीजिए। जो श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ हुआ, अखिलेश यादव जी के साथ हुआ और जो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, उसकी एक इंक्वायरी हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I have received your notice of question of privilege dated 9 March 2011 and 16 March 2011 against the State Police and the Administration

[*] Not recorded.

for forcibly detaining you by deployment of large police force outside your residence at Allahabad. I have called for a factual note in the matter. I will take a decision after receipt of the same. श्री जगदम्बिका पाल जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): मैडम, आपने हमसे कहा था कि आप हमें बोलने का मौका देंगी।

अध्यक्ष महोदया : आपने कहा था कि हम शांति बनाये रखेंगे। अभी आप बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इनके बाद आपको भी बुला लेंगे। अभी आप बैठिये।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज हम भारत की लोक सभा में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोक सभा में जो भी सदस्य चुनकर आये हैं, इन प्रजातांत्रिक मूल्यों में सबसे ज्यादा सार्वजनिक जीवन में यदि कुछ है तो इनटिग्रिटी है, लोगों की क्रेडिबिलिटी है। यह स्वाभाविक है कि कहीं भी किसी भी सार्वजनिक जीवन के किसी व्यक्ति की, मंत्री की, मुख्य मंत्री की या सत्ता या विपक्ष से अगर किसी की भी इनटिग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जाती है तो निश्चित तौर से उससे पूरे जीवन में क्षरण होता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात होता है। यह सवाल किसी सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष का नहीं है।

महोदया, आज हमने जो महत्वपूर्ण नोटिस दिया है, उसमें ...(व्यवधान) अभी तो हमने किसी का नाम भी नहीं लिया, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ...(व्यवधान) इसी सदन ने दुनिया के प्रजातांत्रिक मूल्यों में एक ऐसा मानदंड स्थापित किया है, जो आज भी दुनिया के लिए एक आदर्श है। इसी पार्लियामैन्ट में अगर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने पिछली लोक सभा में पैसे लेकर प्रश्न पूछे थे तो उन्हें लोक सभा की सदस्यता से वंचित होना पड़ा था। अगर यह मूल्य भी स्थापित करने का काम किया है तो इस सदन ने किया है, जिसके लिए मैं सदन को बधाई देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) यहीं तक नहीं अगर आज पूरी दुनिया में कहीं डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, अमरीका में भी हाउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव्ज में चार्ल्स बी. रंगेल जो वहां की सीनेट के मैम्बर थे,

सीनेट के मैम्बर थे, उन्होंने अपने पैड से एक एन.जी.ओ. के लिये कुछ डोनेशन इकट्ठा किये थे जिसके कारण यू.एस. के हाऊस ऑफ रिप्रेजंटेटिव से उनको सपैंड किया गया , उनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव किया। चाहे अमरीका हो, वहां की डैमोक्रेसी हो या भारत की हो, हम आज अपने सार्वजनिक मूल्यों को बनाये रखने के लिये किसी हद तक जा सकते हैं। आज स्वाभाविक है कि जब किसी राज्य के

मुख्यममंत्री के खिलाफ, यह लगता है कि प्रेरणा एजुकेशनल ट्रस्ट ने उन कम्पनियों से 27 करोड़ रुपया लिया जो कम्पनियां घाटे में चल रही थीं और उस घाटे के कारण उन्हें लाभ पहुंचाया। कर्नाटक सरकार को 118 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि आज इन कम्पनियों ने प्रेरणा एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसमें मुख्यमंत्री के परिवार के लोग उसके सदस्य और ट्रस्टी हैं, को 3 करोड़ 40 लाख रुपये का डोनेशन दिया जो खुद कम्पनी घाटे में है। इसी तरह जय भारत टैक्नीकल कम्पनी, इन्होंने 3 करोड़ 40 लाख रुपया दिया। इसी तरह से रियल टैक्नीकल सोल्यूशन प्रा. लिमिटेड ने 3 करोड़ 20 लाख रुपया दिया। साऊथ-वैस्ट लाईनिंग कम्पनी ने 10 करोड़ रुपया दिया, और 20 करोड़ रुपया उन कम्पनियों से लिये गए हैं जिन्हें कर्नाटक सरकार ने लाभ पहुंचाने का काम किया है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, अगर काले धन को वापस करने की बात .यहां की जाती है तो यह मामला भी ऐसा ही है...(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा उठाए गये मुद्दे से खुद को सम्बद्ध करता हूं।

12.46 hrs.

At this stage Shri Anant Kumar Hegde and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आपकी बात हो गई। श्री शाह नवाज हुसैन जी।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record. Only what Shahnawaz Hussain *ji* is saying will go on record.

(Interruptions) ...[*]

12.47 hrs.

At this stage Shri Anant Kumar and some other hon. Members went back to their seats

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

[*] Not recorded.

*(Interruptions) ...**

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मेरी बात पूरी होने दीजिये।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: It is not going on record.

*(Interruptions) ...**

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन रू अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक गम्भार विषय यहां रखना चाहता हूं । दिल्ली में जो सरकार है, उनके मंत्रियों को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। मैं यह मसला राज्य सरकार का नहीं उठा रहा हूं। इसलिये मैं अपनी बात को पहले कह देना चाहता हूं। दिल्ली के लोकायुक्त ने राष्ट्रपति जी के सामने मंत्री श्री राज कुमार चौहान का एक विषय भेजा है कि उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिये। यह मामला बहुत गम्भीर है...(व्यवधान) ये लोग राज्य सरकार का मामला उठा सकते हैं, क्या हम नहीं कह सकते हैं जबकि दिल्ली सरकार के एक मंत्री के लिये लोकायुक्त ने मामला राष्ट्रपति जी के पास भेजा है। श्री चौहान ने दिल्ली में एक अधिकारी को फोन करके उन्हें प्रभावित करने का काम किया है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है लेकिन ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। यह तरीका नहीं है। मेरी मांग है कि दिल्ली के मंत्री श्री राज कुमार चौहान को तुरंत सैक करना चाहिये। जिस तरह से श्री चौहान ने मंत्री की मर्यादा का हनन किया है,

जिस तरह से उन्होंने एक फोन करके वहां पर टैक्स वसूलने गये अधिकारी को रोकने का काम किया...(व्यवधान) महोदया, यह गंभीर विषय है।...(व्यवधान) महोदया, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।...(व्यवधान) मैं शांति से बैठा था। इनके द्वारा एक विषय पर दो बार बोला गया।...(व्यवधान) आज जब हम मुद्दा उठा रहे हैं...(व्यवधान) महोदया, ये परमानेंट मेंबर हैं, जो खड़े रहते हैं।...(व्यवधान) इन्हें खड़े रहने की बीमारी है। ...(व्यवधान) महोदया, आप इन्हें रोकिये। अगर हम मुख्य विपक्षी दल वाले कोई मुद्दा उठाते हैं तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। ...(व्यवधान) सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर जो मंत्री हैं, उन्हें नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ...(व्यवधान) एक अधिकारी ने राष्ट्रपति के सामने, लोकायुक्त ने जो एक जस्टिस हैं...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : वह पूर्ण राज्य नहीं है।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उन्होंने राष्ट्रपति जी के पास लिखकर भेजा है। उस मंत्री को दिल्ली की सरकार, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, बरकरार रखे हुए है। (व्यवधान) महोदया, मुझे आपका संरक्षण

* Not recorded.

चाहिए। ...(व्यवधान) महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस मंत्री के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और भ्रष्टाचार में डूबी हुई इस सरकार को उन पर एक्शन लेना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए। आपकी बात हो गयी है।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : एक दिन भी उस मंत्री राजकुमार चौहान को सीठ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आपकी बात हो गयी। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इस पर मंत्री जी को बयान देना चाहिए।...(व्यवधान) यह बहुत ही गंभीर विषय है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

* Not recorded.

12.50 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise the Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. Item No. 28 – hon. Minister.

* Treated as laid on the Table

(i) Need to fix the Minimum Support Price for Paddy

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL) : Paddy is essential for food and also reflects our culture. From our birth to death it travels with us in one form or another. During the year 1960, if an agriculturist sold 4 bags of paddy he could have purchased 10 grams of gold. Hence, paddy is considered to be the yardstick of our economic life. Now, things have changed drastically. As per present day calculation, if the paddy is sold at Rs. 3900 per bag, one can sell 4 bags of paddy and purchase 10 grams of gold. But the pity is one has to sell 25 bags of paddy to purchase 10 grams of gold. That has been the prevailing price structure. Hence, so many fertile lands are kept fallow. As a result, the peasant is in heavy debt burden. As the prices of inputs like fertilizers and pesticides have gone up and simultaneously agricultural labour charges have increased, so it is fair and reasonable if the price of paddy per quintal is sold at Rs. 2000. Hence, I urge the Government to fix the Minimum Support Price of Paddy at Rs. 2000/- per quintal. This is most urgent to save the farmers from committing suicide. Only by this step of Government, we can save the farmer from running away from field.

(ii) Need to expedite the enactment of the Bill for the protection of rights of the people afflicted with HIV/AIDS

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI) :I invite the attention of the Government towards the increasing incidents of discrimination to the people living with HIV/AIDS. People living with HIV/AIDS face some of the worst rights violations in our country. There are more than 30 lakhs persons living with HIV/AIDS in India. They are discriminated merely because of their HIV status. Children are refused admission in schools and patients denied treatment in hospitals. In the absence of a comprehensive statue, HIV positive people remain vulnerable to rights violations. The HIV/AIDS Bill which was cleared by the Ministry of Law and Justice in Mrch, 2010 is pending and has to be cleared by the Ministry of Health and Family Welfare. I request urgent action to bring the Bill before Parliament.

(iii) Need to include the Kachhargarh cave having temple of Lingojango in district Gondia, Maharashtra as a tourist place of national importance and provide basic tourist facililties at the site.

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर) :

महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कचाड़गढ़, तालुका सालेकसा, जिला गोंदिया में लिंगोजंगो, जो आदिवासियों के देवता है, उनकी एक प्रमुख एवं अति प्राचीन गुफा व मंदिर है। यह देश के आदिवासियों का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है । यहां पर महाराष्ट्र राज्य के ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा सहित अन्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से आदिवासी श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ी संख्या में आना होता है तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में विशेष उत्सव के दौरान प्रचीन गुफा व मन्दिर के दर्शन करने वाले आदिवासी श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 40-50 हजार तक पहुंच जाती है ।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त गुफा व मन्दिर के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने और इसका सौन्दर्यीकरण करने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं आवागमन माग को सुविधाजनक बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ।

(iv) Need to provide service roads in addition to the main roads in and around industrial units to curb the incidents or road accidents involving small vehicles

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) :

मैं सदन का ध्यान सड़क मार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि अधिकांशतः देखने में आया है कि रात्रि के समय बिना टेल लाइट वाले वाहनों, साईकिल, बैल गाड़ी, ट्रैक्टर आदि के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है । साईकिल एवं छोटे वाहन चालकों को बड़े वाहनों द्वारा दुर्घटना होने से मृत्यु होने की संभावना शत-प्रतिशत रहती है । औद्योगिक ईकाइयों एवं बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्र शहरों और नगरों से कुछ दूर राजमार्गों पर ही होती है । अधिकांशः इनमें काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोग देर रात तक काम से साईकिलों द्वारा ही घर लौटते हैं । साईकिलों पर टेल लाइट नहीं होने के कारण ये गरीब लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं ।

मैं सदन में समक्ष माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि शहरों और नगरों से कुछ दूरी पर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों एवं बड़ी औद्योगिक ईकाइयों तक पूरे देशभर में मुख्य सड़क मार्ग के अतिरिक्त सर्विस रोड़ का निर्माण कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल सके ।

(v)Need to extend the date for the submission of applications for the Merit cum Means Scholarship for the academic year 2010-2011 in Kerala

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA) : I request the Government to kindly extend last date for the submission of application for the Merit cum Means (MCM) Scholarship for the academic year of 2010-11. Due to the delayed admission process, majority of students in Kerala could not apply for the Scholarship. As far as the Merit cum Means Scholarship is concerned, students have to apply for it in their first semester. If they fail to submit the application in the first semester. They will not get the Scholarship for the entire course. The mistake committed by the Government of Kerala has adverse impact on the students in the State eligible for the scheme. Negation of MCM Scholarship to the eligible students is not in consonance with its intended aim. Having considered the grievances of the students in Kerala, I request the Government to kindly extend the due date for the submission of application for the MCM Scholarship for the 2010-11 academic year, so that the eligible students are not deprived of it.

(vi) Need to ensure disbursement of loans to the deserving people through banks under centrally sponsored schemes in Kota and Bundi districts of Rajasthan

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) :

मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में लोगों ने मुझे बताया कि कोटा एवं बूंदी जिले के जिन ब्लाकों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू हैं उनमें अनुसूचित बैंकों द्वारा जो धन सहायता या ऋण के रूप में दिया जा रहा है, उसमें अनियमितताएं बरती जा रही है एवं लाभार्थी लोगों को कम पैसा मिल रहा है। कुछ बैंकों द्वारा ऋण एवं सहायता के रूप में लोगों को धन का वितरण निष्पक्ष रूप से नहीं किया जाता है । ग्रामीण विकास की लगभग सभी योजनाओं में यह अनियमितताएं बड़े पैमाने पर चल रही है । इस संबंध में निगरानी एवं उचित कार्यवाही के अभाव में ये अनियमितताएं बिना किसी रोक-टोक के चल रही है जिससे योजनाओ का वांछित लाभ ग्रामीण लोगों को पूरा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सरकार को बैंकों के कार्य पर निगरानी रखनी होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी होगी तभी इन योजनाओं से ग्रामीण लोगों को पूरा लाभ मिलेगा ।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में अनियमितताओं को शीघ्र समाप्त किया जाए इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए जिससे केन्द्र द्वारा बनाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके ।

(vii) Need to set up a Regional Office of Central Board of Secondary Education at Thiruvananthanpuram in Kerala.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA) : I would like to draw the kind attention of the Union Government particularly the Ministry of Human Resource Development to a peculiar situation being faced by the students of Kerala. There are more than 1,000 CBSE Schools functioning in Kerala and the total number of students studying in these schools is more than one lakh but these schools are now facing a lot of administrative problems.

CBSE has many Regional Offices functioning in various parts of the country in order to decentralize the administrative functioning of CBSE. However, I would like to bring to the notice of this august House that Kerala State is included in the Chennai Region. There is a long pending demand from the Managements of CBSE schools in Kerala as well as from the parents in Kerala for the establishment of a Regional Office in Kerala. But so far the Government of India, Ministry of HRD has not considered this genuine demand of the people of Kerala.

The work load in the Chennai Regional Office is too high. Hence, the Regional Office in Chennai is not giving proper attention to the schools in Kerala, which is resulting in a number of problems in these schools. The parents/students of these schools have to go to Chennai Regional Office for each and everything, which among other problems is a very time consuming affair. The number of schools opting for CBSE syllabus is also increasing each year as the parents are interested to send their children to CBSE schools.

I, therefore, would request the Hon'ble Human Resource Development Minister to set up a Regional Office of CBSE at Trivandrum in Kerala, as early as possible.

(viii) Need to open a Kendriya Vidyalaya in Nawada, Bihar

डॉ. भोला सिंह (नवादा) :

बिहार के नवादा में 2003 ईसवी में केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय कुछ समय चलाने के बाद बंद कर दिया । केन्द्र सरकार का तर्क था कि केन्द्रीय विद्यालय के लिए ग्रामीण इलाके में छः एकड़ जमीन नवादा में राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है । इसलिए इस विद्यालय को चलाने मे उसने असमर्थता जाहिर की थी पर हम बताते चले कि नवादा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए जनता ने 6 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है और तत्काल विद्यालय चलाने के लिए भव्य भवन भी उसने दे रखा है । इस भौतिक पृष्ठभूमि में आग्रह है कि नवादा मे जल्द केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय गंभीर पहल करे ।

(ix) Need to set up a bench of Jharkhand High Court in Santhal Pargana, Jharkhand

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) :

बिहार राज्य से एक अलग राज्य का निर्माण 2000 ई0 में हुआ । इसका कारण स्पष्ट था कि छोटा नागपुर और संथाल परगना तथा पलामू में रहने वाले आदिवासी, दलित, पिछड़े और शोषित अपने अधिकारों से वंचित थे । राज्य बंटवारे के उपरांत रांची राजधानी और दुमका जो, कि संथाल परगना में है, उप-राजधानी बनी । पिछले 10 वर्षों से संथाल परगना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, पानी और आवास के लिए परेशान हो रहा है । लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है । ऐसा हमेशा से देखा गया है कि उप-राजधानी क्षेत्र में हाईकोर्ट की खण्डपीठ स्थापित होती है । रांची की दूरी संथाल परगना से बहुत ज्यादा है । इसके मुकाबले पटना और कोलकाता ज्यादा नजदीक है । लगभग 70 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित है, आवागमन की घोर असुविधा है । लगभग 75 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं ।

अतः संथाल परगना के लोगों को रांची जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकीन है । पिछले 11 वर्षों से यहां के लोग हाईकोर्ट की खण्डपीठ के लिए आंदोलनरत हैं ।

अतः आपके माध्यम से मैं आदरणीय कानून मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप गरीबों को समुचित न्याय दें तथा संथाल परगना में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ बनाकर इसके विकास में योगदान करें ।

(x) Need to provide adequate numbers of railway rakes under West Central Railway Zone for Transportation of wheat and fertilizers in Madhya Pradesh

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : मध्य प्रदेश में मार्च माह में रबी की फसल गेहूं मंडियों में आना प्रारंभ हो जाएगी । प्रदेश से लगभग 45 लाख मैट्रिक टन गेहूं के उपार्जन की संभावना है । अकेले गेहूं की खरीद ही लगभग 3 माह तक चलेगी । गेहूं की मंडियों से देश के प्रमुख शहरों में ले जाने के लिए रेलवे ही परिवहन का प्रमुख साधन है । पश्चिम मध्य रेल जोन में माल परिवहन के लिए वैगनों की भारी कमी बनी हुई है । वित्तीय वर्ष समाप्त होने को हैं इसलिए रेलवे के सभी जोन अपने-अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लदान पर अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं । फिर खरीदी मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को करना है जिसे रेक उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने वरीयता क्रम में 'डी' श्रेणी यानी सामान्य वर्ग में रखा है । महोदया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद की जाती थी और उसे रेलवे द्वारा 'बी' श्रेणी में रखा गया था । इस श्रेणी के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम जो खरीदी के लिए मध्य प्रदेश की एजेंसी है उसे 'बी' श्रेणी में शामिल किया जाए । कुछ रेल जोन वांछित संख्या में रैक प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं अथवा दूसरे जोनों से आए हुए वैगनों को अपने जोन में रोककर उनका उपयोग कर लेते हैं। वहीं कुछ जोन वैगनों की कमी से जूझते रहते हैं । पूरे मध्य प्रदेश में पहले ही रैक पॉइन्ट्स कम है और जो हैं उनमें अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिसके कारण रासायनिक उर्वरकों की निर्धारित समय में आपूर्ति करने में हमेशा कठिनाइयां आती रही हैं । अतः मध्य प्रदेश सरकार की मांग के अनुसार यहां रैक पॉइन्ट्स को बढ़ाया जाए और वैगनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ।

(xi) Need to open a branch of Life Insurance Corporation of India in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) :

मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा नहीं है जबकि इस जिले में दो वर्ष पूर्व शाखा खोले जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है । भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा के अभाव में यहां के निवासियों को भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा संबंधी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है । मेरे संसदीय क्षेत्र के अगल-बगल के जिला मुख्यालय में भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाएं कार्यरत है । वहां के जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर जिले के निवासों को लाभ नहीं मिल पा रहा है । मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर को जिला बने हुए 15 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक भारतीय जीवन बीमा निगम की सुविधा से वंचित है ।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर जिला मुख्यालय में भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा को जल्द खोला जाए ।

(xii) Need to curb the increasing incidents of atrocities on women in Fatehpur Parliamentary Constituency, Uttar Pardesh

*श्री राकेश सचान (फतेहपुर) :

मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर (उ0प्र0) के ग्राम उरदौली में दिनांक 4 फरवरी, 2011 को 16 वर्षीय कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक दलित छात्रा के साथ यौन शोषण (बलात्कार) करने का प्रयास किया गया और प्रयास में सफल न होने पर उक्त छात्रा के नाक व कान काट दिए गए जिससे दलित वर्ग में सुरक्षा की भावना को लेकर क्षेत्र में काफी तनाव चल रहा है । फतेहपुर जनपद में रोजाना ही दलितों के साथ कोई न कोई घटना हो रही है । ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे फतेहपुर पुलिस प्रशासन दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में सफल हो सके और जनपद में आए दिन दलितों के साथ होने वाली नित्य नई घटनाएं न हों ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से यह मांग है कि वह फतेहपुर जनपद में दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दें तथा ढिलाई बरतने वाले दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए जिससे दलितों को आत्म सुरक्षा मिल सके ।

(xiii) Need to take measures to make Hiuen Tsang Museum at Nalanda, Bihar a popular tourism destination

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :

बिहार राज्य के नालंदा जिले के नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर एवं जादूघर (म्यूजियम) के बगल में ह्वेन सांग म्यूजियम है । चीनी यात्री ह्वेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय में 627 में आए थे और सन 631 तक नालंदा में रहे थे । वह एक बहुत ही इंटेलैक्चुअल परिवार के थे । ह्वेन सांग ने बुद्ध दर्शन पर बहुत ही अच्छा काम किया और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बुद्ध दर्शन की पढ़ाई की और वहीं पर आचार्य हो गए । ह्वेन सांग की विद्वता से प्रभावित होकर और उनके बुद्ध दर्शन के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार ने नालंदा में ह्वेन सांग पर एक म्यूजियम बनाया जो कि भारत-चीन मैत्री को प्रगाढ़ कर रहा है । लेकिन इस म्यूजियम का प्रचार-प्रसार उतना नहीं है, जितना होना चाहिए । इसलिए इस म्यूजियम का प्रचार प्रसार इस तरीके से हो कि लोग पर्यटन के साथ-साथ धार्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें और भारत-चीन मैत्री प्रगाढ़ होती रहे । सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि चीनी पर्यटक इस ओर आकर्षित हो और यहां बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर सकें और इसकी वजह से भारत-चीन मैत्री और प्रगाढ़ हो ।

मैं केन्द्र सरकार से इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि वो इस दिशा में पहल करे एवं भारत-चीन मैत्री को और प्रगाढ़ करने के लिए अति आवश्यक सार्थक कदम उठाए ।

(xiv) Need to strengthen the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme to reduce malnutrition among children

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR) :As per 2009 Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme data, 46% of children under 5 years in India are chronically malnourished. More than half of the deaths of the children under 5 years are malnutrition related. This is alarming given that the ICDS has been operational for 35 years with universal provisioning being available for over six years. Data from National Family Health Surveys between 1999 and 2006 do not show much improvement. No action has been taken on the use of Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) in the treatment of severely malnourished children in commensurate to WHO norms. The existing system must be strengthened, reformed and updated. If we have to meet our child related United Nations Millinnium Development Goals. It is our foremost responsibility as a nation to protect and provide for the country's human capital. I urge the Government to take note of the gravity of the matter and to act on it on priority basis.

(xv) Need to give Tamil Nadu its due share of water from river Cauvery

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR) : I wish to bring to the notice of the Union Government the urgent need to direct Karnataka Government to release Cauvery Water for cultivation in Tamil Nadu. After decades of suffering by the farmers of Cauvery delta of Tamil Nadu, CAuvery Water Disputes Tribunal was constituted by the Government of India on 2nd June, 1990 to adjudicate Cauvery water dispute. Neither the Interim Order of the Tribunal of June, 1991 nor the final verdict of February 2007 has been implemented in letter and spirit. While the final order provides for release of 419 tmc water annually, actual release of water including the draining of surplus water during monsoon is much less. Delta farmers are keeping their fingers crossed about raising the crop this year. Traditional rice bowl of Tamil Nadu looks like barren land for want of water. Skipping cultivation in the delta will plunge the country in famine. In the larger interest of the nation, I urge upon the Central Government to direct Karnataka to immediately release water to Tamil Nadu discharging its constitutional obligation.

(xvi) Need to expedite the construction of Road Over Bridge near IIT Kharagpur, West Bengal

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE) : The Railways had undertaken the construction of a Road Over Bridge near IIT Kharagpur, popularly known as Puri Gate long back. It was a popular demand to have the ROB to avoid the traffic congestion in that area. At the time of the beginning of construction of ROB, people welcomed the move whole-heartedly.

But after some time, when the construction work came to halfway, suddenly the whole work stopped. It was learnt later that the concerned contractor hard left he work causing a great chaos and difficulties to road-users.

In view of the above, I would like to urge upon the Hon'ble Railway Minister to take necessary steps to restart the project that was left half done and also allocate necessary funds towards the project, so that this important link becomes smooth for road-users and the area becomes traffic congestion free.

(xvii) Need to convert the Bangaluru-Mysore State Highway in Karnataka into six-lane National Highway

SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA) : I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, through you Madam, about the need for conversion of Bangaluru-Mysore State Highway into the National Highways.

At present, this Bangaluru-Mysore is a State Highway and is having four lanes. The vehicular traffic on this stretch is very much high. Due to this four lane operation, the vehicular movement on this road is very slow and the people are facing great difficulties in moving on this route. If this State Highway is converted into a National Highway and from four lane to six lane, it will be of great help to the people who are using this road and can save their time, money and energy.

Keeping in view of the above, I urge upon the Union Government to convert the Bangaouru-Mysore State Highway into the National Highway and also from four lane to six for the benefit of the people.

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदया, पिछले दिनों में बिना बुलाये जिन्हें जो मन में आ रहा है, वे पार्लियामेंट का दुरूपयोग कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आप नम्रता की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको मेंबर्स को अवांछित बात बोलने के लिए चाहे जो भी हों, अगर आपको ताकत की कमी है तो हम लोग ताकत देने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) आपके पास ताकत है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यही मेरा कहना है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। माननीय मंत्री जी आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग मंत्री जी को बोलने दीजिए। अब आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठ जाइए। अब मंत्री जी को बोलने दीजिए। अब थोड़ा शांतिपूर्वक हाउस चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

12.53 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2011-12
Ministry of External Affairs – Contd.

MADAM SPEAKER: Now we will take up Item No. 28 – hon. Minister.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): Madam Speaker, at the very outset, let me very humbly convey to this House that it has been my privilege to listen to the statements by learned Members of this august House on a range of issues which are of particular relevance in our Foreign Policy framework. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप शांति बनाये रखिये।

…(व्यवधान)

SHRI S.M. KRISHNA : Before I begin my reply to the debate, I would like to share with the initiator of this discussion hon. Member Sh. Jaswant Singh, in expressing our deep sorrow and heartfelt condolences for the Government and the people of Japan at an hour when a terrible tragedy has struck that country and the people.

The earthquake and the Tsunami that struck Japan have devastated that country. We share a deep friendship with Japan as strategic global partnership with that country, and that partnership has acquired strategic relevance not only to the two countries but also to the entire Region.

Let me assure the Government and the people of Japan on behalf of Government of India and the people of India that we are ready to help Japan in whatever way necessary at this tragic hour. Our Ambassador in Tokyo has been in touch with the Government of Japan, and it has been conveyed to the Government of Japan, India's readiness to help that country.

Hon. Jaswant Singh ji also mentioned about the passing away of two of our very eminent diplomats. Ambassador, Raminder Singh Jassal served the country with utmost professionalism and distinction in a number of important assignments throughout his long career. We mourn his death and we convey to the family our

condolences. At the same time, it was pointed out by Shri Jaswant Singh ji about the extraordinary courtesy and civility that was shown to Shri Jassal and also to the people of this country by the Turkish Government to transport his mortal remains by a Turkish Air Force aircraft from Ankara to Delhi. I would like to convey the Government of India's sincere appreciation and thanks to this touching gesture by the Government of Turkey.

Another distinguished Ambassador, Arif Mohammad Khan was the Head of our Mission in Italy. We mourn his passing, and we remember his contribution to the nation's cause with gratitude.

13.00 hrs.

I thank the hon. Members who expressed their sorrow at the passing away of these two eminent diplomats. We will convey the sentiments of the hon. Members to the bereaved families.

Madam Speaker, the debate on our Foreign Policy, which was initiated by hon. Member, Shri Jaswant Singh is a reflection of the maturity of our democratic institutions and the informed manner in which the Members have addressed the working of the Ministry of External Affairs and our Missions and Posts abroad. Hon. Jaswant Singhji had presided over the destinies of this Ministry some time back and he spoke with great eloquence and gravitas on substantive matters such as our relations with the United States of America, the pivotal position of India in a time of seismic changes in the global arena and the need to provide intensive focus to our neighbourhood. On all these issues, the former External Affairs Minister has brought the deep wisdom and experience that he has. He then, went on to spell out that how, over a period of time, we have been able to work out a national consensus with reference to the Foreign Policy of this country. I do share the basic postulates of hon. Shri Jaswant Singh, who brings vast experience in many areas, which not many of us can claim, such as having served the Indian Army with distinction.

Let me now provide a perspective of my own, to some of the points that hon. Jaswant Singh and other hon. Members of this House have made. As I mentioned earlier, our Foreign Policy has always been defined by the spirit of national consensus; and let me emphasise that it has never been a partisan issue. All of us are here to defend the national interest and the greater good of our people.

Hon. Jaswant Singh talked about the collapsed empires. May I say or may I add that at these junctures where we are at the crossroads of destiny, India occupies a strategic position here in our region and in the Indian Ocean?

India's voice has been recognised as a voice of wisdom, of maturity and of balanced approach in tackling international problems. Any foreign policy has to protect and promote the cause and interest of India, not only in the neighbourhood but around the world. Madam Speaker, a country of India' size and diversity, rightfully has interests that concern not only South Asia but also the Central Asian region, Iran and South East Asia.

When it comes to the definition of what our neighbourhood should be, the connectivity that we have sought to build for some of our North-Eastern States with South-East Asia is a manifestation of this. In some senses, when we look at the North-East, the image that comes to our mind is that India is not just a South Asian nation but it is also a South-East Asian nation because there are natural connectivities, historic, ethnic and linguistic, for instance, that link India with South-East Asia.

Madam Speaker, our foreign policy is not just a theoretical construct. It is defined by a number of real life factors like the need to safeguard our security interests, our fight against terrorism, the need for economic and trade connectivity in our neighbourhood, promotion of our trade and developmental interests in multilateral fora, seeking India's rightful place in the top global councils of decision making and sharing our experiences in development with our partners of

the developing world. In the pursuit of these goals, dialogue, interaction and cooperation with our key partners have intensified and are getting deepened.

Some Members seemed to suggest that India is isolated in the global arena. I am rather surprised over this particular criticism and I would very strongly strike a note of disagreement. India was elected to the United Nations Security Council last October. If we were isolated, could India have marshalled a record 187 votes out of the 190 votes that were polled in that particular election?

Is it isolation of India or is it a message to the entire world and to the cynics that India has arrived on the centre-stage of global affairs? As a country, we have a number of friends, well-wishers who are drawn to us by the enduring strength of our democratic values and our commitment to core global principles of peace, security and development. The richness of our culture and diversity and the magnetism of India's performing arts draw visitors from all over the world.

Our aspiration to become a permanent member of the UN Security Council finds growing support in the international community, including a majority of the permanent members of the Security Council. We are also active members of BRIC – which now, with the addition of South Africa, has become BRICS – IPSA and basic group countries. Our voice, particularly the voice of the Prime Minister of India, is heard with great respect in G-20 gatherings. He has been the architect of some of the economic ideas which have been generated in the G-20.

Hon. Member Shri Jaswant Singh, hon. Leader of Samajwadi Party Shri Mulayam Singh Yadav and the hon. Leader of JD(U) Shri Sharad Yadav referred to our neighbourhood. I think they have done a useful service to the country and to this House by drawing the attention of this House that how India must conduct itself as far as our neighbourhood is concerned. We have always worked in our neighbourhood with a sense of perseverance and deep commitment to improving relations with all countries in our neighbourhood.

We have been strong advocates and supporters of the completion of the peace process in Nepal which was particularly referred to by both Shri Sharad

Yadav and Shri Mulayam Singh Yadav. Well, India does not want to interfere in the internal affairs of any country. But, nonetheless we are committed to democracy in our country and we would love to see that the democratic process spreads its tentacles, spreads its wings wherever there are takers. It is in this context that I would refer to Nepal. Regardless of the complexion of the Government there, we believe that the relationship that binds between Nepal and India is by-partisan. What kind of Government they want is something that the people of Nepal will decide. As Shri Sharad Yadav conveyed to us yesterday, we do not impose as to which Party, whether it is the Maoists or the Nepalese Congress or a combination of these Parties, it should be.

Regardless of how and what shape or what complexion is of the Government in Nepal, we would like to continue to do business with them and we would like to continue to improve our bilateral relationship with Nepal in particular.

I have been to Nepal and very recently a very senior leader from Nepal, who is not in the Government but who has been the Prime Minister of that country, Surya Bahadur Thapa, visited India. Then, frequently Nepalese Government leaders, Nepalese political leaders do visit India and we would like these high-level visits between these two countries to continue. Apart from the Governmental-relationship, even at the level of political parties, I know about Samajwadi Party and JD(U) that they have excellent relationship with some of the leading figures of Nepali politics. My only suggestion, if I may place before you, with humility is that I found in some of the approaches of political leaders there a tinge of anti-India. I only hope that their suspicion about the motives of India are not suspecting. As I said, we do not want to interfere in their internal affairs, but between Nepal and India, our security interests are inter-twined and to that extent, our concern in Nepal is a continuing concern, an ongoing concern, and our bilateral relationship with that country, regardless of the shade of their Government, is going to be intact.

Hon. Jaswant Singhji, hon. Mulayam Singhji, hon. Vijay Bahadur Singhji, hon. Basuji and several other Members spoke about our relations with Pakistan. With Pakistan, we have pursued the path of dialogue to reduce the trust-deficit and to resolve all outstanding issues in a spirit of openness and in the hope that we can build a better future for the peoples of both countries. At the same time, we have never abandoned our concerns about the need to eliminate cross-border terrorism and to put an end to the activities of those terrorists and terror groups that have a negative and destructive agenda for our region, which in my humble submission, Madam Speaker, is not in the best interest of our region.

Terrorism is a scourge which is fast spreading. Those countries which encouraged terrorism, which provided space for terror to grow, who provided space to set up terrorist camps, now they may not say so, but they are deeply regretting for having done that. Take our immediate neighbour. Almost everyday, there is an explosion there in that country. The news has always been bad news of the number of people who died in these suicidal attacks.

Many hon. Members, including Shri Sudip Bandyopadhyay and Shri Chandrakant Khaire, spoke about our relations with Bangladesh. Our cooperation with the Government of Bangladesh headed by Prime Minister Sheikh Hasina has yielded mutually beneficial dividends for both countries. Subsequent to her State visit to India in January last year, our focus has been on implementing the comprehensive template of engagement envisaged in the Joint Communiqué issued at the end of the visit. The Memorandum of Understanding for the line of credit of US $ 1 billion was signed in August last year. We can see visible progress in our engagement in a range of areas, including security. I am confident that enhancing our bilateral relations with Bangladesh enjoys the bipartisan support of this entire House and we shall pursue this with all the sincerity at our command.

A number of Members raised issues regarding Sri Lanka. Madam Speaker, this has been discussed on a number of occasions earlier. I can recall Shri

Sivasami, Shri Ramasubbu, Shri Wakchaure, Shri Thamaraiselvan among others who have mentioned about Sri Lanka. … (*Interruptions*)

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Sir, I have also mentioned.

SHRI S.M. KRISHNA: I will add your name also. Shri Aaron also mentioned it; even though it was a very short speech, the only point that he mentioned was this. I know how important it is for Tamil Nadu and Tamil Nadu fishermen.

With the end of the ethnic conflict in that country, India has been very active in rehabilitation of the Tamil people in war-torn areas and also stressing the need for a political settlement with the minority Tamils that addresses their legitimate aspirations within a united Sri Lanka.

I have been myself in Sri Lanka. I went to the South; I went to the North; and President Rajpaksa in India twice. We have conveyed to President Rajpaksa that in the aftermath of the victory that they have registered ending almost two-and-a-half decades of ethnic strife there, it is necessary for President Rajpaksa to be magnanimous to the Tamil-speaking minorities of Sri Lanka, their legitimate aspirations within the united Sri Lanka, as I mentioned earlier, has to be addressed.

Two fishermen were very recently killed in Sri Lankan waters. We have conveyed our deep resentment over the killing of these Indian fishermen.

We have stressed the need to prevent the recurrence of such incidence to the Sri Lankan Government. We are working with the Sri Lankan Government to put in place more effective measures that will ensure prevention of violence against our fishermen and also to encourage Fishermen's Association on both sides to interact with each other in order to reduce differences and promote lasting understanding between them. In this context, I would like to mention Katcha Theevu. It has been quite some time back when we conceded that Katcha Theevu is a part of Sri Lanka. But there is a festival that is being held every year. And we have requested the Sri Lankan Government to facilitate the pilgrims who go to that shrine to offer prayers – Christians go, Hindus go, Sri Lankans go. It is necessary

for the Sri Lankan Government to provide them with ample protection and their safety has to be looked after.

Afghanistan was referred to by Dr. Shashi Tharoor, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Baijayant Panda and others. Our commitment to promote inclusive development and our support for a democratic, pluralistic Afghanistan, freed from terrorism and violence and at peace with its neighbours is undiluted. On the question of foreign troops being present in Afghanistan, let me say that this is an issue on which the Afghan Government should have the ultimate word. And let me stress that in our view the whole process of stabilization in Afghanistan should be Afghan-led and with Afghan institutions of governance, security, legislature and judiciary leading the way. We have taken up a number of steps in Afghanistan. We are building their Parliament building. Our workers in the field of education, in the field of health services are there in Afghanistan, even though our troops are not there. This is not liked by some of the countries in our neighbourhood. That is the reason why our Embassy in Kabul is being repeatedly the target of attack. But nonetheless India does not feel compelled to withdraw from Afghanistan. We are going to stay in Afghanistan. As long as the legitimate Government of Afghanistan wants India's presence, Indian workers will be there. When I went to Afghanistan, I had a long meeting with President Karzai. When President Karzai came here on two occasions, he has had long meetings with the Prime Minister, with the Finance Minister and with other Ministers. He has conveyed that the work that has been done by India in Afghanistan has been appreciated by the people of Afghanistan. A survey was conducted by some of the American pollster agencies.

Then it turned out that 70 per cent of the people of Afghanistan said that India has been doing extremely well in Afghanistan, and their volunteers have been helping the people of Afghanistan to improve their quality of life, to teach their children. This we will continue. This is a path which we have pursued with careful deliberation, conscious always of the need to defend out security interests and to carefully monitor activities from other foreign powers including China.

There are various areas that China and India have similar approaches on but there are others where our interests do not coincide. Issues like stapled visas for residents of Jammu and Kashmir have generated differences in recent years. We have taken it up with the Chinese Government at the highest level when I went to China. When the Foreign Minister of China was here and when the Premier of China Wen Jiabao came to Delhi these issues were raised, and they have assured us that the intention of Chinese Government is to solve the problem to our satisfaction. It is our expectation that they will do so.

श्री लालू प्रसाद (सारण): मंत्री जी, बार-बार आपको सब बोल रहे हैं कि सब देशों के साथ ठीक-ठाक मामला है। उन्होंने कहा, इन्होंने कहा। चीन ने हमारी हजारों एकड़ जमीन दबाकर रखी है, यह सबसे बड़ा सवाल हमारे और देश के सामने है। इस पर क्या प्रगति हुई है, उसे खाली कराने के लिए आपने क्या बात की है? यह आया, वह आया, हैल्लो किया, आप गये, वह गये, इससे काम नहीं चलने वाला है। ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): मंत्री जी इसका जवाब देंगे. ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : नारायणसामी जी, आप हमारी बात सुनिये। आप अपनी ड्यूटी मत कीजिए। चीन के साथ हमारे जो मामले हैं, वे देश के सामने सबसे बड़े सवाल हैं। पूर्व के इलाके में सदन से ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, अब आप जवाब दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अरुणाचल के इलाके में है। हमारी जमीन जो दबायी हुई है, उस पर आपने क्या बात की है, यह बताइये।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदय, हमारा एक अनुरोध है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप उन्हें जवाब पूरा करने दीजिए। इस तरह बीच-बीच में मत बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं, केवल सूचना दे रहे हैं कि 25 हजार भारतीय जापान में फंसे हुए हैं जिनमें सैंकड़ों लोग उत्तर प्रदेश के हैं। बुलंदशहर से एक खादिम नदीम खान का परिवार सम्भल का है, जहां से मैं दो बार लोक सभा का मैम्बर रहा हूं और एक बार मेरा छोटा भाई प्रो. रामगोपाल मैम्बर रहा है। जापान में फंसे उत्तर प्रदेश के सभी लोग वे हमें जानते हैं, इसलिए हमें सूचना दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं। वहां भारतीय परिवार फंसे हुए हैं। एयर इंडिया सप्ताह में एक दिन फ्लाइट चला रहा है। और एयरलाइंस का किराया एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि किराया सस्ता कर दीजिए और केन्द्र सरकार और आप स्वयं तत्काल बीच में हस्तक्षेप कर एयर इंडिया की डेली फ्लाइट चलाने की व्यवस्था करके भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की कृपा करें। ...(व्यवधान)

क्या आप इसे भी नहीं बोलने देंगी? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह सब बाद में बोला जाता है। अगर बीच में हर माननीय सदस्य बोलेंगे, तो मंत्री जी जवाब ही नहीं दे पायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये। क्लेरीफिकेशन बाद में होता है। आप मंत्री जी को पहले जवाब पूरा करने दीजिए। आप बार-बार मत उठिये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: If everybody gets up, how will he give his reply? Please sit down.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी के रिप्लाई के बीच में उठना ठीक बात नहीं है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister is not yielding. Mr. Minister, are you yielding to him?

… (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA: No, Madam.

MADAM SPEAKER: Then please continue.

SHRI S.M. KRISHNA: Thank you, Madam Speaker.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Clarifications should be at the end. This is not a proper thing to do.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): In this context, hon. Members including Shri Mulayam Singh *ji* has raised the issue of roads, infrastructure in border areas. Shri Mulayam Singh *ji,* you have raised about infrastructure in border areas. Such as in Arunachal Pradesh, Utharakhand, etc. building infrastructure in the India-China borders is one of the priorities of our Government. … (*Interruptions*)

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): महोदया, मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको बुलाएंगे। अभी आप बैठिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA: Building infrastructure in the India-China border areas is a priority of our Government. The Border Roads Organisation is constructing 61 India-China border roads, spread over Jammu & Kashmir, Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh and Utharakhand. … (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI S.M. KRISHNA: This covers a total length of 3,429 kms. Border roads of 3,429 kms. in length in km. is being built. Work has been completed on 14 of these roads; 32 additional roads are to be completed by 2012; and another nine by 2013.

May I, Madam Speaker, assure this House that the Government will continue to pursue the development of infrastructure in our border areas as a matter of strategic significance? If we were not mindful of what was happening on our border, particularly with one of our neighbouring countries being hyper active, we would not have taken this step. So, we are strengthening our border roads; we are expanding our border roads; and that would be a continuing exercise depending on the exigencies of the situation in that area.

With Iran - about which again both hon. Members, Jaswant Singh *ji* and Mulayam Singh *ji,* among others spoke - our relationship is civilisational spanning centuries of contacts and mutually beneficial types. We have a regular exchange of views with the Iranian Government and the bilateral agenda has been varied and substantial. I visited Iran in May last year to represent India at the G-15 Summit. The Finance & Economy Minister of Iran visited Delhi in July last year, and co-Chaired a Productive Meeting of India-Iran Joint Commission. He visited Delhi again last month. The imposition of sanctions on Iran has endangered some difficulties in payment for crude oil imports from that country through established banking channels. Let me say that there difficulties are being addressed by both countries; satisfactory solutions are being found.

Several hon. Members including Shri Karunakaran had spoken about India's relations with the United States of America. Our relations with the United States are conducted in a spirit of equal partnership between two of the world's leading democracies.

---

* Not recorded.

Our strategic dialogue with US is multi-sectoral encompassing cooperation in a number of areas of mutual concern and interest. Actually, the Joint Commission was to have met next month but because of certain difficulties faced by both sides it has been put off by a couple of months.

Russia is our time-tested friend. Somebody mentioned that we were opportunistic.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing, except what the hon. Minister says, will go on record.

(Interruptions) ...[*]

SHRI S.M. KRISHNA: An hon. Member mentioned that we were opportunistic in sidelining Russia. With Russia we have a time-tested relationship, a stable strategic partnership marked by deep understanding between our leaders and the traditional friendship between our peoples. With the United Kingdom we have ties that are marked by a spirit of enhanced partnership. With France, understanding and cooperation have further deepened through our high level dialogue.

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

SHRI S.M. KRISHNA: A reference was made to the harassment of Indian dignitaries and senior officials at US Airports. The Government has taken up the matter strongly with the Government of the United States of America and conveyed that while we recognize the right of each country to institute adequate security procedures at airports, it should be done in a manner that is consistent with diplomatic privileges and courtesies and respects the religious and cultural sensitivities of all travelers. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

---

[*] Not recorded.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया: हरसिमरन जी, कृपया बैठ जाएं। इतना आवेश में न आएं।

SHRI S.M. KRISHNA: The US Government has expressed regret at the incidents and has conveyed that it will take steps to avoid similar incidents in future.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

SHRI S.M. KRISHNA: Developments in the Arab world, Madam, Speaker, were referred to by Dr. Mehboob Beg and several other distinguished Members. These developments have captured global attention in recent weeks and let me say that by no definition is India a bystander. We have economic interest in the region as a population of almost 6 million Indians live and work there. Our first concern has always been and is going to be the welfare of the people of India who are working in these countries. We can never sacrifice their interests. The situation in the region is fluid. It is a developing one. The people of the region have rising expectations about what they want from the Governments. It is certainly not incumbent upon us to draw any hasty conclusions. Our assessments are being made carefully and in consultation with regional countries and our partners in the United Nations Security Council. We will not be caught on the wrong side of history, let me assure this House. I am also in regular touch with my counterparts in many of these countries and India's views are heard with respect.

India is not only keeping her historic links and solidarity with Africa intact but also consolidating the relationship by expanding our developmental and economic cooperation.

We are implementing the decision of the first India-Africa Forum Summit to extend lines of credit worth over five billion US dollars to African countries. Our projects such as PAN-African e-network have added new dimensions of tele-

* Not recorded.

education and tele-medicine to our on-going efforts of partnering African nations in capacity building and economic development.

The second India-Africa Summit is due to take place in May of this year and perhaps it would be our effort to build on this development partnership about which we are justifiably proud.

Madam, the Indian Technical and Economic Cooperation Programme extending to nearly 160 countries has acquired a brand name in the developing world. Demand-driven and user-oriented, it is today a major component and dynamic part of India's bilateral assistance programme in diverse areas of cooperation and a shining example of South-South Cooperation. Over 270 courses for about 6000 slots in over 40 institutions covering areas as diverse as finance, agriculture, education, planning, administration, IT, pharmaceuticals, etc. have been offered under this Programme for the year 2011-12.

I am happy to inform the House that India hosted, for the first time, a Ministerial Conference of the Least Developed Countries last month in New Delhi. This was attended by Ministers and other senior dignitaries from well over 40 countries and international organisations. The Conference reiterated our commitment to the cause of South-South Cooperation.

There was a reference to our nuclear doctrine and hon. Jaswant Singhji, thought aloud about it. I would only like to state, in this context, that there is no change in our policy. Our commitment to universal non-discriminatory nuclear disarmament remains firm.

As far as Pakistan's nuclear arsenal is concerned, without going into the specific numbers, let me assure this House that the Government remains committed to taking effective steps to safeguard India's security and defence interests consistent with our doctrine of credible minimum nuclear deterrent.

India is in the United Nations Security Council as a non-permanent member. During this period, we are playing an active and constructive role in the Council deliberations beginning with discussions on the UN Mission in Nepal in January;

on Sudan referendum, the Ivory Coast situation, developments in the Middle-East including Libya and the issue of piracy involving Somalia. We are chairing two important committees, namely, the Counter-Terrorism Committee and the Committee concerning Somalia and Eritrea.

We are also the third largest contributor to UN Peace Keeping Mission with 8,714 personnel.

Madam, I will not for a moment underestimate the importance of public dealings in the working of our Ministry, particularly our passport offices. It is incumbent on all our passport offices to be accessible, helpful and positive in dealing with citizens. We have decentralised application collection centres, provided special counters for widows and physically challenged persons and holding passport *adalats*. Under the Passport *Seva* Project, seven out of the 77 state-of-the-art passport *Seva Kendras* have been launched and the rest are expected to be launched in the course of this year. This project has enabled us to outsource some of the front-end and non-sensitive activities such as submission of passport applications, taking of digitalised photographs of applicants and collection of biometric features. An hon. Member did raise the question about involving outside agencies in our passport offices. But this should satisfy the hon. Member. No sensitive issues are being handled by them. We will constantly seek to ensure that these processes work smoothly and to the satisfaction of the public. Many hon. Members have approached me about the desirability of having passport offices and *Seva Kendras* in their own areas. Well, for the time being we have 77 in the pipeline but as and when we complete these 77, we certainly can address the concerns of the hon. Members once the reach the target.

Madam, the welfare of our citizens outside the country is of utmost importance to us. The whole House is aware that evacuation of Indians from Libya was satisfactorily concluded on the 13 March. 53 flights operated to bring back an estimated 14,998 Indians who were in Libya. The total number of Indians evacuated from Libya was well over 16,000. I want to place on record our deepest

appreciation for Air India which alone operated 36 of these flights and rose heroically and with a great deal of sensitivity to the needs of our people. I also would like to say that the success of the operation should be judged both by its speed as well as the meticulous arrangements made to ensure the welfare of the evacuees by the Government including the Ministries of Overseas and Indian Affairs, Shipping, Civil Aviation and Defence. Many State Governments and particularly by our Mission in Tripoli, Cairo and Tunisia, they were under tremendous pressure. All our Ambassadors were besieged by these Indians stranded there. I must compliment the poise, the commitment of our diplomatic core in these three countries who did bring pride to our country, particularly the Missions in Tripoli, Cairo and Tunisia in our evacuation efforts.

Trivalley is another subject which has been raised repeatedly by this House and I have answered a number of questions on this unfortunate incident. There is a federal enquiry going on about this bogus university which was floated and the gullible number of students who were enrolled to this bogus university.

This was raised by Shri Namo Nageshwara Rao and other Members who continued to draw the attention of the Government. We have spared no efforts in seeking justice. I have myself met a few students in New York who were in the Tri Valley University. This is about the radio caller request. There were about 18 students and 17 radio tags have been taken away. No Indian student from Tri Valley is held in jail as was stated by some hon. Members. More than 50 per cent of the affected students have begun the process of seeking admission to other universities. We remain in constant touch with students as well as the US Government, and our Consul General in San Francisco in particular have done a commendable job and I would like to commend both the Consul General and the Ambassadors of India and United States.

We heard a very disturbing incident about Australia yesterday.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप अभी रुक जाइए। अभी मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। Let him complete his reply.

SHRI S.M. KRISHNA: Day before yesterday, it was mentioned that an Indian girl student in Australia was murdered. We took it up with the highest authority in Australia. Our High Commissioner in Australia had high level meetings with the Australian authorities. I am happy that the culprit has been apprehended and taken into custody. I am sure that the law of the land will take its own course.

In the context of the United Nations, a mention was made by Dr. Raghuvansh Prasad Singh and Shri Vijay Bahadur Singh about the use of Hindi as official language. Madam, the Government has been actively taking measures for the introduction of Hindi as one of the official languages of the United Nations. … (*Interruptions*) For example, the Inaugural Session of the Eighth World Hindi Conference was held at the UN Headquarters in New York in 2007 and was addressed by the UN Secretary-General. On several occasions, Indian leaders have delivered statements at the UN in Hindi. The United Nations produces a weekly programme in Hindi and makes it available in the UN website in Hindi. Madam Speaker, member States have been reluctant to support proposals entailing additional financial burden brought about by adding another official language. We will persevere with our efforts to introduce Hindi as an official language at the United Nations.

Many hon. Members have mentioned matters relating to Haj. Last year, a record number of 1,71,000 Indian pilgrims performed Haj. We managed to streamline the system and arrangements, introduced transparency, efficiency and objectivity and initiated important reforms in the entire process. We will continue these efforts in consultation with all stake holders.

Madam Speaker, hon. Members had mentioned in the discussion yesterday and on previous occasions as well about the issue of Indian nationals held hostage by Somali pirates. Sea piracy is a complicated international problem. Out of over

1000 sea-farers kidnapped by pirates from 2007 upto this month, 175 are Indian nationals.

14.00 hrs.

Out of these, 120 Indian nationals have been released and 53 remain hostage at present on five ships. Through the Indian Missions and Posts concerned, the Ministry has strongly taken up the issues with the foreign shipping companies and the Governments concerned to ensure the release of the Indian hostages and has been in constant touch with them ever since the incidents were brought to our notice. I am happy that all the eleven Indian sailors on board MV Rak Africana were released and have safely returned to India.

It is true that for a country with such wide ranging foreign relations and vast global interests, conducted through 176 Missions and Posts, we have rather a lean foreign service. We have undertaken an exercise which will augment the Indian Foreign Service with over 500 officers over a period of ten years through a three-pronged strategy of increasing direct recruitment through the Union Public Service Commission, fast tracking promotions from IFS-B and attracting officers from other Government of India Ministries. Nearly 130 posts have already been added, about half of them abroad. A fair degree of language specialisation has been developed within the Ministry of External Affairs for the All-India Foreign Service officers. There is no doubt that we need to augment the specialised interpreters cadres which have nineteen languages, and specialist officers in different languages such as Russian, Chinese, Arabic, Persian, Japanese, German, French and Spanish. This is being done through, *inter alia*, hiring the services of interpreters abroad.

A suggestion was made about consultation with outside experts. I am happy to inform the hon. House that the Ministry has established an extensive programme of such consultation with think-tanks on defence, security and economic issues. We also work with a number of academic institutions around the country. Our lecture series on India's foreign policy not only creates a more

informed discussion but also provides with an informal platform for consultations with leading academics. During the last one year we have done so in almost thirty university campuses.

The conduct of foreign policy is a complex and delicate task. We live in a world that faces a number of challenges, both in terms of threats to our security from trans-national terrorism and arms build-up, … (*Interruptions*) ensuring access to technology, capital and resources for development and achieving inclusive growth. … (*Interruptions*) The Ministry of External Affairs is fully geared to promoting our interests in the world arena. We will not be found wanting in fulfilling these important responsibilities. … (*Interruptions*)

Hon. Members would be aware of the plans to celebrate in India and abroad the 150th anniversary of the birth of the great son of India, Gurudev Rabindranath Tagore. In his well-known poem, Gurudev has prayed for that heaven of freedom, where the mind is without fear and the head is held high; where the mind is led forward into ever-widening thought and action.

It has been the endeavour of my Ministry to represent in the best possible way to the world this land of freedom; its values and ideals; interests and aspirations, envisioned by the founding-fathers of modern India.

With these words, I commend the House that the Demands for Grants in respect of the Ministry of External Affairs may be approved.

MADAM SPEAKER: I shall now put four cut motions in respect of Demand No. 31 relating to the Ministry of External Affairs, moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh, to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived

MADAM SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of External Affairs to the vote of the House.

… (*Interruptions*)

14.07 hrs.

At this stage Shrimati Harsimrat Kaur Badal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी सीटों पर जाइये, हम आपको बोलने के लिये मौका देंगे।

14.08 hrs.

At this stage Shrimati Harsimrat Kaur Badal and some other hon. Members went back to their seats

MADAM SPEAKER: Please go to your seat. As a special case, I am calling Shri Pratap Singh Bajwa.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बाजवा जी, आप बोलिये।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): माननीया स्पीकर साहिबा, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलन के लिए मौका दिया। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपनी चर्चा यहां रखी मगर एक बहुत ही इम्पार्टैंट बात है...(व्यवधान) मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूं, वह यह है कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में रिपोर्ट आयी है कि हिन्दुस्तान के एक बहुत ही एमिनैंट स्पोर्ट्समैन गौल्फर अमरचन्दर सिंह हैं , उन्हें मिलान एअरपोर्ट पर बहुत ही जलील किया गया, उनकी पगड़ी उतारी गई। वह आज के टॉपमोस्ट गौल्फर जीव मिलखा सिंह के कोच हैं। उन्होंने कहा कि अगर सिक्यूरिटी फ्रिस्किग करनी है तो कर लीजिये, इसमें कोई एतराज नहीं लेकिन सरेआम एक सिख को कहना कि अपनी पगड़ी उतारो तो बहुत ही गलत बात है। यह पहली दफा नहीं हुआ है। सिखों के लिये पगड़ी सब से बड़ी बात है, हम अपनी पगड़ी के लिये बड़ी से बड़ी कुरबानी देने को तैयार हैं। ऐसा हमारे हुजूरी रागी निर्मल सिंह के साथ हुआ, इंडिया के यू.एन.ओ. में परमानेंट एनवॉय हरदीप पुरी हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने यह बात कही कि हिन्दुस्तान एक बहुत पॉवरफुल नेशन बन कर निकला है जिसकी हमें बहुत खुशी है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सवाल पूछिये।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सारी सिख कम्युनिटी सरकार से यह एश्योरेंस चाहती है कि आप डिप्लोमैटिक चैनल्स इस्तेमाल करके इन देशों की जो पौलिटिकल लीडरशिप है, उनसे बात करके देखें कि सिखों को जलील न किया जाये,यह मेरी गुज़ारिश है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुषमा स्वराज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको भी अभी बुलायेंगे। आपको भी बुलायेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): महोदया, ये पहले से बोलना चाहती थीं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मेरे बाद आपको बोलने का मौका देंगे।...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : उनकी पार्टी के ही मंत्री हैं और ये ही बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : हरसिमरत मेरे बाद आपको मौका मिलेगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम आपको बुला देंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि ट्राई-वैली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में उत्तर देते हुए आपने कहा कि वहां के काउंसिल जनरल बहुत प्रभावी ढ़ंग से काम कर रहे हैं और आपने स्थिति पर संतोष भी जाहिर किया। मैं आपको अध्यक्ष महोदया के माध्यम से बताना चाहती हूं कि वहां बिल्कुल भी संतोषजनक स्थिति नहीं है। अभी परसों वहां के बच्चों ने मुझसे बात की है। 20 बच्चे कांफ्रेंस कॉल पर आये थे और रो रहे थे। बाद में आड़वाणी जी ने मुझे बताया कि उनसे भी उनकी बात हुई है। आप कहते हैं कि बच्चे जेल में नहीं हैं। वहां उनका यह कहना है कि 60 बच्चों को एन.टी.ए. इश्यू हुआ है। एन.टी.ए. का मतलब है नोटिस टू एपीयर। जिसमें उन बच्चों को बार-बार कोर्ट जाना पड़ रहा है और लिम्बो में उनका भविष्य आकर खड़ा हो गया है। वे एम्बेसी से संपर्क करते हैं, काउंसिल जनरल से संपर्क करते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। एक बच्ची वहां खड़ी हुई यह कह रही थी कि मैम मुझे केवल भारत वापस बुला लीजिये। मैं टिकट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे भारत भी आने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे यह कह रही हूं। एक लेडी वहां प्रगनेंट थी, जिसे सुबह 6 बजे से

लेकर रात 8 बजे तक उन्होंने बिठाकर रखा। बार-बार कोर्ट के चक्कर काटेंगे, 5-6 साल तक न इंडिया आ सकेंगे और न ही उन्हें वहां कुछ करने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, जो जानकारी आपको दी जा रही है, वह सही नहीं है। हमें लग रहा था कि स्थिति में सुधार होगा क्योंकि पहले जो आपका बयान आया था, हमें लगा कि सरकार पहल कर रही है, लेकिन ढ़ाई महीने बाद भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। आप और सोर्सेज से पता कीजिए, बच्चों की हालत बहुत चिंताजनक है। उनके पेरेंट्स यहां परेशान और बच्चे वहां परेशान हैं। आप कहें तो मैं आज उन बच्चों से कह दूं कि वे आपसे बात कर लें।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। धन्यवाद।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कांफ्रेंस कॉल पर सीधे आप उनकी बात सुन लीजिए। उन बच्चों का भविष्य अंधकार में हैं, आप उनके लिए कुछ कीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह मेरा आपसे अनुरोध है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. राजन सुशान्त, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल और श्रीमती दर्शना जरदोश को श्रीमती सुषमा स्वराज जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): महोदया, मेरा भी उनसे जुड़ा हुआ विषय है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। अब उन्हें बोलने दीजिए। हम बुला लेंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदया, यह बहुत ही दुख की बात है कि देश की एक कम्युनिटी, जिसने इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान दिया, आज उस कम्युनिटी की आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए पूरे विश्व में एक साजिश रची जा रही है।...(व्यवधान) ये माननीय सदस्य जो बातें बोल रहे हैं, इनके मंत्री उस महकमे में बैठे हुए हैं।...(व्यवधान) जो आज तक मुंह नहीं खोल सके हैं, ये क्या बातें बोल रहे हैं?...(व्यवधान) ये आपसे पूछ रहे हैं...(व्यवधान) आप इनसे बोलिए कि ये अपनी ही पार्टी से पता करें।...(व्यवधान) सबसे शर्म की बात यह है कि आज सिखों के बच्चों को फ्रांस जैसे देशों में स्कूल में भर्ती नहीं होने दिया जा रहा है।...(व्यवधान)वे कह रहे हैं कि टर्बन उतारो, बाल कटवाओ, दाढ़ी हटाओ, उन्हें कड़ा भी नहीं पहनने दे रहे हैं। अगर वहां अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फोटो लेनी है तो कहते हैं कि टर्बन हटाओ। पासपोर्ट में वीजा लगाना है तो टर्बन हटाओ। एक कंट्री ने ऐसा करना शुरू किया तो एक

से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सारे कंट्री ऐसा कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह हमारी एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी पर सिक्युरिटी थ्रेट नहीं वाइप आउट थ्रेट है। इस सरकार ने उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर आये तो अकाली दल के लोग उनके पास मैमोरेंडम लेकर गये, ये उस समय कहां थे?...(व्यवधान) आप पूछिये कि ये उस समय कहां थे? ...(व्यवधान) क्या इन्होंने मुंह खोला...(व्यवधान) क्या इनकी सरकार ने मुंह खोला? ...(व्यवधान) एक बार भी बात नहीं उठायी। ...(व्यवधान) आज सिखों की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है।...(व्यवधान) उन्हें टर्बन छूने से डिस्टर्बिंग महसूस होता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : जब एक देश की सरकार अपनी कम्युनिटी की हिफाजत नहीं करेगी तो कौन करेगा?...(व्यवधान) यह कांग्रेस सरकार सिख विरोधी है, माइनोरिटी विरोधी है...(व्यवधान) यह सिख विरोधी सरकार है, माइनोरिटी विरोधी सरकार है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बस आपकी बात हो गयी है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

... (*Interruptions*)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : यह सेक्युलरिज्म सिखाती है, लेकिन माइनोरिटीज़ के साथ धोखा करती है।...(व्यवधान) मैं इनसे एक जवाब मांगती हूं कि सिखों की हिफाजत के लिए यह सरकार क्या कर रही है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : बातें बोलने वाली बहुत हैं...(व्यवधान) लेकिन यह सरकार इतने दिनों से कर क्या रही है, यह बताए?...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: It has all been raised. Everything has been raised. The hon. Minister has to respond now.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डॉ. राजन सुशान्त, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट और श्रीमती जे. शांता को श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, मेरा छोटा सा सवाल है। 11 जनवरी, 2011 को मलेशिया में एक जहाज डूब गया।...(व्यवधान) उसमें 12 लोग लापता हो गये...(व्यवधान) 8 लोगों की डैड बॉडी तो मिल गयी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वह बात हो गई है।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: मैंने विदेश मंत्रालय को दो-दो बार लिखा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

... (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA: Madam, I have, in my reply stated ... (*Interruptions*)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : Madam Speaker, Indian boys are suffering there. ... (*Interruptions*) I want to make a small request to the hon. Minister. The Indian students have gone to the United States of America and America has given them visas. What mistake is committed by Indian students? This Tri Valley is a bogus university. If the same thing has happened to citizens of any other country, the entire country will react. Why are we not reacting? About 1,500 students have gone there with valid visas and we are saying that some federal inquiry is going on. We want the Indian Government to immediately tell the US Government that they are at mistake, not the Indian students. Indian students did not do any wrong. So, I request the Minister to do the needful. ... (*Interruptions*)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): तीन दिन पहले ही तीन हजार डॉलर देकर वे स्टूडेंट्स ्जेल से बाहर आए हैं। मैडम, आप हमको टाईम क्यों नहीं देते हैं। ये हमारे आंध्रप्रदेश के स्टूडेंट्स हैं। … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You have already given your speech. Please take your seat now.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The hon. Minister will reply now.

SHRI S.M. KRISHNA: Madam Speaker, with reference to the turban which is worn by our Sikh brothers, I would like to submit that we have the highest respect for the turban that they wear and we have the greatest respect for the entire Sikh community because they are the defenders of our security, they are the defenders of our country. Whenever such instances have been brought to the notice of the Government of India, we have always taken it up with the concerned Governments, whether it is the United States of America or some other country. We have said that due courtesies and respects to the religious and cultural sensitivities of all travelers – it is not only confined to the diplomats but all travelers – have to be taken into account by the Government.

Now, with reference to the Tri Valley issue, there are about a lakh Indian students there in USA. Why should only these 1,500 students be singled out?

श्री नामा नागेश्वर राव : मैडम, हम लोग वाक आउट कर रहे हैं। यह छोटे से इश्यू को हल नहीं कर पा रहे हैं।...(व्यवधान)

14.18 hrs.

At this stage Shri Nama Nageshwara Rao left the House

SHRI S.M. KRISHNA: Since it was a bogus institution, there is a federal inquiry going on and we will have to await the conclusion of this inquiry. We are dealing with a sovereign country like the United States of America. It is not a colony of India where we can dictate terms to them. We are dealing with a country with which we have relationship, civilized relationship, bilateral relationship and

strategic partnership. If there are problems, those problems have to be put across and then they have to be decided.

The hon. Leader of the Opposition did raise this issue. I know that this Tri Valley issue is a ticklish problem. We are trying to find a solution and it is going to take some time. I can certainly convey to the Leader of the Opposition our anxiety, the Government's anxiety, the Government's concern on this issue. We have as much concern as has been expressed by the Leader of the Opposition.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2012, in respect of the head of Demand entered in the second column thereof against Demand No. 31 relating to the Ministry of External Affairs."

Demands for Grants –Budget (General) for 2011-2012 submitted to the vote of the Lok Sabha

No.	**Name of the Demand**	**Amount of the Demand for Grants submitted to the vote of the House**	
1	**2**	**3**	
		Revenue (Rs.)	Capital (Rs.)
31	Ministry of External Affairs	6314,97,00,000	791,00,00,000

The motion was adopted.

14.19 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fifteen of the Clock.

15.17 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seventeen minutes past Fifteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2011-12- Contd.
Ministry of Mines

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand No. 66 relating to the Ministry of Mines.

Cut Motions to the Demand for Grant by Shri Hansraj Gangaram Ahir and Shir Sk. Saidul Haque have been circulated. Hon. Members may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case the hon. Members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2012, in respect of the head of Demand entered in the second column thereof against Demand No. 66 relating to the Ministry of Mines."

Demands for Grants –Budget (General) for 2011-2012 submitted to the vote of the Lok Sabha

No.	Name of the Demand	Amount of the Demand for Grants submitted to the vote of the House	
1	2	3	
		Revenue (Rs.)	Capital (Rs.)
31	Ministry of Mines	614,97,00,000	39,21,00,000

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं आज खान मंत्रालय के मांगों की अनुदान के संदर्भ में, यहां पर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समर्थन इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि खान मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और खान मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश में जो हमारी खनिज संपदा है उसके नियमन, उसके जतन और उसके खनन का काम जारी होता है। हमारा देश इस समय एक प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी के दौर से गुजर रहा है। यहां पर जो औद्योगिक विकास है, वह अलग-अलग क्षेत्रों से समर्थन प्राप्त करके, ताकत प्राप्त करके बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में खान मंत्रालय का, खनिज पदार्थों का, खनिज संपदा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन खनन के साथ-साथ कहीं न कहीं हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि चुनौतियां क्या हैं?

खनन के साथ साथ हमें कहीं न कहीं इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि चुनौतियाँ क्या हैं। मसलन, जब हम खानों में खुदाई करते हैं तो जंगल पर असर पड़ता है, पर्यावरण पर असर पड़ता है और जो स्थानीय निवासी होते हैं, विशेषकर जिसमें आदिवासी समाज के लोग होते हैं, उनके जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। उन चुनौतियों को सामने रखते हुए, उन चुनौतियों को देखते हुए खान मंत्रालय को आने वाले दिनों में अपना कामकाज जारी रखना पड़ेगा। मुझे बहुत आनन्द हो रहा है यह बताते हुए कि विशेषकर पिछले दो वर्षों में खान मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से, बहुत ही ज़िम्मेदारीपूर्वक इस दिशा में काम प्रारंभ किया है। यही वजह है कि अगर आप 2010-11 के खान मंत्रालय की रिपोर्ट देखें तो लगभग दो लाख करोड़ रुपये का योगदान है हमारे जीडीपी को। दो लाख करोड़ रुपये के योगदान का अर्थ यह हुआ कि लगभग 2.26 प्रतिशत का जीडीपी को योगदान है जो आगे बढ़कर तीन-चार प्रतिशत भी हो सकता है। यानी देश के औद्योगिक विकास को आगे लेकर जाने के लिए खान मंत्रालय का अपना योगदान है और खान मंत्रालय के कामकाज को और गति देने की आवश्यकता है।

हमारे देश में इस वक्त लगभग 87 ऐसे मिनिरल्स हैं जिनका खनन हो रहा है। उसमें विशेषकर 60-62 के आस-पास ऐसे मिनिरल्स हैं जो खान मंत्रालय के अधीन आते हैं। कोयला अलग है, लिग्नाइट अलग है, पैट्रोलियम मिनिरल्स अलग हैं, एटॉमिक मिनिरल्स अलग हैं, लेकिन इनके हिस्से जो भी मिनिरल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से उनका एक्सप्लोरेशन हो रहा है, उनका पता लगाया जा रहा है, उसके बाद उसका एक्सकैवेशन हो रहा है, एक्स्ट्रैक्शन हो रहा है। यह सब करते हुए जब खान मंत्रालय ने इस बार वित्त मंत्री महोदय से अपनी डिमांड रखी, अपना आउटले मांगा तो पिछले साल की तुलना में, जहाँ पिछले साल 1100 करोड़ रुपये के आसपास आउटले था, इस साल बढ़कर 1589 करोड़ 42 लाख रुपये हुआ। मैं इसके लिए वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने खान मंत्रालय की इस पूरी मांग को समझा और उसे आगे बढ़ाया। लेकिन खान मंत्रालय के आउटले को बढ़ाने के साथ साथ, खान मंत्रालय के अंदर की जो समस्याएँ हैं, उनको भी समझना आवश्यक है। पिछली दो-तीन स्टैन्डिंग कमेटीज़ ने खान मंत्रालय के कामकाज पर जो टिप्पणी की है, मैं चाहूंगा कि मैं उसकी चर्चा करूँ। विशेषकर नाल्को और जीएसआई के कामकाज के संबंध में जो काम चल रहा है, वह बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा संतोषप्रद नहीं है। दिसम्बर 2009 में स्टैन्डिंग कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा - The Committee also commented on the under-utilisation of funds allotted to NALCO and GSI, and the Committee reported that only 38 per cent of the allocated fund was utilised. मुझे लगता है कि इसको मंत्रालय को गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं। जीएसआई की समस्या यह है कि नई-नई टैक्नोलॉजी आ रही है, नई विधाएँ आ रही हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। यह बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात है कि हमारे यहाँ जीएसआई यह कहती है कि जियोलॉजिस्ट्स की बहुत कमी है। 1500 पद जीएसआई में जियोलॉजिस्ट्स के खाली पड़े हैं। उन्होंने शायद एचआरडी में बात भी की है, यूपीएससी के संपर्क में आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जियोलॉजिस्ट्स की नियुक्ति होनी चाहिए, एचआरडी मिनिस्ट्री को कहा गया है कि अलग-अलग युनिवर्सिटीज़ में, अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में जियोलॉजी की पढ़ाई बढ़ायी जानी चाहिए ताकि ज्यादा प्रशिक्षित इंप्लाइज़ हमें मिल सकें। इस दिशा में काम आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ऐसा मुझे लग रहा है।

नाल्को एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग 5000 करोड़ रुपये की कंपनी है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि नाल्को का बाल्को नहीं हुआ। जब एनडीए के ज़माने में डिसइनवैस्टमैंट का राक्षस पूरे देश में घूम रहा था, तब यह नाल्को बेचारा बच गया, लेकिन आज नाल्को बहुत अच्छे ढंग से काम कर

रहा है और बहुत अच्छे ढंग से प्रॉफिट में भी है। इस नाल्को को और ताकत देने की आवश्यकता है। उनके पास जो अलग अलग बॉक्साइट के माइन्स हैं, उनको अख्तियार करने और उसमें खनन की प्रक्रिया शुरू करने, उसके अलावा उनको जो कोल माइन्स चाहिए अपना कैप्टिव पावर यूनिट बनाने के लिए, उस दिशा में काम आगे बढ़ाने के लिए उनको जो अड़चनें आ रही हैं, उन अड़चनों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर राज्य सरकारों से उनको जो एनओसी और अनुमति मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हो रही है। यह मंत्रालय के अंदर की एक-दो छोटी-मोटी समस्याएं हैं जिन पर मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है।

मैं मंत्री महोदय के सामने एक और चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे जो टार्गैट्स हैं खान मंत्रालय के दोनों पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के, वह हम कहीं न कहीं अचीव नहीं कर पा रहे हैं। 2009-10 में हमारा टार्गैट यह था कि 55,80,000 मीट्रिक टन बॉक्साइट निकालना था नाल्को को। जो एक्चुअल्स आए, वह 47,87,888 मीट्रिक टन हुआ। यानी कहीं न कहीं हम अपने टार्गैट्स को अचीव नहीं कर पाए। इस साल भी हमने जो टार्गैट रखा है, 2010-11 में जो टार्गैट रखा था, वह 49,80,000 मीट्रिक टन के आसपास था। जनवरी 2011 तक हमने जो टार्गैट अचीव किया है, वह 39,31,015 मीट्रिक टन है। यही हाल एचसीएल का भी है। खान मंत्रालय के इन दोनों महत्वपूर्ण पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के कामकाज को और चुस्त-दुरुस्त और तेज़ किया जाए, इसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा। क्योंकि कहीं न कहीं इनकी बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है खनन और खनिज संपदाओं का एक्सट्रैक्शन और खनन करने में, तथा पूरे देश के औद्योगिक विकास की दिशा में उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए।

महोदय, पूरे खान मंत्रालय को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ तीन-चार लैजिस्लेशन्स हैं। मुख्य तौर पर हमारे यहाँ 1957 का एक कानून है माइन्स एंड मिनिरल्स रेगुलेशन अमैंडमैंट एक्ट। खनन के क्षेत्र में इतनी सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन अभी भी हम उसी कानून के तहत काम कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर चिन्ता की बात है। मुझे ऐसा बताया गया है कि माइन्स एंड मिनिरल्स रेगुलेशन अमैंडमैंट बिल 2011 के नाम से एक नया अमैंडमैंट बिल लाने की सरकार सोच रही है और वह शायद जीओएम के पास है। मैं चाहूँगा कि वह बिल जल्दी लाया जाए और उस बिल के माध्यम से खनन क्षेत्र में जो चुनौतियाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने की दिशा में काम करना चाहिए।

मुख्य तौर पर देखा जाए तो खानों के आस-पास जो स्थानीय लोग रहते हैं जहाँ खनिज संपदाएँ हैं, उन लोगों का भी हक बनता है, लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने का उनका हक बनता है। इस नये बिल

में इस प्रकार का प्रावधान अवश्य होना चाहिए और यह प्रावधान रखने की दिशा में मेरे ख्याल से सरकार सोच भी रही है कि लगभग 25 से 26 प्रतिशत के आस-पास हिस्सेदारी स्थानीय लोगों की होनी चाहिए। आप स्वयं झारखंड जैसे प्रांत से हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध है। ऐसे में आदिवासी समाज का समर्थन करने के लिए, आदिवासी समाज को सहयोग देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए मुझे लगता है कि इस बिल में यह विशेष प्रावधान बहुत आवश्यक है। इस विशेष प्रावधान के साथ-साथ माइन्स एंड मिनिरल्स के क्षेत्र में कंपीटीटिवनैस लाने की आवश्यकता है, ट्रांसपेरेन्सी लाने की आवश्यकता है, पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। तकलीफ़ यह है कि हमारे यहाँ की तमाम जो खनिज संपदाएँ और खान हैं, हमारे देश में सैन्ट्रल गवर्नमैंट उसको रैगुलेट करती है लेकिन उसको लीज़ पर देने का जो अधिकार है, वह राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा केन्द्र सरकार से अनुमति मांगती है कि हम यह पीस ऑफ लैन्ड खनन के लिए फलां-फलां कंपनी को देना चाहते हैं। सैन्ट्रल गवर्नमैंट उसको परमीशन देती है। उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय से एक अनुमति मांगी जाती है। पर्यावरण मंत्रालय भी अगर सब कुछ ठीक है, तो अनुमति देता है। इन दोनों एनओसीज़ के समय सरकार के दोनों मंत्रालयों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि ट्रांसपेरेन्सी हो, लोगों के जीवन पर बुरा असर न पड़े, इस बात का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। खनन क्षेत्र में तरक्की और प्रगति भी होनी चाहिए। उसको रोकने की भी आवश्यकता नहीं है। नये बिल के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास हो रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

हमारे यहाँ 1993 में एक नेशनल मिनिरल पॉलिसी बनाई गई थी। उसी समय अर्थव्यवस्था को खोला गया था, उसी समय यह पॉलिसी आई। उस पॉलिसी का एक मूल उद्देश्य मैंने देखा कि जो एफडीआई होता है, जो विदेशी निवेश होता है, उसके ऊपर ज्यादा ज़ोर दिया गया और बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वैन्चर करके हमारे देश में जो हमारी स्थानीय कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों ने खनन के क्षेत्र में अपना काम शुरू किया है। उसके बाद नेशनल मिनिरल पॉलिसी में मैं यूपीए सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि जब यूपीए-1 आई और जब खान मंत्रालय की लगातार उपेक्षा हो रही थी तो यूपीए1 ने 2008 में एक और विस्तृत तथा कंप्रिहैन्सिव किस्म की पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के माध्यम से माइन्स एंड मिनिरल्स के क्षेत्र में और भी बेहतर ढंग से कैसे काम किया जाए, उसका प्रयास किया गया। उस प्रयास के तहत राज्य सरकारों को ज्यादा ताकत दी गई। 2008 की पॉलिसी के तहत राज्य सरकारों को कहा गया कि ज्यादा ताकत आपके पास है इसको लीज़ के राइट्स देने के लिए और उसका नियमन करने के लिए। इस क्षेत्र में उस पॉलिसी के माध्यम से कुछ ज्यादा प्रयास किया गया।

लेकिन वर्ष 2008 के बाद से हमारे देश में समस्याएं पैदा हुई हैं, जो कि चिंता की बात है, वह जो चिंता है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह चिंता अवैध खनन से जुड़ी हुई है। हमारे देश में जो

इल्लीगल माइनिंग चल रही है, वह बहुत बड़ी चिंता की बात है। कर्नाटक, उड़ीसा और झारखण्ड में तेजी से...(व्यवधान) महाराष्ट्र भी हो सकता है।...(व्यवधान) सवाल महाराष्ट्र या कर्नाटक का नहीं है, सवाल इस देश का है। इस देश की महत्वपूर्ण खनिज संपदा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ खनिज संपदा के ऊपर सरकारों का अपना नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है। यह अपने आप में चिंता की बात है। अलग-अलग राज्यों की बात करें तो एक राज्य में यह बहुत ज्यादा हो रहा है। इस देश का नागरिक होने के नाते मैं चिंता व्यक्त करना चाहता हूं, अन्य राज्यों में क्या हो रहा है और वहां की सरकार क्या कर रही है? वह अलग बात है। लेकिन कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है। विधान सभा में जब यह विषय उठा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए, वे भी बैठ गए हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखना चाहता हूं कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, विधान सभा में कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सवाल के ऊपर खुद बयान दिया है। इसलिए इस बयान की गंभीरता को समझना चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं।...(व्यवधान)

---

* Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कर्नाटक का मामला छोड़कर बोलिए, उसे लास्ट में बोलिएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपनी बात बाद में बताइगा।

...(व्यवधान)

SHRI SANJAY NIRUPAM : The Chief Minister of Karnataka had admitted on the floor of the Karnataka Assembly that out of a total 30 million tonnes of iron ore export in 2009-10, transportation permit was issued only for 7.12 million tonnes. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : निरूपम जी के अलावा किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): ठीक है, जब आप बोलेंगे, तब हम सुनेंगे, लेकिन यह किसी राज्य का प्रश्न नहीं है, यह देश का प्रश्न है। देश के किसी एक हिस्से में...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान) *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN

THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, their Party Member is going to speak. If whatever the hon. Member has said is wrong, he can counter it. Why is he disturbing the Member when he is speaking? … (*Interruptions*)

He is quoting from the record. When you get your time, you reply to his point. When BJP Members are going to speak, you speak. You counter him when you speak.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जब बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलिए। अभी आप बैठ जाइए।

SHRI SANJAY NIRUPAM : Let me give the details of illegal iron ore transported in Karnataka as reported by the hon. Chief Minister. डिटेल्स क्या हैं? यह एक दिन की बात नहीं है, माफ करिए, मैं किसी एक सरकार, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। कर्नाटक में जो परमिशन दिए गए थे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जब बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलिए।

श्री संजय निरुपम : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, कोट कर रहे हैं।

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने देश के एक माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान को पढ़ कर सुना रहा हूं।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी ने जो डिटेल दी हैं, details of iron ore exported from the State. सबसे पहले खनन करने के लिए परमिट कितने दिए गए - 4,70,43,196 टन का एक परमिशन था और एक्सपोर्ट 7,75,33,923 टन हो गया। मतलब, लगभग तीन करोड़ टन ऑयरन-ओर इस देश से दुनिया के किसी अन्य देश में चला गया, एक्सपोर्ट हो गया और ये सब कर्नाटक में हुआ। मेरे साथी, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो मुख्य मंत्री जी ने बातें कही हैं, वे सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं। लगभग तीन करोड़ टन ऑयरन-ओर कर्नाटक से over a period of time, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पिछले दो साल में हुआ है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please sit down.

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने कोट किया है, कोई आरोप नहीं लगाया है।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not going on record.

(Interruptions) ...[*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जब बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलिए।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाएं, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान) *

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 3,4,90,727 टन ऑयरन-ओर कर्नाटक से इल्लिगली एक्सट्रेक्शन हुआ और उसके बाद वह एक्सपोर्ट हो गया। उसकी अगर हम कीमत निकालते हैं तो लगभग 11,433 करोड़ रुपए की खनिज सम्पदा इस देश से कहीं और चली गई।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में बाकायदा एक सेंट्रल ऐम्पॉवर्ड कमेटी बनी। उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दीं। कर्नाटक के जो लोकायुक्त हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि बेल्लारी में लगभग सात ऐसी माइन्स हैं, जहां से कंटीन्यूअस अर्थात् नियमित तौर पर इल्लीगल माइनिंग चल रही है। मैंने प्रारम्भ में कहा था कि लीज देना, ...(व्यवधान) सर, यह कर्नाटक के लोकायुक्त महोदय की रिपोर्ट है। मेरी रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है, लोकायुक्त गलत हों, मैं मान सकता हूं, लेकिन रिपोर्ट तो लोकायुक्त की है। अगर यह मेरी रिपोर्ट होती, तो मैं मान लेता और वापस भी ले लेता। यह लोकायुक्त की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार इल्लीगल माइनिंग चल रही है। इल्लीगल माइनिंग से कितना नुकसान हो रहा है, वह मैंने अभी बताया । मैंने प्रारम्भ में एक बात कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक बहुत ही सीमित भूमिका होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एन.ओ.सी. दे सकती है, उसके बाद जो खान को एलॉट करना, खनन किस तरीके से हो रहा है, उसे देखना, उसमें इल्लीगल खनन हो रहा है या नहीं, यह देखना आदि ये सारे राज्य सरकार के काम हैं। ...(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया टोका-टोकी न करें। श्री संजय निरूपम के अतिरिक्त किसी भी माननीय सदस्य का भाषण रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा सुषमा जी कि जरा आप अपने साथियों को समझाएं कि वे चुप रहें और सुनने की क्षमता तथा सहनशीलता रखें। मैं भी सुनूंगा और हम सब आपको सुनेंगे। सी.सी. रिपोर्ट क्या कहती है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वह रिपोर्ट कहती है कि-

> "Report of a fact finding three member Committee of AP Government and DFO, Anantapur notice clearly indicate that actual on-ground excavations are not tallying with the permits issued by the Department of Mines and Geology of Andhra Pradesh and material moved out of Andhra Pradesh."

महोदय, आंध्र प्रदेश का नाम क्यों आ रहा है। यह भी समझने की जरूरत है। बेल्लारी की जो माइंस हैं, वे बॉर्डर एरिया में हैं। माइंस कर्नाटक के क्षेत्र में हैं और वहां से मिनरल्स निकाल कर आंध्र प्रदेश की तरफ भेजे जाते हैं। एक ट्रक में 15 टन आयरन ओर आ सकता है, लेकिन उसमें 30-30 टन आयरन ओर ढोया जा रहा है। माइंस से लेकर शहर तक, जिस रास्ते से ट्रक जाते हैं, उन्हें आप देख लीजिए, सब रास्ते तहस-नहस हो गए हैं। आज मुझे कुछ साथी बता रहे थे कि उन रास्तों से यदि गाड़ियों में बैठकर निकलें, तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यह एक दिन से नहीं चल रहा है, बल्कि वर्षों से चल रहा है और पिछले दो-तीन वर्षों से बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। दो-तीन वर्षों से कौन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह जानकारी आपको भी है, हमें भी है। मैं चाहूंगा कि एक मर्यादा के तहत उन बातों को सामने लाया जाए और सदन में उन पर चर्चा हो। मैं चाहूंगा कि सदन उसका संज्ञान ले, सरकार उसका संज्ञान ले और देश उसका संज्ञान ले। सी.सी. रिपोर्ट ने एक पूरी जानकारी निकाली, उसमें एक कंपनी को पाया, जिसका नाम है ओबुला पुरम माइनिंग कंपनी। यह ओबुला पुरम माइनिंग कंपनी, किस व्यक्ति की है, अगर जानकारी न हो, तो मैं बता देना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कंपनी का नाम मत लीजिए।

श्री संजय निरुपम: मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन यह जो कंपनी है, ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। किसी का नाम नहीं लिया है। कंपनी का नाम बताया है और कंपनी का नाम बताया जा सकता है।

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने केवल कंपनी का नाम बताया है। यह जो माइनिंग कंपनी है, उसके मालिक कर्नाटक में एक मंत्री हैं। मैं, नाम नहीं बता रहा हूं। ये मंत्री महोदय वर्ष 2001 तक एक लाख रुपए के मालिक थे। वर्ष 2003 में उन्होंने 2 लाख रुपए का इन्कम टैक्स रिटर्न भरा है और आज 3 हजार करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इतनी जबर्दस्त विकास दर तो मुझे लगता है कि मुम्बई के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की भी नहीं है। मुझे यह बताने में कोई शर्म नहीं आ रही है। मुझे शर्म नहीं आ रही है, बल्कि मुझे एक चिन्ता जताना है कि आखिर इतनी तेजी से क्या वैध तरीके से, वैधानिक तरीके से धन कमाया जा सकता है? पूरी बेल्लारी में जितनी भी माइन्स हैं, उन माइन्स से अगर खनन होता है, तो बगैर इन मंत्री महोदय के इशारे या परमीशन के उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है।

हफ्ता वसूली होती है और प्रति दिन 15 से 20 करोड़ रुपए की इस कंपनी की कमाई है। अपनी माइंस और दूसरों की माइंस, सभी से कमाई हो रही है। अपनी माइंस में परमिट मान लीजिए 100 टन का है, लेकिन प्रति दिन 500 टन का खनन चल रहा है, कोई रोक-टोक नहीं है, कोई चैक नहीं है। ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट की है। रोड ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की। सारी चैक पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट की हैं और एक पोर्ट से यह नहीं हो रहा है। मैं आप कहें, तो मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ कर सुना देता हूं- गोआ का पोर्ट है, चेन्नई का पोर्ट है, विशाखापट्टनम का पोर्ट है। इन पोर्टों के जरिए कहां-कहां आयरन ओर भेजा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा चायना भेजा जा रहा है।

महोदय, कल चायना के खतरे के ऊपर बहुत बताया गया कि साहब, चायना पूरे हिन्दुस्तान को निगल लेगा और उस चायना के साथ अवैध संबंध रखने वाले, उस चायना के साथ अवैध धंधा करने वाले कर्नाटक में मंत्री हैं। जब पूरे खनन के दरम्यान सिर्फ माइंस निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ आदिवासियों के घर तबाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि 400 साल पुराना एक मंदिर तोड़ डाला। सरकार ने कहा, नहीं मंदिर नहीं तोड़ा, बकवास है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। Ironically, the Director of OMC has filed a sworn affidavit before the High Court of Karnataka in a related case arguing that the temple was in the leased area of OMC. आप कहेंगे कि यह बकवास है। मैं बताना चाहता हूं कि वह 400 साल पुराना मंदिर आज वहां नहीं है। ये लोग मंदिर की राजनीति करने वाले हैं। ये हिन्दुत्व की बात करने वाले लोग हैं। पूरे देश में मंदिर के नाम पर आग लगाने वाले ये लोग हैं और वहां एक मंदिर को नहीं बख्शा। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब ओ.एम.सी. कंपनी के जो मैन डायरैक्टर हैं, कर्नाटक के मंत्री महोदय, वे एक कंपनी में डायरैक्टर हैं, जो कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। GLA Trading International Private Limited is the company to which all the illegal exports have been made. A new Director, Nayan Agarwal was appointed on 28th January, 2010 after this scam became public. The GLA Trading International Private Limited had a paid up capital of one Singapore dollar and its present paid up capital is only 201 Singapore dollars. The company is registered as an entertainment and food and beverages company. This entertainment company having a capital of 201

Singapore dollars is importing iron-ore worth US $ 15 crore. एंटरटेनमेंट कंपनी आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रही है। ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो ठीक से बोलने भी नहीं दिया गया। बीच-बीच में काफी टोका-टोकी की गई।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया।

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, एक एंटरटेनमेंट कंपनी जो सिंगापुर बेस्ड है। वह 15 करोड़ डॉलर का आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रही है और उस कंपनी के जो डायरैक्टर हैं वे कर्नाटक के एक माननीय मंत्री महोदय हैं। उसके बारे में एक रिपोर्ट आती है कि The only shareholder of GLA Trading International Private Limited earlier besides this Minister was Inter-Link Services Group Limited, a company which is registered in British Virgin Island.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप कृपया डिमांड पर बोलिए।

श्री संजय निरुपम : ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड मतलब क्या हुआ। मैं माइंस की डिमांड पर ही बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष जी, ऐसी तीन फर्जी कंपनियां, जो कि दुबई और सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं, उनमें कहीं न कहीं डायरैक्टर कर्नाटक के मंत्री महोदय हैं। तीन-चार दिन पहले खबर आई कि सिर्फ वर्जिन आइलैंड में ही इनके एकाउंट्स नहीं है, बल्कि आइल ऑफ मैन में भी इनके एकाउंट्स हैं। यह जो काला धन, काल धन चल रहा है, सबसे पहले तो ये अपने मंत्री को बोलें कि अपना काला धन हिन्दुस्तान में लाएं। सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। 400 बिलियन डॉलर और 500 बिलियन डॉलर की जो कहानी आ रही है, ये यही तो सोर्सेस हैं। स्रोत कहां है। इस प्रकार देखें, तो ये माननीय मंत्री महोदय इल्लीगल माइनिंग के सरताज हैं, बेताज बादशाह हैं।

इनके खिलाफ 9 एन.बी.डब्लू. हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स हैं।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्री पर?...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : जी हां, मंत्री पर। There are nine Non-Bailable Warrants (NBW) against this Minister. It is stated :

"On 18 September, 2006, *(Interruptions)* ...* Tumti Mines Company (TMC) had lodged a complaint with the Torangal, Karnataka Police that Mr. Minister alongwith an accomplice had led a team to blast the tri-

* Not recorded.

junction point on the Karnataka-Andhra border and encroached upon mines belonging to TMC..."

उपाध्यक्ष महोदय : नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री संजय निरुपम : "...The court of Sandur First Class Judicial Magistrate issued a non-bailable arrest warrant on 30 December 2009 for non-appearance before court…"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री संजय निरुपम : आज तक 10 बार कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि आप कोर्ट में एप्पियर होइये। इतनी बड़ी चाल, चरित्र और चिन्तन वाली पार्टी है, लेकिन उसके मंत्री आज तक कोर्ट में एप्पियर नहीं हुए। अभी मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

मैं आखिरी मुद्दे पर आता हूं। आखिरी मुद्दा यह है कि अब इन मंत्री जी का मामला क्या है। क्यों इन मंत्री जी को नहीं...(व्यवधान) इन मंत्री जी का एक बयान आता है। इन मंत्री जी का एक बयान पढ़ने को मिला है:

"My entry into politics is purely accidental. I will always be a businessman first, but it is my childhood friend *(Interruptions)* ... *… who is the politician, he says recounting the often told story of *(Interruptions)* ... * emotional connection with *(Interruptions)* ... *…"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। बैठ जाइये।

श्री संजय निरुपम : हो सकता है कि यह बयान गलत हो...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपकी बात समाप्त हो गई।

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बात पूरी करने दीजिए। हो सकता है कि यह बयान गलत हो, लेकिन सुनी हुई बातें गलत हो सकती हैं, कहीं हुई बातें गलत हो सकती हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपम : लिखी हुई बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन छपी हुई तस्वीर गलत नहीं हो सकती। मैं यह तस्वीर सदन के पटल पर रख रहा हूं, जिसमें हमारी बहन, हमारी दीदी इन दोनों मंत्रियों को उनके सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रही हैं।...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपम : सुषमा जी को कभी ये ताई बोलते हैं, कभी अम्मा बोलते हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी हर बात का विरोध करेंगे और मुझे बैठा देंगे। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय आधा घंटा था, वह समाप्त हो गया। आपने 40 मिनट अपनी बात बोली है।

श्री संजय निरुपम : जो सुबह शाम इस सदन में हर मामले में घोटाला ढूंढते हैं, यहां तक कि गरीब लोगों को 8X8 का जो खोका आबंटित किया जाता है, उसमें भी घोटाला देख लिया गया, लेकिन इन लोगों को इतना बड़ा माइनिंग का घोटाला आज तक नहीं दिखा? मुझे बहुत अच्छा लगता, अगर लीडर ऑफ अपोजीशन की तरफ से यह विषय सदन में रखा जाता और कहा जाता कि इस मामले में भी छानबीन होनी चाहिए। यह दूसरी बात है कि बी.जे.पी. ने मांग नहीं की, लेकिन उसकी छानबीन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में सी.बी.आई. की इन्क्वायरी चल रही है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री संजय निरुपम : सुप्रीम कोर्ट मोनीटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस शाह कमीशन काम कर रहा है। अब इस पूरे मामले में इसलिए चुप्पी साधी गई है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री संजय निरुपम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। अब इस पूरे मामले में चुप्पी इसलिए साध कर रखी गई है, क्योंकि ये जो मंत्री महोदय हैं, जो रातों-रात, कहा जाता है कि एक लाख करोड़ के आदमी हो गये हैं, उन्होंने कहीं एक बयान दिया कि हमको अपनी ताई को प्रधानमंत्री बनाना है *(Interruptions) ...*[*]

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA (UDUPI-CHIKMAGALUR): Sir, this is wrong. … (*Interruptions*) What is this? … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री संजय निरुपम : अरे, अगर प्रधानमंत्री बनना है तो जनता के आशीर्वाद से बनिये, किसी लुटेरे, किसी फ्रॉड और इल्लीगल माइनिंग में शामिल लोग, जो फेरा का वायलेशन कर रहे हैं...(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हंसराज अहीर। अब बन्द कीजिए। अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपम : जो पूरे के पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं।...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो नाम लिया गया है, वह डिलीट होगा। जितने भी नाम भाषण के दौरान लिए गए होंगे, वे डिलीट होंगे।

श्री संजय निरुपम : मेरा निवेदन यह है कि एक साथ दोगली नीति नहीं चलेगी। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सिर्फ 2जी स्कैम पर नहीं लड़ना है, इल्लीगल माइनिंग के स्कैम के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। अगर आपमें ताकत है, अगर आप ईमानदार हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपम : भ्रष्टाचार को दूर करने का संकल्प है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती हैं तो इल्लीगल माइनिंग खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने इस मंत्री तो तिलांजलि दो।

अपने इस मंत्री को सरकार से निकालो। आप इस मंत्री को नहीं निकाल पाए, येदुरप्पा को क्या निकाल पाए हो, वह तो खुद ही बेचारा इस मंत्री से त्रस्त है। उस कर्नाटक में ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री संजय निरुपम : आज दोपहर में देवगौड़ा जी एक विषय रख रहे थे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए। बहुत टाइम हो गया।

श्री संजय निरुपम : मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत कुछ बोला, आपकी बात हो गयी। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास मेरी पार्टी का दिया हुआ टाइम है। मैं निवेदन कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह टाइम समाप्त हो गया। क्या और लोग नहीं बोलेंगे?

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : नहीं बोलेंगे और लोग। ...(व्यवधान) मैं कमिटमेंट दे रहा हूं और कोई नहीं बोलेगा। ...(व्यवधान) कर्नाटक राज्य सरकार की अपनी एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, उसका नाम मैसूर मिनरल्स लिमिटेड है। उस कंपनी ने जेएसडब्ल्यू के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया। यह तय हुआ कि मैसूर मिनरल्स लिमिटेड के अपने अख्तियार के जो खान हैं, उनसे आयरन ओर निकालेंगे और बाद में

अपनी स्टील कंपनी के लिए इस्तेमाल करेंगे, बदले में उनको रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को पेमेंट करना था। पिछले तमाम वर्षों में जेएसडब्ल्यू ने एक पैसा भी रॉयल्टी नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से खींचतान कर 30-35 करोड़ रूपए दिया, जबकि 118 करोड़ रूपए की बकाया राशि उसके ऊपर है। उसके लिए देवगौड़ा जी के सुपुत्र जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने उनको नोटिस दिया। उसकी कापी मेरे पास है, उसमें है कि जितनी जल्दी हो सके, पैसा दो। लेकिन उस डिफॉल्टर कंपनी को, उस पर जो 118 करोड़ रूपए बकाया थे, उसे कर्नाटक के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने माफ किया। अब चिंता की बात यह बनती है कि उसी जेएसडब्ल्यू की तरफ से कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के सुपुत्र के नेतृत्व में जो प्रेरणा ट्रस्ट है, उसमें 27 करोड़ रूपए बाई-चेक पेमेंट आया। ...(व्यवधान) कभी टेलीविजन के सामने सरेआम एक लाख रूपए नगद लेते हो और कभी अपनी शिक्षा के लिए बनाए ट्रस्ट में चेक से रिश्वत लेते हो। आप ईमानदारी और ट्रांसपरेंसी की बात करते हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए उपस्थित होते हो। बीजेपी की जो दोमुही नीति है, उस नीति की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि कर्नाटक में जो इल्लीगल माइनिंग चल रही है, उसकी एक साफ-सुथरी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने बहुत सारे एक्शन लिए। जयराम रमेश साहब, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने तमाम चिट्ठियां भेजीं, एडवाइजेज भेजीं, लेकिन राज्य सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी राज्य सरकार के ऊपर इस प्रकार का दबाव डाले कि साहब, आज आप हैं, कल आप नहीं रहेगा, कोई और होगा, लेकिन इस देश की जो खनिज संपदा है, उसकी लूट नहीं होनी चाहिए। खनिज संपदा की लूट करने वालों को रोकने के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है, उन प्रयासों को सही रिस्पांस और उसके आलोक में सही एक्शन, सही काम-काज राज्य सरकार करे, ऐसा निर्देश भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कम से कम इल्लीगल माइनिंग रोकने के संदर्भ में दे। मुख्यमंत्री हटाने की हिम्मत तो इनमें नहीं थी, कम से कम जो गरीब लोगों का पूरा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, घर लूटा जा रहा है, जो आदिवासी सड़कों पर आ रहे हैं, देश के खजाने को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को रोकने के लिए, उस नुकसान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करे। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

CUT MOTIONS

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश की खनिज संपदा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि देश की जो खनिज संपत्ति है, देश के विकास में, देश की प्रगति में और देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, आर्थिक विकास के लिए इसका बहुत उपयोग हो सकता है। इस ओर सरकार ने इस क्षण तक इसका पूर्ण उपयोग करने का कभी प्रयास नहीं किया। उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस देश में करीब-करीब 90 प्रकार की खनिज संपत्ति है। हमने गौर से देखा तो इसमें ईंधन पर और जो मैटलिक खनिज संपदा है, गैर-मेटलिक खनिज संपदा है, परमाणु संपदा है, ऐसी कुल मिलाकर 90 प्रकार की खनिज संपदा हमारे देश में है।

16.00 hrs.

हम आज तक 32 में से 22 राज्यों की खनिज सम्पत्ति के बारे में जीएसआई द्वारा सर्वेक्षण कर पाए हैं। हमारे देश ने लोहा, ताम्बा, मैंगनीज़, सोना, प्लैटिनम, कोल, लिग्नाइट, यूरेनियम, हीरे, बाक्साइड आदि अनेक प्रकार की खनिज सम्पत्ति पाई है। यह खनिज सम्पदा देश की 120 करोड़ जनता की है। सौभाग्य से हमारा देश कोयला, लिग्नाइट, बाक्साइड और मैंगनीज़ में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में टॉप टैन में आता है। हमारे देश में लाइमस्टोन से लेकर प्लैटिनम, यूरेनियम जैसी महंगी से महंगी खनिज सम्पदा है। देश में वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है। देश में खनन सम्पत्ति के बारे में जो नीति बनी है, वह बहुत गलत है। खनन सम्पति में पहले आओ पहले पाओ या वहां खोजो और पाओ हो। मैं कोयले के बारे में कहना चाहूंगा कि वह कम से कम ढाई हजार रुपये टन है। आयरन ओर 4-5 हजार रुपये टन है। मैंगनीज़ ओर 6 हजार से 25 हजार रुपये टन है। यूरेनियम, प्लैटिनम, सोना आदि के बारे में खोजो और पाओ की नीति है। सरकार आरपी करती है, पीएल देती है, एमएल देती है। इसे देने के बारे में देश में जो नीति बनी हुई है, उसके चलते काफी परेशानी है। अगर हम इस देश की खनिज सम्पदा को देखें तो यह अमीर देश है। अमीर देश की खनिज सम्पदा को जिस तरह लुटाया गया, जैसे बंदर बांट की गई, यदि हम इसका कारण देखें तो पता लगता है कि इस देश के एमएमआरडीए कानून में पूरी खनिज सम्पदा बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बांटने में लगे हुए हैं।

हम सब लोग इस देश की बेरोजगारी के बारे में अवगत हैं। यदि देश में प्रगति करनी है तो सभी क्षेत्रों में इस सम्पदा का उपयोग करने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने इसका उपयोग बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए कर दिया है। मैं आपको इस बारे में उदाहरण भी दूंगा। इसके बारे में एक सर्वे आया हुआ है। लोक उद्यम के सर्वे में बताया गया है कि देश में पिछले चार वर्षों में खान मंत्रालय ने खनिज सम्पत्ति में जो कारोबार किया, वह वर्ष 2008 में 16,454 करोड़ रुपये, 2009 में 17,984 करोड़ रुपये और

2010 में 15,991 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ है कि हमारे मंत्रालय के खनिज सम्पत्ति के कारोबार में म पीछे जाने की कुछ वजह है और वह यह है कि हम निजी कम्पनियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जो कम्पनियां खनन क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे एनएमडीसी, नाल्को आदि, उन्हें हम प्रोत्साहित नहीं करते। देश की सबसे बड़ी कम्पनी जीएसआई, जो खनन क्षेत्र में काम करती है, उसे 503 करोड़ रुपये दिए गए हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स को 58 करोड़ रुपये, एमईसीएल को 9 करोड़ रुपये, सिक्किम में खनन करने के लिए 16 करोड़ रुपये दिए गए हैं। निधि का प्रावधान काफी बेकार तरीके से किया गया है। हमने देश के 22 राज्यों में खनन सामग्री पाई है। और भी कई राज्यों में खनन सामग्री की खोज करनी है।

इतने कम प्रावधान में हम खान क्षेत्र को न्याय नहीं दे सकते। इसलिए इस बजट को बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नही दिया। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि देश की एमएमआरडीए, यानी जो माइनिंग पालिसी है, उसमें कोयला, लिग्नाइट से लेकर बाक्साइट और आयरन ओर आदि सभी के लिए सरकार ने जो नीति बनायी है, उसने देश की लूट कर दी है। मैं यूपीए सरकार और उनके मंत्रियों को कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने देश को जितना लूटा, उससे ज्यादा इस यूपीए सरकार और कांग्रेस गवर्नमैंट ने देश को लुटाया है। ...(व्यवधान)

16.05 hrs.

(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

सभापति महोदया, मैं बिना आधार के नहीं कह रहा। कोयला मंत्री जी भी सौभाग्य से सदन में बैठे हैं। खान मंत्री जी को इस मंत्रालय में आये हुए एक-दो महीने ही हुए हैं इसलिए उनको पूरी जानकारी नहीं मिली होगी। लेकिन वे बहुत सज्जन मंत्री हैं। वे गुजरात से आते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का राज्य है। वे देश के सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, जिसकी दुनिया भर के लोग तारीफ करते हैं, फौजी अधिकारी भी तारीफ करते हैं। मंत्री जी, नरेन्द्र मोदी जी के राज्य के हैं, इसलिए निश्चित ही एक सज्जन व्यक्ति होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस मंत्रालय में आप बैठकर काम कर रहे हैं, वह एक अमीर मंत्रालय है। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने, इस देश में आज तक कांग्रेस की जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन्होंने कभी भी इस मंत्रालय को महत्व नहीं दिया। आपके पास अरबों-खरबों रुपये की प्रापर्टी है। आप एक अमीर मंत्री के रूप में बैठे हैं, लेकिन सरकार ने आपको काम करने के लिए केवल 1500 करोड़ रुपये ही दिये हैं। अगर वह 15000 करोड़ रुपये भी देते, तो वह भी कम होते, यानी इतनी सम्पदा देश में है। भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है, पवित्र भूमि कहा जाता है। दुनिया में इतनी खनिज सम्पत्ति किसी और देश में नहीं होगी जितनी यहां है। देश में इतनी विविध प्रकार की सम्पत्ति होते हुए भी हम गरीब हैं। इसकी वजह सरकार की गलत नीतियां हैं।

सभापति महोदया, मैं कोयला मंत्रालय के बारे में भी कहना चाहूंगा। कोयला मंत्री जी सदन में बैठे हैं। इनको आज तक यह नहीं मालूम कि कोयला क्या है? इन्होंने आज सुबह एक प्रश्न के जवाब मे कहा है कि हमने निजी क्षेत्र में कोल ब्लॉक का आबंटन किया है। इन्होंने 208 कोल ब्लॉक बांटे हैं। यह जवाब इन्होंने आज सुबह ही दिया है। अब आप इनकी ईमानदारी देखिये, इन्होंने हमें लिखित जवाब भी दिया है। इन 208 कोल ब्लॉक्स में 50 बिलियन मीट्रिक टन कोल है। इसमें से इन्होंने 22 बिलियन मीट्रिक टन कोल प्राइवेट सैक्टर को दिया है और 28 बिलियन मीट्रिक टन सरकारी उपक्रमों को दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्री जी सुबह गला फाड़-फाड़ कर कह रहे थे कि जिस कम्पनी ने निजी क्षेत्र में काम नहीं किया, उन्हें हम कैंसिल करेंगे। जिस तरीके से कोयला क्षेत्र में काम किया जा रहा है, कोयला क्षेत्र भारत देश की सम्पत्ति है। मैं इसे दोहराना चाहूंगा कि देश की 120 करोड़ रुपये की सम्पदा को आपने 120 लोगों को बांटा है। जब आपसे उसे कैंसिल करने के लिए कहा जाता है, तो आप उनकी वकालत करते हैं और कहते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट आड़े आ रहा है। आप उनकी वकालत करने वाले कौन हैं? आपने 184 प्राइवेट कम्पनियों को कोल ब्लॉक दिये हैं। आपने 22 बिलियन मीट्रिक टन कोयले के ब्लॉक बांटे हैं। वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2010 तक ब्लॉक बांटते समय यह कंडीशन नहीं थी कि 36 माह के अंदर ब्लॉक ओपन करने चाहिए। ...(व्यवधान)

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): सभापति महोदया, यह खनिज विभाग का मामला है। कोल मंत्रालय तो अलग है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अहीर जी, आपने विषय देख लिया होगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अहीर जी, आज डिसकशन किस मंत्रालय पर है?

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : आज माइनिंग पर डिसकशन है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आज माइन्स पर डिसकशन है।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : मुझे उस पर भी बोलना है। जब यहां स्टेट का मामला आ सकता है, तो कोयला मंत्री हिन्दुस्तान के ही हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। मैं उनके बारे में बोलूंगा। ...(व्यवधान) आपने कर्नाटक के बारे में सुना होगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अहीर जी, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जैक्ट है, इसलिए आप विषय पर आयें, तो अच्छा होगा।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : इनको कैंसिल करने के लिए जब हम बार-बार कहते हैं, इनको फॉरेस्ट मंत्री रोकते हैं, नो-गो एरिया घोषित किया गया है, इनको मदद करते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने वर्ष 2001, 2004, 2005 और 2006 में जितने ब्लॉक्स बांटे हैं, इनकी अवधि समाप्त हो गयी है। आप इनकी वकालत न करें। आपने मुझे जो जानकारी दी है, उसके अनुसार वर्ष 2005 में 13 ब्लॉक्स, वर्ष 2006 में 51 ब्लॉक्स दिए हैं, वर्ष 2007 में 19 ब्लॉक्स दिए हैं। इनकी अवधि समाप्त हो गयी है। उससे पहले भी आपने वर्ष 1996 में चार ब्लॉक्स दिए हैं। इनमें से एक भी ब्लॉक ओपन नहीं हुआ है। इन सभी को कैंसिल करें और देश एवं अपने मंत्रालय के प्रति प्रामाणिकता बताएं।...(व्यवधान)

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): सभापति महोदया, अगर माननीय सदस्य राजनीतिक स्पीच दे रहे हैं, तो दें, लेकिन इसमें मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक कोल ब्लॉक्स देने और कैंसिल करने की बात है, मैंने कभी भी किसी भी ब्लॉक वकालत नहीं की है। मैंने सुबह भी एश्योर किया था और फिर एश्योर करना चाहता हूं कि आवश्यक खानापूरी होने के बाद एक-एक ब्लॉक जिन लोगों ने बेवजह ले लिए हैं, उनको कैंसिल किया जाएगा। मैंने कभी भी कोई पैरवी नहीं की है।...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदया, मैं भी यही कह रहा हूं। आप कैंसिल कीजिए, ये कम से कम 90 ब्लॉक्स हैं, इनको कैंसिल कीजिए। मैंने इस सम्पत्ति की, 22 बिलियन मीट्रिक टन कोल की, जो निजी कंपनियों को बांटा गया है, की आज मार्केट में कीमत 53 लाख करोड़ रुपये निकलती है। अगर माइनिंग में हमने इसका आधा भी खर्च निकाल दिया, तब भी लगभग 26 लाख करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी इन्होंने निजी क्षेत्र को मुफ्त में बांटी है। हम नदी के घाट पर रेत की नीलामी करते हैं, हम मुरूम म्नीलाम करते हैं, लेकिन यहां पर कोयले जैसी कीमती चीज हम मुफ्त दे रहे हैं। यह कौन सी नीति है? इस देश को लूटा जा रहा है।...(व्यवधान) फ्री में ब्लॉक्स पर ही नहीं रूके हैं। मैं कोयले की बात इसलिए कह रहा था कि जिस तरह से यूपीए सरकार और कांग्रेस की सरकारों ने देश को लूटा है, आज आप देखिए बाक्साइट, आयरन ओर के ब्लॉक्स भी हम लोग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दे रहे हैं। यह कौन सी नीति है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कौन सी नीति है?...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदया, माननीय सदस्य जो नीति बता रहे हैं, यह नीति राजग शासन के दौरान ही शुरू की गयी। आप पहले यह बताइए कि राजग सरकार ने कितने कोल ब्लॉक्स बांटे थे? उसके बाद आप यूपीए सरकार की बात कीजिए।...(व्यवधान) इसकी शुरूआत आपने की, फिर भी नीति हमसे पूछ रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कोई दूसरा विषय रिकॉर्ड में नहीं आएगा, केवल माइनिंग की ही बात जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदया, हम जिस देश में हैं, सारी दुनिया जानती है कि आप किस पार्टी के हैं - इंदिरा गांधी के नाम से चलने वाली इंदिरा कांग्रेस के हैं। हम स्वर्गीय इंदिरा जी का आदर करते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1973 में इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश में प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी माइन्स थीं, उनका राष्ट्रीयकरण किया था। इसका सम्मान सभी ने किया, हमारी पार्टी के लोगों ने, सत्तादल कांग्रेस पार्टी एवं देश की अन्य सभी पार्टियों के लोगों ने इसका सम्मान किया, स्वागत किया। आज आप इंदिरा जी के नाम से वोट मांगने जाते हैं। मैंने इनके मंत्रालय में जाकर पूछा कि आप इंदिरा जी के पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहे हैं?

क्यों प्राइवेट लोगों को ब्लॉक्स दे रहे हैं, क्या इंदिरा जी गलत थीं, क्या इंदिरा जी की पॉलिसी गलत थी, जबकि हम आज भी उस पॉलिसी का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि एक मीट्रिक टन कोयला प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना चाहिए, इसी में प्रामाणिकता है। आप क्यों देते हैं, यह बताएं...(व्यवधान) कोयले पर भी बोलेंगे, लाइमस्टोन पर भी बोलेंगे, आइरन ओर पर भी बोलेंगे, ये भी माइनिंग में आते हैं। हमारी पार्टी की जब सरकार थी, तो हमने आपकी नीति यानि इंदिरा जी की नीति का ही पालन किया था इसलिए यह नीति बीजेपी ने नहीं बनाई है। एमएमआरडी विधेयक बीजेपी की सरकार के रहते हुए ही लोक सभा में पेश हुआ था। उसके बाद यह बिल 2006 में आया और आपने 2010 में पास किया। मैं बताना चाहता हूं कि 2006 से 2010 के बीच कितने ब्लॉक्स बांटे गए। इन चार सालों में आपने क्यों ब्लॉक्स बांटे, क्यों नहीं 2006 में ही बिल पास किया, यह इसलिए नहीं किया कि आप अपनी मर्जी के लोगों को ब्लॉक्स देना चाहते थे। इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, यह तो मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया समझती है कि 2006 का बिल 2010 में क्यों पास किया गया। ...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इस तरीके का आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह इस बात को क्यों नहीं बताते कि राजग के शासन में कितने ब्लॉक्स को बांटा गया। हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी सरकार का ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैंने कहा है कि खान मंत्रालय पर चर्चा करें।

श्री हंसराज गं. अहीर : जो भी ब्लॉक्स बांटे गए, उनमें से 2006 में 85 ब्लॉक्स, 2007 में 60 ब्लॉक्स और 2008 में 45 ब्लॉक्स बांट गए।

---

* Not recorded.

सभापति महोदया: आप डिमांड्स पर बोलिए।

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं उसी पर अपनी बात कह रहा हूं। कोयला मंत्रालय भी भारत सरकार का है।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): सदन में खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल रही है।

सभापति महोदया: अहीर साहब, आपकी पार्टी का ही समय जा रहा है इसलिए आप विषय पर बोलें। संसदीय कार्य मंत्री जी यही बता रहे थे कि खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल रही है। यह बताना उनका धर्म है।

श्री हंसराज गं. अहीर : ये जो ब्लॉक्स बांटे गए, उस वक्त देश के पंथ प्रधान डॉ. मनमोहन सिंह जी थे। उस समय खान मंत्रालय का कोई केबिनेट मिनिस्टर नहीं था इसलिए यह मंत्रालय उनके अधीन था। राज्य मंत्री थे, उनके पास पूरा चार्ज नहीं था। इसलिए डॉ. मनमोहन सिंह जी के प्रधान मंत्री रहते हुए इतना ब्लॉक्स बांटे गए। सन् 2009 में लोक सभा के चुनाव थे इसलिए 2007 और 2008 में ब्लॉक्स बांटे गए। इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये जो इतने सारे ब्लॉक्स बांटे गए, इसकी क्या वजह रही और इतनी तेजी से क्यों बांटे गए?...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): माइनिंग पर आप अपनी बात कहें...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : हम माइनिंग के बारे में ही बता रहे हैं। सभापति महोदया, मैं कोयले के बारे में नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब कर्नाटक का मामला आ सकता है, तो कोयले का मामला क्यों नहीं आ सकता।

मैं आपसे कह रहा था कि देश के 22 राज्यों में हमारी खनिज सम्पत्ति है और इसका उपयोग देश में बेरोजगारी कम करने के लिए होना चाहिए। जहां आयरन-ओर है, बॉक्साइट है, इसका उपयोग देश के विकास में हो सकता है। देश का रॉ-मैटीरियल निर्यात किया जा रहा है, बाहर के देशों में भेजा जा रहा है। यहां पर बार-बार कहा जाता है कि देश से रॉ-मैटीरियल निर्यात न करें। इसका फिनिशिंग वर्क और प्रोसेसिंग अपने देश में होना चाहिए। यहां इतनी सारी कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग करने की ताकत रखती हैं। हमारे यहां पर सेल है, एमएमडीसी के माध्यम से माइनिंग हो सकती है। यहां पर मोइल है, यहां पर नाल्को है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर प्रोसेसिंग के प्रावधान हैं। हम अपने देश का कच्चा माल फिर बाहर क्यों भेजते हैं, माननीय मंत्री इसका जवाब दें?

यहां पर छोटे-छोटे सोइल एंड प्लांट मैटीरियल के कारखाने हैं जिनमें बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता है। ये सारे प्लांट आयरन-ओर की मांग करते हैं। हमारी सरकारी कंपनी एमएमटीसी उसमें से अधिकांश माल का निर्यात करती है, देश के प्लांट्स को देती नहीं है, इसकी क्या वजह है? सेल कंपनी प्रोफिट में है, नाल्को है जो बॉक्साइट और आयरन-ओर के ब्लॉक्स मांगते हैं। ...(व्यवधान) देश में हमारी सरकारी कंपनियां हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। इन लोगों ने जो ब्लॉक्स मांगे हैं, इन्हें न देते हुए आप क्या करते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने भी अपनी कंपनियां जमा की हुई है।

कर्नाटक के बारे में, हमारे मंत्रियों के बारे में कह रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि जो इनके आयरन-ओर के ब्लॉक्स हैं, वह इन्होंने आर्सिनल और मित्तल को दिये हैं, ये जीएमआर को देते हैं, रिलाइंस को देते हैं, जिंदल ग्रुप को ब्लॉक्स देते हैं, सेल को क्यों नहीं देते हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम को क्यों नहीं देते हैं? इन्होंने प्राइवेट लोगों को ब्लॉक्स देने का जो सिस्टम बनाकर रखा है और वह भी फ्री ऑफ कोस्ट, तो मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा सभापति महोदया कि जो आयरन-ओर है उसमें एक टन के लिए चार से पांच हजार रुपया देना पड़ता है और ये ब्लॉक्स बांट देते हैं। * मेरे यहां सुरजागढ़ ब्लॉक है जिसमें 130 मिलियन टन का रिजर्व है और उसमें लौहे का परसेंटेज 66 प्लस है। इस अच्छे प्रकार के लौहे-अयस्क को हमने एक प्राइवेट कंपनी लाइट मैटल को दिया है। उसकी मैंने एक एक्सपर्ट कंपनी से कोस्ट निकलवाई है। आज के 4000 रुपये के मार्किट रेट से भी देखें तो 50 हजार करोड़ रुपये का वह ब्लॉक बैठता है। उस ब्लॉक को एक छोटी सी कंपनी लाइट मैटल को दिया गया है। वर्ष 2007 से लेकर आज तक उस कंपनी ने माइनिंग की है। यह तो एक उदाहरण है, ऐसे कितने ही ब्लॉक्स इन्होंने बांटे हैं। हमारे देश में 17 हजार मिलियन टन का डिपोजिट आइडेंटिफाई हुआ है। अगर 130 मिलियन टन की इतनी कोस्ट निकलती है तो 17 हजार मिलियन टन का जो रिजर्व है उसकी कितनी कीमत निकलेगी? इस तरह से हम सभी डिपोजिट्स का बंटवारा कर रहे हैं। बॉक्साइट के बारे में मैं कहूंगा। यहां अभी हमारे कोल्हापुर के सांसद महोदय बैठे थे, अभी गये हैं। कोल्हापुर जो महाराष्ट्र का एक जिला है वहां पर बॉक्साइट्स की माइन्स हैं। रत्नागिरी में इतना ज्यादा बॉक्साइट था वह सारे के सारे ब्लॉक्स पीएल और एमएल के नाम से पूरे के पूरे * बंटवा दिये।

मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बॉक्साइट्स के ब्लॉक्स रत्नागिरी, कोल्हापुर में और गड़चिरोली के आयरन-ओर के ब्लॉक्स और नागपुर में जो मेगनीज के ब्लॉक्स हैं ये 191 ब्लॉक्स के बारे में

* Not recorded.

मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी दी थी, मैं चिट्ठी साथ लाया हूं और उसका जवाब भी लाया हूं। माननीय मंत्री जी ने जवाब बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैंने उनसे कहा था कि *

उनके करेक्टर के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। उन्होंने जितने भी ब्लॉक्स आपको रैफर किये हैं वे फेयर नहीं हैं। उनके बारे में आप विचार करो।

सभापति महोदया : जो व्यक्ति हाउस में मौजूद नहीं है, उसका नाम डिलीट कीजिएगा।

श्री हंसराज गं. अहीर : जिन नामों की उन्होंने यहां पर सिफारिश की है उन नामों पर आप दुबारा विचार करो...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी का जवाब दिखाता हूं। मुझे खान मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जो महाराष्ट्र के ब्लॉक्स की सिफारिश *

की गयी है, उस पर पुनर्विचार करने का उन्होंने जवाब दिया है।

एक ब्लॉक की कीमत 50 हजार करोड़ रुपये मैंने आपको बता दी है लेकिन इतने ज्यादा 191 ब्लॉक्स महाराष्ट्र के हैं, पूरे देश में न जाने कितने ब्लॉक्स होंगे, जिन्हें मंजूरी के लिए यहां भेजा गया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह देश की सम्पत्ति है जो बहुत कीमती है, जिससे देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया जा सकता है। देश में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है।

हमारा देश 120 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमारे देश में पीएल करने के लिए, आरपी करने के लिए,एमएल करने के लिए अगर प्राइवेट कंपनियों को हम देने लगेंगे तो देश में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज किस लिए बने हैं? देश में 504 विश्वविद्यालय हैं, देश में 2388 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, देश में 1659 पॉलिटेक्नीक कॉलेज हैं। यहां पर 15 दुनिया के माने हुए आईआईटी कॉलेज हैं, जिसमें लड़के माइनिंग इंजीनियर बनते हैं, इन्हें हम काम देंगे या प्राइवेट कंपनियों को काम देंगे।

महोदया, हम इनवेस्टमेंट की बात करते हैं, दुनिया के उद्योगपतियों को बुला कर ब्लाक देने की बात करते हैं। हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, जो लड़के पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं, वे क्या करेंगे?

सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए, आपकी पार्टी के दो सदस्यों ने अभी और बोलना है।

श्री हंसराज गं. अहीर : हमारे देश के मिनरल्स का उपयोग देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए होना चाहिए। इससे रोजगार निर्मित हो सकते हैं। देश को मुनाफा हो सकता है और देश की गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन सरकार ने सारा मिनरल मुफ्त में बांटने का काम किया है, वह गलत है। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने वर्ष 2006 से एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल रखा है, मैंने अखबार में

---

* Not recorded.

पढ़ा था कि इस बार सैशन में इसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। मैं विनती करता हूं कि इसमें अमेंडमेंट लाइए और जो फ्री आफ कास्ट ब्लाक्स बांटने का जो सिस्टम है, उसे बंद कर दीजिए। आपको जो भी ब्लाक देने हैं, उनकी बोली लगाइए। जिन्हें ब्लाक लेने हैं, वे बोली के माध्यम से लें। मैं कहना चाहता हूं कि देश में जितनी भी विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति है, इसका उपयोग देश के रोजगार निर्माण में होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमने खनिज सम्पत्ति की कद्र गोबर से भी कम की है। हमारे खेत में काम करने वाला किसान जानवरों का गोबर का सही उपयोग करता है, लेकिन आपने देश के मिनरल्स का सही उपयोग नहीं किया है। आपको देश के मिनरल्स फ्री आफ कास्ट बांटने का क्या अधिकार है? आपको उसे बेचना चाहिए, नीलाम करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं, आप ऐसा न समझें कि विपक्ष का एमपी बोल रहा है। मैं देश के हित की बात कह रहा हूं। आपने पाप किया है और आप देश से गद्दारी कर रहे हैं। मैं उल्लेख करूंगा कि इसे नीलाम करने की नीति बननी चाहिए और देश के मिनरल्स का दोहन देश के हित में होना चाहिए, इसलिए अमेंडमेंट बिल इसी सत्र में लाने का प्रयास कीजिए। मैंने मंत्री जी को पहले भी कहा था कि आप ईमानदार राज्य के मंत्री हैं, आप ईमानदारी से बिल को इसी सत्र में लाइए, इसे पास कराइए और पहले आओ तथा पहले पाओ, खोजो और पाओ की नीति को बदलने की मांग मैं करता हूं। आप मिनरल्स को खोजने की गति बढ़ाइए। इस देश में बहुत प्रकार की सम्पत्ति है।

मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति बने हैं। हमारा देश तो गरीब है। देश में बीपीएल की संख्या तीस प्रतिशत से ज्यादा है, फिर भी देश के उद्योगपति दुनिया के माने हुए उद्योगपतियों में से हैं। हमारे यहां रिलायंस ग्रुप है, जिन्दल ग्रुप है, मित्तल ग्रुप है। ये ग्रुप्स दुनिया में बिलगेट से फाइट करते हैं। इनकी पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है और इन्होंने इतना अच्छा काम भी नहीं किया है, ये सभी मुफ्त में ब्लाक्स लेते हैं और अपनी प्रापर्टी बढ़ा कर दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी प्रापर्टी है। हमने रिलायंस ग्रुप को देश के गैस और तेल के भंडार दिए हैं, वे भंडार इन्हें क्यों दिए हैं, वे कौन लगते हैं। सदन में हमारे एमपी ...(व्यवधान) * हैं, आज सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्हें कोयले के ब्लाक दिए, आयरन ओर के ब्लाक दिए।...(व्यवधान) वे सदन के सदस्य हैं।

सभापति महोदया : माननीय सदस्य ने जिन मेम्बर का नाम लिया है, कृपया उसे सदन की प्रोसीडिंग्स से हटा दिया जाए।

...(व्यवधान) *

श्री हंसराज गं. अहीर : वे सदन के सदस्य हैं।...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

सभापति महोदया : मैंने माननीय सदस्य का नाम हटाने के लिए कह दिया है, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : ये आपका कौन लगता है, आपने इसे क्यों दिया है?...(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं दोनों तरफ के सदस्यों से कहना चाहती हूं कि आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने बड़े-बड़े ब्लाक्स इन्हें मुफ्त में क्यों दिए जाते हैं?...(व्यवधान)

सभापति महोदया : सभी असंसदीय शब्द प्रोसीडिंग्स से हटा दिए जाएं और जो माननीय सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं, उनके नाम सदन की कार्यवाही से हटा दिए जाएं।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदया, मैंने सदन का सदस्य होने के नाते उनका नाम लिया है। इनके नाम से ब्लाक लिए गए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी समझें कि अपनी पार्टी के हैं, अपना बेटा है, इस बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन ...(व्यवधान) * क्या सरकार का दामाद लगता है।...(व्यवधान) वह सरकार का कौन लगता है? उन्हें मुफ्त में ब्लाक क्यों देते हैं?...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप शब्दों का प्रयोग सोच-समझ कर कीजिए और सदन की गरिमा बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी: सभापति महोदया, यह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदया: सिर्फ शैलेन्द्र कुमार जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आपका माइक बंद हो गया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आज बहुत लंबी लिस्ट है जो माननीय सदस्य स्पीच सभापटल पर रखना चाहते है वे रख दें। अहीर जी, प्लीज आप एक मिनट में वाइंड अप कीजिए।

---

* Not recorded.

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं आपको अवैध खनन के बारे में बताना चाहता हूं। यहां अवैध खनन के बारे में कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कुछ कहा है, ठीक है सबको अवैध खनन का विरोध करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि देश में अवैध खनन सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं हो रहा है, यह देश के सभी राज्यों में चल रहा है। मैं समर्थन नहीं करूंगा, चोरियां हो रही हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया आप शांत रहें। वे वाइंड अप कर रहे हैं। कृपया दोनों तरफ से शांत रहें। आप एक मिनट में वाइंड अप करें।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदया, अवैध खनन को रोकने के लिए कानून में कुछ न कुछ सुधार करना चाहिए। जहां मिनरल, कोयला, लिग्नाइट आदि की चोरी होती है, अवैध खनन होता है, हमारे देश में ईसी एक्ट कोयले से हटाया गया है, मिनरल से हटाया गया है, इसे लगाने की जरूरत है। इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। फारेस्ट में लकड़ी चोरी होती है तो जिस व्हीकल में लकड़ी ले जाया जाता है उस व्हीकल को फारेस्ट डिपार्टमेंट नीलाम कर देता है इसी तरह से जिस जगह इल्लीगल माइनिंग होती है, उसकी ढुलाई के लिए जिस वाहन का उपयोग होता है, उसे नीलाम करने के लिए मंत्री महोदय को सोचना चाहिए।

सभापति महोदया : अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार।

...(व्यवधान) *

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदया, माननीय सदस्य हमारे ऊपर स्पीच दे गए जबकि माइन मिनिस्ट्री की चर्चा हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किसे टार्गेट कर रहे हैं, क्या कर रहे है?

सभापति महोदया : उनके पास विषय नहीं होगा, कोई बात नहीं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मुझे ताज्जुब होता है कि यहां माननीय आडवाणी जी बैठे हैं, कम से कम उन्हें बताना चाहिए कि माइन मिनिस्ट्री पर चर्चा हो रही है, कोल मिनिस्ट्री पर नहीं हो रही है।

सभापति महोदया : अब रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। शैलेन्द्र जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान) *

* Not recorded.

***श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) :**

हमारे देश में आज भी अवैध खनन से करोड़ों अरबों रूपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। महोदया, मैं उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । उत्तराखंड राज्य प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जिसका भरपूर लाभ और प्यार उत्तराखंड की जनता और वहां आने वाले पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों को मिलता है । शुद्ध हवा, पानी, जंगल, जड़ी-बूटी आदि के रूप में प्रकृति वहां सब पर प्यार लुटाती है । लेकिन इसी के साथ उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति मध्य हिमालय में अवस्थित होने के कारण कई बार वहां के निवासियों को दैवीय आपदाओं से भी दो-चार होना पड़ता है । उत्तराखंड राज्य ने वर्ष 2010 में भीषण आपदा का दंश झेला है । भारी भूस्खलन, बारिश, बादल आदि फटने की घटनाओं से वहां का सड़क मार्ग बुरी तरह प्रभावित हो क्षति ग्रस्त हो गया है ।

आपदा का दंश झेल चुके राज्य उत्तराखंड में विनिर्माण एवं औद्योगिकीकरण आवश्यक है । राज्य में आज खनन नहीं खुलने के कारण अवैध खनन माफिया पनप गया है । जिसके चलते सरकार को करोड़ों रूपये राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है साथ ही राज्य में रोजगार के अवसर भी लंबित पड़े हैं ।

नैनीताल जिले के रामनगर में कोसी-दाबका में अवैध खनन तेजी के साथ किया जा रहा है जो अत्यंत चिंता का विषय है । यहां वहां खनन खोल दिया जाए तो सरकार को करोड़ो रूपये राजस्व के रूप में प्राप्त होंगे ।

खनन खुलने के अभाव में वहां के निवासियों के लिए मकान बनाना भी एक स्वप्न बन कर रह गया है । यदि रेत, बजरी उपलब्ध नहीं होगी तो किस प्रकार सिर झुपाने के लिए लोगों को छत मिलेगी । ब्लैक मार्किटिंग से लेकर बनाना काफी महंगा पड़ता है । अभी कुछ ही समय पहले अवैध खनन के डंपर ने वहां एक बालक अमित बोड़ाई की जान ले ली न जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं राज्य में अवैध खनन से हो रही हैं ।

---

* Speech was laid on the Table

उत्तराखंड राज्य में कॉपर, फास्फेट और माईका की अपार संभावनाएं हैं जिन्हें चिन्हित कर यदि सरकार वहां इसका खनन खोल दे तो राजस्व के साथ-साथ राज्य के बेरोजगार युवकों को वहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे । जब राज्य में ही रोजगार होगा तो व्यक्ति बाहर रोजगार की तलाश में क्यों जाएगा ।

कर्नाटक के जंगलों में अवैध खनन के चलते 1114.8 हैक्टेयर जंगल पर अवैध अतिक्रमण हो गया है । राज्य द्वारा अवैध खनन पर नियंत्रण के अभाव में बड़े पैमाने पर वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । कर्नाटक के बेलारी जिले और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में अवैध खनन के मामले समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से छपे जिन पर ध्यान देकर सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।

कर्नाटक में लौह अयस्क के अवैध खनन एवं घाटालों से देश को लगभग 60 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है । मा0 मुख्यमंत्री कर्नाटक श्री युदुरप्पा ने भी यह स्वीकार किया था कि 3 हजार करोड़ लौह अयस्क के अवैध खनन से 12 हजार करोड़ रूपया अवैध तरीके से राज्य के बाहर गया।

अवैध खनन के कारण पर्यावरण भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है जिससे जल स्रोतों जैसे नदियां और झरनों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । अवैध खनन से वन क्षेत्र घटता जा रहा है तथा मिट्टी उर्वरकता एवं उत्पादकता में भी कमी आ रही है ।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

***श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :**

सबसे पहले मैं, अवैध खनन की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । महाराष्ट्र में अवैध खनन माफियाओं ने इसका विरोध करने वाले कार्यकताओं को ट्रक के नीचे कुचल कर मार डाला । महाराष्ट्र में बालू का अवैध खनन हो रहा है । कर्नाटक में रेड्डी बंधुओं के द्वारा अवैध खनन हो रहा है और ये लोग इतना पावरफुल है कि ये कर्नाटक की राज्य सरकार को हिलाकर रख देते हैं । गोवा में रेत माफियाओं के द्वारा सारा अवैध खनन होता है । महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के द्वारा मिट्टी के अवैध खनन होने से पर्यावरण को बहुत खतरा हो गया है ।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि तत्काल अवैध खनन पर रोक लगाई जाए एवं अवैध खनन माफियाओं पर सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि उनको सख्त से सख्त सजा मिल सके ।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह भी मांग करता हूं कि देश में अवैध खनन, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है एवं अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिए जाने की आवश्यकता है।

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और अधिक निधियां आवंटित करके तथा उसकी जनशक्ति बढ़ाकर मजबूत किए जाने की आवश्यकता है । पिछले दिनों मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा के बेन प्रखंड के बड़की ऑट में भपूरत में दरार पड़ने से लगभग साठ मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे जोकि अधिकांश गरीब, पिछड़ों एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के थे यहां पर जांच करने के लिए जी.एस. आई की टीम गयी थी और रिपोर्ट से भारत सरकार को अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक उन आदमियों को क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा नहीं मिला है । मैंने यह मांग इस सदन में विशेष उल्लेख नियम 377 के तहत उठाया था लेकिन अभी तक सरकार ने मेरी मांग को नहीं माना है ।

एक बार फिर मैं इससदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि उन पीड़ित व्यक्तियों को सरकार मुआवजा दे ताकि गरीब आदमी फिर से अपना मकान बना सकें । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

---

* Speech was laid on the Table

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदया, आपने मुझे खनन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमें चर्चा को सुनकर बहुत दुख होता है कि जब किसी महत्वपूर्ण विभाग की चर्चा होती है तो डिस्ट्रक्टिव चर्चा ज्यादा होती है और कन्सट्रक्टिव चर्चा नहीं हो पाती है। मैं कोयला मंत्री जी से कहूंगा कि अगर पूरा भाषण उसी पर हुआ है और एनडीए में ब्लाक नहीं मिला तो एक ब्लाक आपने बांटा और एक उधर भी दे दीजिए।

खनन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2496 अवैध खदानों से मुख्य खनिज और 2855 अवैध खदानों से लघु खनिज निकाले गए हैं। देश भर में देखा जाए तो लगभग 30,000 के करीब अवैध खनन है। पिछले सत्र में हमने अवैध खनन के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की थी जिसमें 12000 मामले अवैध खनन के आए थे। हमारे कहने का मतलब है कि सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर खनन नीति बनानी चाहिए। देश में जो अवैध खनन हो रहा है इससे राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है और कुछ इने-गिने लोगों के पास ही धन जा रहा है। मैं चाहता हूं कि खनन मंत्रालय इसरो से बात करके सैटेलाइट की ऐसी व्यवस्था करे जिससे देखा जा सके कि कहां-कहां प्राकृतिक संपदा है, कहां-कहां अवैध खनन हो रहा है। मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी सुझाव आए हैं, यह बात सत्य है कि यह कोई मामूली कार्य नहीं है। सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर प्राकृतिक संपदा के लिए अच्छी कार्य प्रणाली बनाए जो खनन नीति पर आधारित हो, रोजगार परक हो। इसमें वनों का भी संरक्षण होना चाहिए। समाचार पत्रों में भी देखा गया है, राहुल गांधी जी ने उड़ीसा का दौरा किया था, कालाहांडी में नियमगिरी पहाड़ियों में वेदांता और पोसको लौह अयस्क परियोजना थी, उस पर गुप्ता समिति ने भी विभाजित फैसला दिया और रोक लगाई गई। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कुछ परियोजनाएं केंद्र सरकार में चार साल से लंबित पड़ी हैं, उसे भी मंजूरी देने की आवश्यकता है। आपने महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में 46 लाइसेंस जारी किए और पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताई है, गहरी चिंता व्यक्त की है। आपने अवैध खनन को रोकने के लिए कार्य योजना बनाई है, खास तौर से 10 प्रदेशों में जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन जहां खनन हो रहे हैं वहां जो परमिट दे रहे हैं उसकी भी निगरानी होनी चाहिए। इसके साथ ढुलाई पर भी विशेष निगरानी की आवश्यकता है इससे ही अवैध खनन को रोका जा सकता है। खनन के इलाकों में झारखंड और छत्तीसगढ़ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां नक्सलवाद और स्थानीय लोगों के विरोध के कारण बहुत परियोजनाएं रुकी हैं, चाहे पोसको की बात हो, वेदांतां की बात हो, अरसलर की बात हो, मित्तल जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिसकी वजह से वहां खनन नहीं हो पाया है। आपको इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्कता है। आपने 26 प्रसिद्ध

स्थानीय लोगों के साथ बात की और कुछ कंपनियों ने इसका विरोध भी किया है, आपको कंपनी और स्थानीय लोगों के साथ वार्ता करके कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे वहां कुछ कार्य हो सके।

महोदया, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली तक सैंकड़ो स्टोन क्रशर लगे हुए हैं। कुछ नदियों के सीने को चीरकर जेबीसी मशीन लगाकर खनन हो रहा है। मेरे ख्याल से उन नदियों में 50 फीट के करीब गड्ढा हो गया है। मैं चाहता हूं कि इसका मूल्यांकन होना चाहिए। वहां उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 69 के तहत ठेकेदार काम कर रहे हैं।

यह 1963 का बहुत पुराना कानून है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारी नियमावली बनी है, उसमें कहीं खामियां तो नहीं हैं, इसके भी मूल्यांकन की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे भी गंभीरता से लें। चूंकि मैं थोड़ा बहुत कोयला खनन के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए नहीं बोलूंगा। लेकिन हिंदुस्तान में जो यूरेनियम, कोयला, एल्युमीनियम, लौह, मैंगनीज, लौह अयस्क, सोना, डायमंड तमाम ऐसी हमारी प्राकृतिक सम्पदा है, जिस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और विस्तार से देखना चाहिए कि इनके तमाम स्रोत कहां हैं, जिनका हम उपयोग और विकास कर सकते हैं।

महोदया, हमारे क्षेत्र में एक गांव शमसाबाद है, वह करीब 10-15 मील के अंदर पड़ता है। वहां की मिट्टी में पता नहीं क्या खासियत है कि वहां की मिट्टी से लोग तांबे और पीतल के बर्तन बनाते हैं। आज भी लोग बनाते हैं। मुझे याद है, जब मेरे पिता जी केन्द्र में लेबर मिनिस्टर थे तो वहां उन्होंने बर्तन बनाने वाले लोगों के लिए एक कार्यशाला बनवाई थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां की मिट्टी में इस प्रकार की खूबियां हैं, ज्यादातर खनिज हम मिट्टी से ही निकालते हैं, चाहे सोना हो या चांदी हो या तमाम तरह के खनिज हों। मैं चाहूंगा कि एक दल के द्वारा आप हमारे क्षेत्र जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश गांव का नाम शमसाबाद है, वहां की मिट्टी का आप परीक्षण करा लें, यदि वहां की मिट्टी उपयोगी है तो तत्काल उसे अधिग्रहीत करने की आवश्यकता है। चूंकि बाहर के बहुत से लोग वहां आते हैं और वहां की मिट्टी को बोरों में भरकर ट्रकों में डालकर ले जाते हैं। इसका मतलब है कि वहां अच्छा स्रोत है, रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो निधियां और शक्तियां हैं, उन्हें भी बढ़ाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। आजकल तमाम ऐसे निर्यात हम कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम नई खनन नीति की समीक्षा करें और तब तक निर्यात पर थोड़ी रोक लगाकर हमें नई खनन नीति बनानी चाहिए, ताकि हमारा सामान बाहर जा सके और हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सके, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।

हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं कि जहां अवैध खनन होता है या लौह अयस्क के स्रोत हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है। अगर उनका राष्ट्रीयकरण होगा तो वहां अवैध खनन रुकेगा, सरकार को फायदा होगा और रोजगार का भी सृजन होगा। आज खनन पट्टा और सरकारी क्षेत्रीय कंपनियों को हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जिसमें आपने आरक्षण की फिफ्टी-फिफ्टी की व्यवस्था की है, जो बहुत अच्छी बात है।

मंत्री जी मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से खनन ब्लाकों से लोग कमाते हैं, उस पर आप रॉयल्टी लगाते हैं, हम चाहते हैं कि आपको उसकी टोटल इंकम पर टैक्स भी लगाना चाहिए, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा हमारे जंगलों में जनजातीय समुदाय ज्यादा रहता है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उनके इंटरैस्ट के रोजगार वहां लगाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। इसमें जनजातीय मंत्रालय और आपके मंत्रालय ने कुछ पहल भी की है, उस पर मैं विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन जहां खनिजों के भंडार हैं, वहां पर हमें विपणन नीति बनानी पड़ेगी और उस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा स्वर्ण धातु से बने जो हमारे बहुमूल्य सामान होते हैं, उनका भी उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे बढ़ावा दें। इसके अलावा खानों के आबंटन में आपने 50-50 के आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसमें जो बेरोजगार नवयुवक हैं, अभियंता हैं, सेना के शहीद आश्रितों, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी और विशेषकर जो पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था की है।

हमारे देश में खनन खासकर जंगलों में होता है, वहां पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो सरिस्का, रणथंभौर आदि जगह हैं, वहां अधिसूचित वन्य जीव अभयारण्य, जो हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, खनन की मंजूरी देने से पहले हम इसका मूल्यांकन करें कि इससे ये प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, हमें इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा। खासकर जहां खनन होता है, खनन से जो जमीनें बिग़ड़ जाती हैं, कुछ पेड़ों के अवैध कटान हो जाते हैं, वहां पर वनरोपण की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। जिससे वहां पहले जैसे जंगल बन जाएं। इसके अलावा जो लोग अवैध खनन में लिप्त पाये जाएं, उन्हें कठोर दंड देने की आवश्यकता है, उनके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, इसके लिए चाहे आप अलग से कोई व्यवस्था करें।

अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, यह हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है। मिर्जापुर से लेकर बुंलेदखंड और सोनभद्र तक बहुत सी छोटी-छोटी पहाड़ियां थीं, उन पर छोटे-छोटे पेड़ थे और खासकर बरसात में वे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन इस बीच देखा गया है कि वे पहाड़ बिल्कुल साफ हो गये हैं, वे

दिखाई नहीं पड़ते हैं। वहां तमाम माफिया लोगों ने सरकार से मिलकर उन पहाड़ों को बिल्कुल तोड़ दिया है, जिससे वहां के पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपका टर्न आ रहा है। आपकी बारी आने वाली है। शैलेन्द्र जी, आप वाइंड अप करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह उजागर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लखनऊ या नौएडा में पत्थरों से ही काम हुआ है, इसलिए सरकार को पत्थरों से ज्यादा प्यार हुआ है। मैं चाहूंगा कि जहां पर इस प्रकार के पत्थर के ज्यादा निर्माण हो रहे हैं, वहां पर्यावरण और वन विभाग को देखना चाहिए कि वहां वृक्षारोपण हो, ताकि वहां पर्यावरण शुद्ध हो सके।

इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो भी अवैध खनन हो रहे हैं, जहां पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है, वहां केन्द्र सरकार पहल करके इसे कड़ाई से रोके। इसी के साथ महोदया आपने मुझे इस अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) :**

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब से इन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया है, मंत्रालय के काम में पारदर्शिता, दक्षता एवं तीव्रता आ गई है । मंत्रालय से लेकर छोटी-छोटी खान ईकाईयों तक श्रेष्ठ कार्यवाही का असर दिखाई दे रहा है ।

खान मंत्रालय राष्ट्रीय संपत्ति का रखवाला है । हर प्रकार की खनिज संपदा जो भूमि के नीचे छुपी हुई है, उसका किस प्रकार कार्य-कुशलता के साथ प्रबंध किया जाए ताकि इसका अधिकतम लाभ राष्ट्र को मिल सके । हम सब इस बात से अवगत है कि विभिन्न खनिजों से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है । बिना खनिजों की उपलब्धता के आधुनिक सभ्यता और संस्कृति अपने चरम पर नहीं दिखाई दे सकती है । चाहे बिजली के उत्पादन से संबंधित तापीय विद्युत घरों के निर्माण की बात हो, चाहे सीमेंट के उत्पादन की बात हो या फिर इस्पात या स्टील के बड़े-बड़े प्लांट लगाने की बात हो । ये सभी खनिज मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खनिजों पर ही तो निर्भर है । हमें इस बात का भी अहसास है कि विभिन्न खनिज जो हमारी राष्ट्रीय संपदा है को असीमित नहीं है । उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनका दोहन वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए । खनन करने के बाद संबंधित उद्योगों को खनिज उपलब्ध हो, देश का विकास हो, देश की विकास दर में इन उद्योगों की अपनी भूमिका हो, ये सब मंत्रालय द्वारा आज सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन खनन की प्रक्रिया में कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा जा रहा है कि खनन वैज्ञानिक ढंग से हो चाहे ओपन कास्ट हो या अण्डर ग्राउण्ड हो । तथा उतनी ही मांत्रा में खनन किया जाना जितनी आवश्यकता हो। खनन ईकाईयां जो अधिकांश जंगल तथा आदिवासी लोगों की आबादी में स्थित है का भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचे और यदि हमारी वन संपदा को खनन प्रक्रिया में क्षति पहुंचती है, तो नियमानुसार उसके स्थान पर दोगुना वृक्षारोपण का काम सुनिश्चित किया जाए । खनन क्षेत्रों से हमारे गरीब किसान आदिवासी भाईयों को विस्थापित किया जाना आवश्यक है, तो उनके पुनर्वास की सुविधा होनी चाहिए, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के अतिरिक्त विस्थापित होने के बदले मुआवजा की राशि, चिकित्सा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल तथा सड़क आदि की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चत की जानी चाहिए ।

---

* Speech was laid on the Table

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों के शुद्ध लाभ का 1 प्रतिशत भाग सी.एस.आर.(Corporate Social Responsibility) के अंतर्गत योजनाओं पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रभावित खनन क्षेत्रों में आम जनता को आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ।

मैं यह चाहूंगा कि यह सुनिश्चित करें कि सी.एस.आर. के अंतर्गत है कि कम से कम 70 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति/जनजाति के क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इस वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने वाली योजनाओं पर खर्च हो ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि खनन मंत्रालय के अंतर्गत खनिजों के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है । आवश्यकतानुसार सभी उद्योगों को खनिज उपलब्ध कराया जा रहा है । राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें किसी भेद-भाव के उनके राज्यों में स्थापित बिजली उत्पादन केन्द्र, सीमेंट प्लांट, इस्पात आदि की पूर्ति की जाती है और यदि किसी उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशों से खनिज आयात करने के लिए ओ.जी.एल. के अंतर्गत अनुमति भी प्रदान की जा रही है । जहां एक तरफ अधिकतम खनिजों की उत्पादन मात्रा में वृद्धि हुई वहीं एक तरफ अवैध खनन पर अंकुश लगाने का सराहनीय कदम उठाए है ।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि निष्पक्षता और पारदर्शिता से मंत्रालय तथा उससे संबंधित खनन का कार्य संपादित किया जा रहा है जो देश के विकास में अपनी अहम भूमि अदा की जा रही है । इसी के साथ खान मंत्रालय के लिए प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं ।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) :**

देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन प्रकृति ने हमें दिए हैं जो एक बार ही निकाले जा सकते हैं । इसके लिए हमें उनका उत्खनन कार्य संयोजित ढंग से करना चाहिए और उत्खनन कार्य ऐसे ढंग से करने की आवश्यकता भी है कि जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर न पड़े और इस उत्खनन कार्य से आस-पास के रहने वाले गांव के लोगों पर प्रतिकूल असर न पड़े परंतु सरकार ने जो खनिज नीति बनाई है उसमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है । प्राकृतिक साधनों का दोहन मनमाने ढंग से हो रहा है जिससे पर्यावरण को खतरा एवं प्रदूषण बुरी तरह से फैल रहा है और खानों के पास रहने वाले गरीब एवं पिछड़े आदिवासी लोगों का शोषण हो रहा है ।

खानों की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं परंतु उन पर कोई पर नियमों के अनुसार कार्यवाही नहीं हो पाती है । 2010 में खान सुरक्षा संबंधी नियमों की 140 घटनाएं हुई और 119 गंभीर दुर्घटनाएं हुई जिसमें 175 व्यक्ति प्रभावित हुए और कई मारे गए । देखा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा तो सुरक्षा नियमों के कानूनों का पालन किया जाता है परंतु जो निजी क्षेत्र की खाने में या अवैध खाने चल रही होती है उन पर खान दुर्घटनाएं अधिक हुई है । 2009 में खान सुरक्षा नियमों के संबंध में 33,199 कारण बताओ जारी किए गए इतनी बड़ी संख्या में नियमों की अवहेलना हो खान सुरक्षा नियमों का कोई मायना नहीं रह जाता है । सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों के दौरान खान सुरक्षा नियमों की अवहेलना किए जाने पर कितने लोगों को सजा दी गई । सरकार केवल एक आदेश देकर दोषियों को छोड़ देती है ।

भारतीय ब्यूरो आफ माईन्स की जिम्मेदारी है कि खानों का सर्वेक्षण करे, एवं इस बात को सुनिश्चित करे कि पर्यावरण संबधी नियमों का पालन हो, एग्रीमेंट से अधिक क्षेत्र में दोहन तो नहीं हो रहा है। आईबीएम ने अपने निरीक्षण कार्य में यह लक्ष्य रखा कि वे 2010 में 2000 माईन्स का निरीक्षण करेगी परंतु मात्र उसने 903 निरीक्षण कार्य किया और जिसमें 288 मामले उल्लंघन के नोटिस किए । आईबीएम अपने निरीक्षण कार्य के लक्ष्य में असफल रहा । 903 में केवल 82 खानों पर कार्यवाही की जिसमें केवल 3 का लाईसेंस रद्द किया है और 64 को कारण बताओ नोटिस दिया । इससे लापरवाही की घटनाएं बढ़ती है।

---

* Speech was laid on the Table

खानों को लीज पर दिए जाने के मामले में काफी भ्रष्टाचार देखा गया है । कुछ फर्मे माफिया के बदोलत ऐन केन प्रकेरण खानों को लीज पर ले लेती है जिसे बाद में सब लीज पर दे देती है । सब लीज पर लेना वाल खानों पर न तो नियमों की मुताबिक काम करता है और आस पास रहने वाले आदिवासियों का शोषण भी बुरी तरह से करता है । इसके लिए आंदोलन भी होते हैं और आदिवासियों में आक्रोश की भावना बढ़ रही है । 2009-10 में आईबीएम ने 2240 खानों को प्राइवेट को दिया, 221 खाने पब्लिक सेक्टर को दिया । आईबीएम द्वारा फर्मे लीज पर दी जाती है उन पर जो एग्रीमेंट किया जाता है वह प्राईवेट फर्मों के हित में ज्यादा रहता है अपेक्षाकृत देश के हित के । खनिज रियायतों का खेल भी भ्रष्टाचार से दूर नहीं है । खनिज रियायतों पर सरकार ज्यादा चिंता करती है अपेक्षाकृत आदिवासी कल्याण के ।

हर साल खनिज नीति पर तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं पहिले की खनिज नीतियों में खान के पास रहने वाले एवं खान उल्खन की प्रक्रिया से विस्थापित होने वाले आदिवासी की उपेक्षा की जाती है और खान सुरक्षा पर केवल दिखावे के लिए नियम बना दिए जाते हैं परंतु आदिवासी के बढ़ते आंदोलन एवं आधुनिक युग की कई तकनीकी के विकसित होने से खनिज नीति में बार परिवर्तन होते रहे हैं परंतु अभी खान नीति जो 2008 में पारित की गई उस पर समुचित ढंग से कार्य नहीं हो रहा है । खान एवं खनिज । विकास एवं नियमन । एक्ट के 1957 में एक 1095 दर्ज किए गए हैं 2010 में 248 मामले अभी तक लंबित हैं इससे यह साफ होता है कि हम अवैध खानों के खिलाफ सशक्त कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं ।

खनिज क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर आसपास के आदिवासी लोग ही रहते हैं जिनको यथोचित मजदूरी नहीं दी जाती है उनको समुचित उपकरण उपलब्ध ही नहीं कराए जाते हैं । यह भी देखा गया है अवैध खानों में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही है और काम करने के घंटे भी ज्यादा है जबकि इन खतरनाक कार्यों में कुशल मजदूर का होना आवश्यक है। खान मंत्रालय को खनिज क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण एवं हित की तरफ देखना चाहिए । एवं राज्यों में मजदूरों के संबंध में एवं खान संबंधी अलग-अलग कानून है जिसमें समरूपता होना चाहिए हालांकि सरकार इस पर विचार कर रही है परंतु सरकार को विचार करते हुए बहुत दिन हो गए हैं ।

खान एवं खनिज कानून 1957 में संशोधन करने की बात चल रही है परंतु इस पर अभी तक एक राय नहीं हुई है । इस कार्य में कई लाबियां जो अपने प्रभाव से इस संशोधन करने के कार्य में देरी करवा रही है जो ठीक नहीं है । विधेयक में देश हित में प्रमुखता देनी होगी और इस प्राकृतिक सांधनों की बंदरबाट रोकने के लिए अच्छे प्रभावशाली विधेयक को लाना होगा । खान एवं खनिज क्षेत्र में काम करने वाले सभी अपने हित की स्वार्थ पूर्ति के लिए लगे हैं परंतु सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि देश हित, पर्यावरण एवं आदिवासी के कल्याण को भी इस विधेयक में स्थान देना चाहिए ।

खान एवं खनिज नीति एवं इस संबंध में बने कानूनों में आदिवासी एवं खनिज उल्खन कार्यों के उपरांत पर्यावरण को बनाए रखने के लिए बाग, जंगल बनाए जाने के कार्य किए जाए जो भारत में नहीं हो रहे हैं । विदेशों में खान एवं खनिज उल्खन कार्य के उपरांत अच्छे बाग, जंगल एवं कई अन्य कार्य किए जाते हैं जिनसे पर्यावरण को बनाए रखने में मदद मिलती है परंतु भारत में खान एवं खनिज निकालने के बाद फर्म रफा दफा हो जाती है । भारत में खान उत्खनन के बाद पर्यावरण बनाए रखने के लिए प्राथमिकता देनी होगी ।

खान एवं खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर को बढ़ाया जाए क्योंकि महंगाई के कारण एवं खान एवं खनिज पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है उसके अनुरूप रॉयल्टी की दर को बढ़ाना चाहिए । खान एवं खनिज क्षेत्रों के पास जो आदिवासी लोग हैं जिनकी जमीन चली जाती है उनके मुआवजा पुरानी दरों पर दिया जा रहा है इसके लिए खान एवं खनिज कार्यों के लाभांश में हिस्सेदारी देनी चाहिए ।

मैं इन प्रस्तावित अनुदानों की मांग का विरोध करता हूं क्योंकि यह अनुदान देश में प्राकृतिक साधनों का समुचित ढंग से दोहन नहीं कर पाएगी और पर्यावरण संबंधी बढ़ रही समस्या को रोकने में असफल रहेगी ।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) :**

खान मंत्रालय देश के विकास और उन्नति के लिए जो कुछ मंत्रालय है इसमें महत्वपूर्ण मंत्रालय है । उनके तहत 6 विभागों में उत्तरदायित्व का विभाजन किया है । जिसमें कोयला, खनिज, एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, शीशा और निकल मुख्य है ।

इस मंत्रालय के कार्यान्वयन के लिए 2009-10 में 948, 2010-11 में 1763, 2011-12 में 1589 करोड़ रू. का बजट आबंटित किया गया है । वो उनके कार्यान्वयन को देखते हुए बहुत कम है ।

खनिज संपदा पूरे देश की संपदा है इस पर केन्द्र और राज्यों का बराबरी का हिस्सा है । कइ राज्यों के साथ केन्द्र का रवैया खनन के बारे में ठीक नहीं है । कहीं किसी को ज्यादा रियायतें मिलती है तो कहीं किसी को कम ।

गुजरात आज औद्योगिक विकास में भारत का अग्रसर राज्य बन गया है । उसके विकास के अंतर्गत कोयला और अन्य खनिज की गुजरात को आपूर्ति की जाए वो बहुत जरूरी है ।

गुजरात सरकार की मांग है कि CRZ विस्तारों में खनन प्रक्रिया पर केन्द्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से लादे गए बंधनों में छूट देनी चाहिए तब ही गुजरात विकास के पद पर और आगे बढ़ेगा ।

CRZ अधिनियम 1991 के मुताबिक CRZ विस्तार में खनिज - (न्यूनतम वृद्धि रेखा), (लो टाइड लाइन) और अधिकतम वृद्धि रेखा (हाई टाइड लाइन) के बीच और अधिकतम वृद्धि रेखा से जमीन की ओर 500 मीटर तक के पट्टे के विस्तार में खनिज की खनन प्रवृतियों पर रोक है ।

गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ विस्तार की समुद्री पट्टी में लाइम स्टोन का विपुल मात्रा में जत्था संग्रहित है । उसको लेने में भारी दिक्कत पड़ती है क्योंकि CRZ विस्तारों में खनन प्रक्रिया पर केन्द्र सरकार ने जो प्रतिबंध किया है उसके कारण खनिज को नहीं निकाल सकते ।

CRZ अधिनियम अस्तित्व के पहले सौराष्ट्र के कई हिस्सों में सीमेंट उद्योग स्थापित थे । जिसके लिए रॉ मैटीरियल वाले लाइम स्टॉन की खानें CRZ विस्तार में ही आती है । ऐसे ज्यादातर स्थानिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला यह सीमेंट उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है ।

---

* Speech was laid on the Table

इसके तहत बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही और कई समस्याएं उठ खड़ी होंगी । यह सीमेंट उद्योग केन्द्र सरकार के निषेधाग्या के कारण चपेट में आ गया है । सारी फैक्टरियां बद पड़ी है ।

गुजरात सरकार द्वारा इसी CRZ विस्तार में लाइम स्टोन की खनन प्रक्रिया को मंजूर करने के बारे में है । क्लीनिकल अभ्यास (सर्वे) हाथ में लिया है और इस अभ्यास के आधार पर इस तरह की प्रक्रिया को मंजूरी दिलाने के बारे में भारत सरकार के साथ संपर्क किया है और कई दिनों से यह प्रश्न भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित पड़ा है ।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री की ओर से 8.8.2009 को एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार को लिखा है कि प्रोफेसर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर CRZ अधिनियम में सुधार की प्रक्रिया चल रही है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से कोई सिफारश और सुझाव हो तो केन्द्र सरकार को भेजने का निर्देश किया है जिससे CRZ अधिनिमय 1991 के सूचित सुधार में उनका समावेश किया जाए ।

इसके तहत CRZ विस्तार में खनन प्रक्रिया करने की छूट दी जाए इसके लिए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 29.1.2010 के पत्र द्वारा माननीय प्रधान मंत्री को ब्यौरे वार संपर्क किया है।

इस पत्र के अनुसंधान में भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय माननीय मंत्री जी द्वारा 24.2.2010 के पत्र के अनुसंधान द्वारा जानकारी दी गई है कि हाल के प्रवर्तमान CRZ के नोटिफिकेशन में सुधार लाने की कार्यवाही हाथ में ली है । इसके तहत आपकी मांगों पर योग्य विचार किया जाएगा ।

गुजरात सरकार ने बार-बार केन्द्र सरकार के साथ पत्राचार किया है लेकिन परिणाम शून्य है।

फिर से CRZ के नोटिफिकेशन में सुधार लाने के लिए पक्षकारों के साथ सोच-विचार करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव द्वारा 6.7.2010 को रखी गई बैठक में इस मुद्दे के अंतगत गुजरात के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा पेश किया गया है ।

मेरा सुझाव है कि गुजरात सरकार की यह मांग जायज है और डा. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए । केन्द्र सरकार की निषेधात्मिकता 1991 लागू नहीं होनी चाहिए तथा इसका खुलासा करके गुजरात के सीमेंट उद्योगों को बचाया जाए ।

सुझाव :

1. सीमित भण्डारों को देखते हुए देश में नई खनन पट्टियों की पहचान की जानी चाहिए ।
2. खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए तथा खनन क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किए जाने की आवश्यकता है ।
3. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा अन्य कंपनियों द्वारा खनिजों के मूल्य में अंतर को हटाया जाए ।
4. देश में हो रहे अवैध खनन को रोकना चाहिए तथा अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों को दंड दिया जाना चाहिए ।
5. खनिजों के खनन तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीक अपनाई जानी चाहिए ।
6. खनन के निजी मालिकों द्वारा कमाए लाभ पर रॉयल्टी के साथ कर लगाया जाना चाहिए ।
7. सोना, हीरा तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के आयात पर भारी खर्च को देखते हुए उनका उत्पादन बढ़ाया जाए ।
8. लौह अयस्क की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगानी चाहिए ।
9. खनिज के खनन के लिए कई भूस्तर शास्त्रियों की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए गुजरात में डिप्लोमा/डिग्री कॉलेजों में सीटों का बढ़ावा किया जाए और रिसर्च सेंटर दिया जाए और हो सके तो एक खनिज शिक्षा यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की जाए ।
10. खनिज खनन के बारे में कई समस्याएं हैं उसको साथ बैठ के सुलझाया जाए और हो सके तो एक कमेटी बिठाई जाए जिससे कोई ठोस नीति तय हो सके ।

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम) :**

हम खुशनसीब हैं कि हमारे देश भारत में विपुल मात्रा में खनिज संपदा भरी हुई है । हमारे कई राज्यों में विविध प्रकार की खनिज संपदा के भंडार भरे हैं । समग्र विश्व में हमारा ही एक मात्र भारत वर्ष है कि जिसकी जमीन में अलग-अलग प्रकार की विविध खनिज संपदा उपलब्ध है । समग्र दुनिया के किसी भी देश की तुलना में हम इन बात पर खुशनसीब है और कुदरत का पूर्ण आशीर्वाद भी है ।

इतनी सारी खनिज संपदा होते हुए भी हम उनका ठीक तरह से उपयोग कर सके नहीं है । ये बहुत ही दुःखद और कमनसीब बात है । इतनी सारी प्राकृतिक संपदा होते हुए भी आजादी के 63 वर्ष बाद भी उनका ठीक तरह से उपयोग नहीं हो पाया है ।

योजना आयोग ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय खनिज नीति अधिनियम 1957 में सिफारिशें के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की थी । ये समिति की रिपोर्ट पर मार्च 2008 में राष्ट्रीय खनिज नीति अधिसूचित की गई । इस खनन नीति में कई खामियां हैं ।

केन्द्र सरकार के दबाव में आकर पर्यावरण मंत्रालय ने 344 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 380 हजार हेक्टेयर कर दिया है । 36 हजार हेक्टेयर घने जंगलों का विनाश हो जाएगा ।

हमारे पास उपयुक्त कोयले का भंडार केवल 160 वर्षों के लिए ही पर्याप्त है । इसे निकालने की सारी तकनीक फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं है । अगर हम कोयले का खनन दुगुना करेंगे तो कुछ ही वर्षों में ये समाप्त हो जाएगा ।

बिजली उत्पादन के दुष्प्रभाव गरीब पर पड़ते हैं । उनके खेत अधिग्रहित होते हैं, उनका पशुपालन का व्यवसाय हाथ से निकल जाता है, जंगल कटने से भूमि का तापमान बढ़ता है । बिजली के माध्यम से देश के संसाधनों को गरीबों से छीनकर अमीरों को हस्तांतरीत किया जा रहा है, जो अनुचित है ।

---

* Speech was laid on the Table

- सरकार की जंगल को 'गो' तथा 'वो गो' क्षेत्र में विभाजित करने की नीति गलत है।
- ओवरलोडिंग और अवैध खनन को वैध बनाना चाहिए । खनन में स्वामित्व और रॉयल्टी की सरकारी देनदारियों के सापेक्ष ठेकेदार 15-20 गुना तक मुनाफा बटोर लेते हैं ।
- खनन कंपनियों के मुनाफे में हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि गरीब को लाभ पहुंचाया जा सके । जनभागीदारी होनी चाहिए ।
- अवैध खनन रोकने के लिए सेटेलाईट तस्वीरों के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए ।
- राज्यों में ट्रांसपोर्ट परमिट पर निगरानी रखनी चाहिए ।
- खनन आबंटन में आरक्षण होना चाहिए । जनजाति क्षेत्र में नए पट्टे खनन से होने वाले लाभ का 30 प्रतिशत पैसा स्थानीय विकास पर खर्च होना चाहिए ।
- वन सीमा के क्षेत्र से 25 मीटर के दायरे में आवंटन नहीं होना चाहिए ।
- खान आवंटन में आरक्षण बेरोजगार युवकों को, सेना के शहीदों के आश्रितों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए ।
- खनन पट्टों के बीच में गए क्षेत्र के निर्धारण के लिए अलग प्रक्रिया बननी चाहिए ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर नई खनन नीति बनानी चाहिए । सरकार और उद्योग जगत को मिलकर दुनिया की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों पर आधारित खनन नीति तैयार करनी चाहिए ।

***श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कि हमारा देश खनिजों से भरा पूरा है, और अभी भी हमारा देश सोने की चिड़िया है लेकिन हमारा देश सोने की चिड़ियां होते हुए भी विकसित नहीं है क्योंकि हमारे यू.पी. में सरकार हमारे देश की खनिज संपदा को सुरक्षित नहीं रख पा रही है हमारे देश के चारों ओर खनिज संपदा से भरा हुआ है जैसे- झारखंड, उड़ीसा, असाम, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्रा इत्यादि राज्यों में खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन यह सभी राज्य इतनी खनिज संपदा होते हुए भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में गिना जाता है, और इन्हीं राज्यों के कारण हमारा देश भी गरीब है, और इसी गरीबी का असर पूरे देश पर पड़ता है ।

हमारे देश माईनींग पॉलीसी इतनी गंदी है कि जिस स्टेट में माईन्स का भंडार है वहीं के लोग भूखे मर रहे हैं । नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और यदि उन्हें किसी कॉन्ट्रेक्ट के माध्यम से उन्हें नौकरी पर रख भी लिया जाता है तो उसके साथ् खुलेआम लेबर एक्ट का विरोध किया जाता है, 8 घंटे के जगह 12 घंटे काम लिया जाता है, और उनकी पूरी मजदूरी दर भी नहीं मिल पाता है, और उन्हें इस प्रकार से शोषण किया जाता है ।

अभी हमारे माईनींग पॉलिसी में संसोधन करने की जरूरत है, अभी देश में खनिज संपदा का अंधाधुंध खनन की जा रही है । और जिस राज्य में खनिज संपदा है, वहां नक्सलियों का वर्चस्व है, सरकार इसे सुरक्षित रखने में पूरी फेल हो रही है,

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जिस राज्य में माईनिंग या खनिज संपदा का भंडार है, वहां उसे इस संपदा का लाभ मिलना चाहिए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके । और ऐसे पी.एस. यू. कंपनी को जहां वह स्थित है, उस क्षेत्र के विकास का जिम्मेदारी दे देना चाहिए ।

---

* Spech was laid on the Table

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति जी, मेरा डिवीजन नम्बर 295 है, कृपया मुझे यहां से बोलने की इजाजत देने की कृपा करें। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी कुछ बातें इससे हटकर कहना चाहता हूं। डैवलपमैन्ट ऑफ लॉ में देखिये, जो एक्ट बना है, उस एक्ट का नाम Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 है। इस एक्ट से यह रेगुलेट हो रहा है। लेकिन इस एक्ट का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हर साल बजट एलोकेशन होता है और इनकी एक ही कंपनी है, जिसका नाम नेल्को है, उसे हर साल यह एवार्ड देते हैं। लेकिन इन बजटरी ग्रांट के पेपर्स में जो मैंने देखा, उदाहरण के लिए आप देखें कि इन्हें 2009-10 में 8404 करोड़ रुपये अलाट हुए थे और इन्होंने सिर्फ 640 करोड़ रुपये खर्च किये, सिर्फ 38 परसैन्ट खर्च किया, बाकी खर्च नहीं कर पाये, जो लैप्स हो गया।

उसी तरह से दूसरे प्लान में इन्होंने सिर्फ 37 परसैन्ट खर्च किया और एक ही कम्पनी काम करती है, जिसका नाम नेल्को है और उस नेल्को के काम को मैं बैड मैनेजमैन्ट कहूंगा, लेकिन उसे 2008 में नवरत्न कंपनी का एवार्ड दिया गया। यह विरोधाभास देखिये, यह मोनोपोली कंपनी है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे माइन्स में नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि. काम करती है और यदि आप इजाजत दें तो मैं गवर्नमैन्ट के पेपर्स से पढ़ दूं -

> "NALCO is in the process of expanding its capacity with an annual production target. The production of the Unit has been slow but it has been accorded the *Navratna* status by Government of India in April, 2008. "

38 परसैन्ट यूटिलाइजेशन है, मैं सजैस्ट करूंगा कि अब की मर्तबा इनके मैनेजिंग डायरेक्टर को भारत रत्न अवार्ड दे दिया जाए। ...(व्यवधान) They are strong but their case is bad. आप इसे गंभीरता से लीजिए।

अब आजकल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिवाज और फैशन चल रहा है, लेकिन उससे आप वर्ल्ड में कम्पीट नहीं कर सकते।

हम तो बीच में, कभी आपने राज किया और कभी इन्होंने किया लेकिन खमियाज़ा हम लोग भोग रहे हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप विषय पर आइये।

श्री विजय बहादुर सिंह : सभापति महोदया, मैं विषय पर रहा हूं। मैं बड़ी गम्भीर बात कर रहा हूं कि एक ही एक यूनिट है जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है और नेशनल वैल्थ को गम्भीरता से देखें तो मैं एक बात

कहना चाहता था कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन आप कभी कार बनाने में फैक्ट्री बनाने में , पुर्जा बनाने में जापान की होंडा कम्पनी से कम्पीट नही कर सकते हैं। हमारी नेशनल वैल्थ बहुत ही इम्पार्टैंट वैल्थ है। आप देखिये कि इनकी एक ही एजैंसी है - ज्योलौजिकल सर्वे ऑफ इंडिया । यह देश की नेशनल वैल्थ और माइन्स का सर्वे करती है। पिछले दिनों जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो देखा कि इनके नक्शे 1932 के बने हुये हैं जो 2010-11 के डेवलेपमेंट का काम करती है तो उसके लिये भगवान ही मालिक है। जी.एस.आई को स्टैंडिंग कमेटी ने इंजैक्ट किया कि इनको माडर्नाइजेशन के लिये फंड्स दिये गए लेकिन वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में उस फंड का यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। इसमें दिक्कत क्या है? इनका कहना है कि हम सैंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं। आज ग्लोबलाईजेशन इतना स्ट्रांग है कि पता लगा सकते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कहां मिलते हैं, उनको इक्विप करिये और कम से कम अपनी नेशनल वैल्थ का आक्कलन तो कर लीजिये।

सभापति महोदया, मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि माइनिंग फील्ड में प्रोडक्शन से ज्यादा इल्लीगल माइनिंग है। भारत सरकार राज्य सरकारों पर दोषारोपण करती है और राज्य सरकार कहती है कि उन्हें बताया नहीं जाता है कि नेशनल वैल्थ का इतना वेस्टेज हो रहा है। यह सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि अभी दो साल के अंदर एक लाख 57 हजार केसेज़ इल्लीगल माइनिंग के पकड़े गये हैं. लेकिन उनमें से कितने प्रोसीक्यूट हुये, कितनों पर मुकदमा हुआ, यह बिलकुल क्लोज़ली गार्डेड सीक्रेट है, पता नहीं चला । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आजकल छोटे-छोटे प्लेन - सर्वेलेंस प्लेन आ गये हैं । पहले जी.एस.आई. से पूरा आक्कलन कर ले और अगर यह पब्लिक सैक्टर कम्पनी फेल कर रही है तो आप प्राईवेट सैक्टर को एनकरेज करिये। उनको पब्लिक सैक्टर से प्राइवेट सैक्टर से कम्पीटीटिव बिड करें। इस डेवलेपमेंट के साथ जितनी इसकी सम्पदा है, जो भी क्षेत्र है जहां माइनिंग हो रही है, वहां काम करिये। हमारे बुंदेलखंड में महोबा में बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है। मेरा सजैशन है कि वैल्फेयर एक्टिविटीज को भी स्टेटुटरी बनाना पड़ेगा। वे माइन्स खत्म हो गई, उजाड़ हो गया। वहां हैल्थ केअर, इस्टेब्लिशमेंट और माइन्स में जितनी आमदनी हो, कम से कम 25 परसेंट उन गांव वालों पर खर्चा किया जाये। अभी वेदान्त का उदाहरण दिया गया। अगर वैदान्त कहीं से 10 करोड़ रुपये आमदनी कर रही है तो उसका 30 परसेंट उस क्षेत्र में जहां की माइनिंग से उसकी आमदनी है, उस पर इनवैस्टमेंट किया जाये और वहां पर हैल्थ केअर की जाये। मैं जब एम.पी. की हैसियत से वहां गया तो मैंने विज्ञापन दिया कि जितने बुंदेलखंड में एन.जी.ओज़. हैं, मेरे पास आयें, मैं उन्हें काम दूंगा तो कोई नहीं आया लेकिन दो एनजीओज मुश्किल से आये तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं करते हैं। सिर्फ सी.ए, को बुलाकर जोर बाग के पोश आफिस में बैठकर नक्शा बनाते हैं और कहते हैं कि हम बुंदेलखंड में

एन.जी.ओ. चला रहे हैं. मैं चाहता हूं कि यह माइन्स का मैटर है, इस पर वर्ल्ड को बीट कर सकते हैं । हो सकता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमारी परेशानी हो।

मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी बात बताना चाहता हूं।

17.00 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

महोदय, सरकार के कागजों में आया है कि नाल्को स्टार परफार्मर है और 38 परसेंट फंड का यूटीलाइजेशन है। मैं जल्दी से अपने सुझाव दे रहा हूं। जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस शॉर्ट में जी.एस.आई. कहते हैं, इन्हें साइंटीफिक सर्वे एक्टीविटी में इम्पॉर्टेंस दी जाए, इनकी एप्रोच प्रोफेशनल हो, ट्रेंड पर्सनल स्टॉफ हो। कागज में यह भी आया है कि 1500 आदमियों का रिक्रूटमेंट वर्ष 2005 से पैंडिंग है, यह वर्ष 2011 है। भारत सरकार में या भारत देश में हम यह नहीं सुन सकते कि यहां पर टैक्निकल स्टॉफ नहीं है। दूसरा, इल्लीगल माइनिंग का इफैक्टिव मैकेनिज्म बनाया जाये, चाहे एयर सर्विलेंस हो, चाहे बीएसएफ की तरह इसका एक अलग डिपार्टमेंट हो, जैसे रेलवे प्रोटक्शन फोर्स है और वह कॉर्डिनेट करे।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, बस मैं संक्षेप में मात्र दस सेकेंड में अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। दूसरा, चूंकि यह लंबा काम है, इसलिए इसकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म न करके लांग टर्म प्लानिंग करें। यह ग्लोबल इश्यू है, इंटरनेशनल मार्केटिंग की स्ट्रैटजी गवर्नमेंट को न करनी पड़े। यह जो माइनिंग लीज मिल रही है, इसमें बड़ा करप्शन है, दस-दस साल की माइनिंग लीज में कोई 100 करोड़ या 500 करोड़ का सैक्टर नहीं है, इस लीज का पीरियड़ कम से कम 20 साल या इससे अधिक किया जाये। इसे 20 साल से ज्यादा किया जाये। स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी तरह से ठीक से इन्वॉल्व किया जाये, आपस में एकाउंटबिल्टी रखी जाये। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा होगा। गवर्नमेंट का फंड देने में मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरे पास वर्ष 2003 तक की फिगर है, हमेशा इन्होंने 38 परसेंट से ज्यादा यूटिलाइजेशन ही नहीं

किया है। न इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम्पलीट किया, न इन्होंने जी.एस.आई. को साइन्टिफिक इंस्ट्रूमेंट में इम्प्रूव किया और इनके 1 लाख 57 हजार केसेज़ रिपोर्टेड हैं, इन्होंने उनमें कुछ एक्शन नहीं किया है। इनकी हालत बहुत खराब है।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं इनका समर्थन करता हूं कि इनकी जो ग्रांट है, 8, 404 करोड़, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका यूटिलाईजेशन हो।

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): महोदय, मैं वर्ष 2011-12 के केन्द्रीय बजट के अन्तर्गत खान मंत्रालय की अनुदान मांगों के आलोक में कुछ प्रमुख बिन्दुओं की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, खान मंत्रालय की एक सशक्त संस्था है। वर्ष 2010-11 के योजना मद में 24.66 करोड़ रूपये के बजट की व्यवस्था थी पर वर्तमान वित्त वर्ष 2011-12 में इसे घटाकर 19.14 करोड़ रूपया कर दिया गया है। जोकि बहुत ही हैरानी की बात है। जबकि गैर योजना मद में खर्च को बढ़ा दिया गया है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय परिदृश्य में खनन उत्पादों की सहभागिता झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की क्रमशः 8.79 एवं 9.18 प्रतिशत अर्थात 17.97 प्रतिशत रही, जबकि उन्हें रॉयल्टी काफी कम प्राप्त हुई है।

महोदय, एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में 12-02-2011 को प्रकाशित समाचार के हवाले से मैं भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सीबीआई ने अवैध खनन एवं कर चोरी के आरोप में 65 माइनिंग कम्पनियों को नोटिस जारी किया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी प्रगति से सदन को अवगत करायें एवं इस पर कार्रवाई भी करायें।

महोदय, बिहार के गया जिले में एक विशाल रामशिला पहाड़ था, जो न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि पर्यटन एवं लोगों की धार्मिक आस्था भी उससे जुड़ी हुई थी। विगत कुछ वर्षों में उस पहाड़ का ऐसा खनन किया गया कि आज उस पहाड़ का अवशेष भी नहीं बचा है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहां भी खनन की व्यवस्था है, वहां कम से कम जो बदली होती है या चोरी करके उसे बेचा जाता है, उस पर रोक लगायी जाये। इसी प्रकार बिहार के जहानाबाद जिले में "बरावर पहाड़" स्थित है। जहां अशोक कालीन गुफाओं की बहुतायत है, जिसे रात में तोड़ा जाता है और चोरी छिपे इससे खनन किया जा रहा है। क्या मंत्री जी इस मामले में पूरी बात से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

महोदय, पायोनियर अखबार में 17 जनवरी 2011 को प्रकाशित एक समाचार की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। जिसमें इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री, खान मंत्री एवं परिवहन मंत्री के बीच रस्साकसी चलती रहती है। यह समस्या मात्र स्पष्ट नीति के अभाव के कारण है। हम चाहते हैं कि मंत्री जी इस पर सदन में स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

महोदय, हमारे देश में खान एवं खनन का विस्तृत क्षेत्र है। खनन के साथ हमारे यहाँ उससे जुड़ी पर्यावरण से संबंधित बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब से बिहार बंटा है, तब से बिहार में एक

भी खनन क्षेत्र नहीं रह गया है, सभी के सभी झारखंड में चले गये हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि कोल लिंकेज दिया जाए, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इस पर अपना कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कोई भी वक्तव्य नहीं दिया है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में कोल लिंकेज दिया जाये। जहां पर खनन किया जाता है, खनन के कारण विस्थापितों के पुर्नवास को भी उचित महत्व नहीं दिया जाता। मेरा अनुरोध है कि सरकार खनन से जुड़ी पर्यावरण, निदान एवं पुर्नस्थापन को मजबूत बनाए जाने के लिए कारगर कदम उठाए।

महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर तबके के लिए भारत सरकार ने 01 मार्च, 1988 को डी.ए.आर.एंड. पी.जी. (प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग) की स्थापना की, परन्तु मेरे संज्ञान में आया है कि इन वर्गों के कल्याण के लिए खान मंत्रालय की ओर से कोई विशेष उपाय नहीं किए गए हैं। वर्ष 2010 के खनन में खान मंत्रालय से जुड़ी संस्थाओं जी.एस.आई.आई.बी.एम., एम.ई.सी.एम., नाल्को आदि से संबंधित 150 शिकायतें डी.ए.आर.एंड.डी. के पास आयीं, जिनमें से मात्र 51 मामले ही निपटाए गए।

महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करके इसे शीघ्र देखा जाये। मेरी जानकारी में आया है कि इतने बड़े मंत्रालय को संचालित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की काफी कमी है। इन्हें स्पेशल वैकेंसीज़ निकालकर भरा जाये, जिससे कि कार्य की ठीक तरह से देखभाल हो सके। इसमें अधिकारियों की जो संख्या है, वह इसके कुशल संचालन एवं समस्याओं के प्रभावी निष्पादन के लिए नाकाफी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इनकी संख्या में वृद्धि करे।

महोदय, एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 के सेक्शन 9(3) के अन्तर्गत रॉयल्टी के लिए जो नियम निर्धारित किया गया है, वह झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश जैसे पिछड़े राज्य के लिए न्याय संगत नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि रॉयल्टी के मामले में प्रदेश की वित्तीय, सामाजिक स्थिति पर भी गौर किया जाना चाहिए। खान श्रमिकों की देख-भाल के लिए राष्ट्रीय खनन स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की गई है। एस.एंड. डी. परियोजना के लिए मात्र 22 लाख रूपए आवंटित किये गये हैं, जो काफी कम है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें और फंड की व्यवस्था की जाये।

महोदय, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1851 में रेलवे के लिए कोयला खनन के लिए की गई थी। इतने वर्षों के बाद इसकी कार्य सीमा एवं उद्देश्यों में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जरूरत है।

महोदय, रॉयल्टी के निर्धारण के लिए दिनांक 24/8/2006 को अध्ययन दल की स्थापना की गई थी। अध्ययन दल ने खनन उत्पादकों की एक खास अवधि में उसकी बिक्री न होने पर सवाल उठाए थे। सरकार को अध्ययन दल के लिए रिपोर्ट के मद्देनजर उठाए गए बिन्दुओं पर विशेष रूप से अमल करना चाहिए।

महोदय, खनन श्रमिक खान मंत्रालय के आधार हैं, परंतु उनकी ही अनदेखी की जाती है। खनन के दौरान उनकी मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में इनके परिजनों को पर्याप्त अनुग्रह सहायता नहीं दी जाती है। अनुग्रह सहायता मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसे सरल बनाया जाना चाहिए।

महोदय, खनन श्रमिक हमारी अर्थव्यवस्था के मेरूदंड है, जो कि जोखिम भरी अवस्था में अपने कामों को अन्जाम देते हैं। प्रतिकूल परिस्थितयों में अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। वर्तमान समय में इनके स्वास्थ्य देख-भाल की जो व्यवस्था है वह अपर्याप्त है। हमारी मांग है कि एक उच्चस्तरीय बोर्ड बनाया जाना चाहिए जो इनके स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन की निगरानी रख सके तथा दिशा-निर्देश दे सके। खान मंत्रालय से संबंधित सभी 14 प्रदेश एंव 2 संघ शासित क्षेत्र में इसका प्रादेशिक मुख्यालय हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Shri R. Thamaraiselvan – Not present.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. We are discussing about the Demands for Grants for the Ministry of Mines. We all know that mineral sector plays an important role in the development of the country and our country is endowed with vast mineral resources. India produces as many as 86 minerals which include 4 fuels, 10 metallic, 46 non-metallic, 3 atomic and 23 minor minerals.

Given such importance of the mining sector, this year the Ministry has to be handled slightly minimised Budget. The Ministry is responsible for survey and exploration of the mines and minerals except coal, natural gas and petroleum. But it is seen that out of the outlay of Rs. 8,404 crore, approved by the Eleventh Five Year Plan, during the last three years of the Plan Period, the Ministry has been able just to utilise 45 per cent of the allotted fund, this is undesirable.

My next point is that the Ministry needs to strengthen the Geological Survey of India by providing requisite additional funds in order to expedite its modernisation programme and also to fill up the vacancies to cope with the shortage of manpower in scientific and technical streams.

The Ministry also needs to strengthen the functioning of India Bureau of Mines and make a mid-term appraisal of the plans and programmes of IBM.

The Ministry needs to prepare a comprehensive action plan for NALCO (National Aluminium Company Limited) so that the physical and financial targets set for it by the Planning can be achieved. We have to see that any move for the disinvestment of NALCO must not be encouraged. Rather, second phase of expansion of NALCO must be completed by April, 2011.

Ministry needs to assess the on-going schemes and projects of the public sectors undertakings like Hindustan Copper Limited, which is the only copper producing industry of the nation from indigenous resources and also the Mineral Exploration Corporation Limited, so that the sufficient funds can be allotted. Our country has huge mineral potential but all are not realised. The Ministry needs to

accelerate exploration activities like copper, zinc, lead, nickel, gold and diamond, for converting the resources into reserves.

Now, I would like to raise some issues relating to mining sector which are posing a great challenge to the country. First issue is related to 'illegal mining'. Illegal mining is going on in our country for the last two decades and it is now increasing enormously. We have the Mining National Mineral Policies, 1993 and 2008.

Now in 1991, Government has taken the new liberalisation policy. In line with that Government recognised encouraging the private investment and also the direct foreign investment. In 1996, there was 50 per cent FDI. In 2006, there was 100 per cent FDI. As a result of this new National Mineral Policy, multinational companies and private companies are looting our national resources. We have to take care of them.

Due to demands in the international markets and because of the China boom, the spurt in prices of iron-ore in the international market has led to the problem of illegal mining to an alarming proportion in our country. Now, such cases of illegal mining have gone upto 58,294 out of which 7,306 cases filed in courts and 5,759 cases have been decided. It shows an abysmal rate of action against this illegal mining.

Illegal mining occurs if corporate interests are able to arm twist the State. Further, there is a thin dividing line between the legal and illegal mines. Those corporate houses that have legal mines also do illegal operations. For example in case of Obulapuram Mining Company of Reddy brothers of Karnataka, it has 187 hectares of legal mines and 647 hectares of illegal mines. We have to see that. What is of day's concern is the nexus between the mining mafia and a section of politicians and developments in Andhra and Karnataka, particularly of Bellary case, has to be seen in that light.

This is of great concern, and the Government should take firm action against this mining mafia, who are getting political mileage.

The main reason behind such increasing number of illegal mining is the Central Government Policy which encourages export of iron ore. Private entrepreneurs and multi-nationals play a crucial role here. In 2003-04, we were exporting just 12 million tonnes. Now, we are producing 217 million tonnes, and we are exporting 128 million tonnes. So, it is shameful for us. Is it not shameful that we are exporting the best quality of iron ore from Bailadilla to Japan and import processed machineries from them from the safe stuff? We can do it in our country by using full capacity of our steel plant. The expenditure incurred by us for import of steel is more than double the amount that we earn out of exporting iron ore.

Because of 100 per cent FDI in mining we see international corporate firms like De Beers and Broken Hill Properties have acquired huge prospecting rights in Orissa and Madhya Pradesh. Rio Tinto has diamond and gold prospecting rights in Madhya Pradesh. All these mining giants have no good track record and are violating human rights and environmental laws in South Africa and Papua New Guinea. The Central Government cannot shirk its responsibility because the Central Government has given approval for such projects and allowed these mining corporates to loot our national resources. This must be stopped.

Hence, I demand that the Central Government should nationalize the whole iron ore mining and other mining industry including the illegal ones, and also announce ban on iron ore exports till a review is conducted on the present Mining and Mineral Policy.

We see that in the Union Budget, the Government has enhanced the export duty rate for all types of iron ore but it is not going to affect the exporters very much as international price is much high. The National Mineral Regulatory Authority must be created to see that domestic need does not hamper and regional imbalances can be addressed.

Now, I come to the question regarding the safety of mines. Due to lack of proper planning and also lack of necessary technology and safety equipments, many accidents happen which cause much casualty and endanger not only the workers but also the people living in and around the mining area.

Next is the important issue of the Rehabilitation and Resettlement of evicted people and environmental damage. India's major mineral resources are mostly located in forest areas that have been home to the country's tribal population for millennia. Tribals are worst affected because of these mining projects. A large-scale of cutting trees and unscientific and indiscriminate mining even in areas where mining has been prohibited cause environmental damage and displacement of thousands of people. Mining activity is covered under the provisions of Environment (Protection) Ac but that is flouted by the mining mafia.

In India, approximately 10 million people have been displaced by mining projects. Almost 70 per cent of the people displaced have not received proper rehabilitation or any form of compensation. Most of these people are tribals. The living conditions of such displaced people, particularly the women, have serious negative impacts reducing them into helpless situation – hitting hard their private and cultural spaces, infrastructure facilities, protection from social customs, etc. The tribal women are exposed to exploitation, physical and sexual, of mine owners, contractors and other men. So, the Government has to take care of that. Proper relief and rehabilitation should be given. Also afforestation should be done for checking environmental damage.

At the same time, we should remember that the National Mineral Policy, 2008 talks for sustainable framework development. We know that the Maoists are making capital out of these illegal mining. On the one hand they are using these displaced people as mass support base and on the other hand they are extorting money from such illegal mining. The Hoda Committee, which was constituted by the Planning Commission, talks of reviewing the National Mineral Policy on two things. One is that the mining activity can and should enrich rather than deplete

biodiversity as a corollary to their intervention in the ecology of the area of activity; and the second one is that mining can and should contribute to the economic, social and cultural well being of indigenous host population and local communities.

The Government is now contemplating to compensate tribals with a part of profits of mining companies (say, ensuring 26 per cent profit share for locals), in additional to other measures. But profit can be uncertain and comes only after mining has commenced whereas displacement occurs in the beginning.

Profits can also be diminished by accounting legerdemain. It would be better if compensation is tied up as a percentage of the investment on the mining project. The Mining Ministry may examine the possibility of such displaced persons for equity ownership of the project as a part of the deal for giving up their land and also engage them in projects. What is needed for the Ministry now, is to get a holistic approach to the whole issue so that scientific method of mining takes place with modern technology and safety measures; and relief and rehabilitation is given to the displaced persons; and ecological balance is also maintained by making the mining environment-friendly.

With these words, I oppose these Demands and I conclude my speech.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me to speak on the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Mines for 2011-12. At the outset, I support these Demands for Grants.

India is a country, which has got large deposits of all sorts of mines and minerals across the country. The Geological Survey of India had conducted and are conducting many Geochemical Mappings (GCMs), Geophysical Mappings(GPMs), Aero geophysical Survey, Marine Survey, Mineral Resources Assessments etc., to tap the natural resources for the country's development. There are large deposits of gold, diamond, platinum, base metal, etc. Many of the findings have resulted into production of many minerals in huge quantities, meeting the requirement of the country as well as to export.

India has a large number of economically useful minerals. Minerals such as magnetite iron ore, bauxite, gypsum, etc. have been found in many parts of our State of Tamil Nadu. Similarly, Karnataka have important goldmines. Likewise in Madhya Pradesh, Panna diamond belt is the only diamond producing area in the country.

Sir, researchers have found micro diamond in our State of Tamil Nadu's Nagapattinam and Vedaranniyam beaches, which were ravaged by the devastating tsunami about six years back. The findings enhance the prospects of diamond exploration in the coastal zones along with the country's east cost.

Beach samples of Nagapattinam and Vedaranniyam also indicate indirect evidence of Kimberlite indicating the presence of minerals like Uvarovite. There is a possibility of some of the micro diamonds being meteoritic in origin, which cannot be ruled out as they may be released from primitive meteorites.

India's Geological Survey has found two platinum prospects in Sittampundi of Namakkal district and Mettupalaylam in our State of Tamil Nadu. Describing them as good discoveries, the scientific stage, where there is an evidence of substantial deposits of platinum, needs to be explored further to understand the

exact location and quantities. The mining of platinum group of minerals present in the Mettupalayalam and Namakkal areas of our State, needs to be undertaken quickly by the Geological Survey of India and to be converted into commercial activities. Therefore, I would request the hon. Minister to explore the findings of mines and minerals discovered by the Geological Survey of India, which will not only help the country to gain revenue but also will generate employment to the rural masses.

Sir, I would like to bring it to the notice of the Government that there is an urgent need to strengthen the Geological Survey of India further. It is an organization, which is having expertise more than a century.

I would also like to invite the kind attention of the hon. Minister that there are many areas in the country, which are yet to be tapped for exploration of mines and minerals. So, the Government may give attention to it. I have noticed that many mines of different varies have been closed down like the one in Kolar in Karnataka, which has gold reserves, on the plea of viability. Therefore, I would like to request the Government to adopt new technology and technique for the purpose of cost cutting and revive the closed mining.

Sir, the Geological Survey of India made important contributions to seismology by its meticulous investigations, studies and detailed reports on numerous Indian earthquakes of the 19th and early 20th century. I stress that the Government should entrust more responsibilities on the Geological Survey of India to conduct seismology tests to find out the possible earthquake in any parts of the country, as we have been, rather the entire universe has been experiencing frequent earthquakes.

Mineral sector is going through a period of transformation. Several foreign companies have begun to show interest especially in minerals in India by pooling their resources for exploration and exploitation of iron ore, bauxite, base metals, heavy mineral sands, gold and diamond etc.

In order to fulfil the demand and supply gap, the deep-seated mineral deposits are to be properly exploited. Since the mineral investigation is capital intensive, the existing mineral industries in public and private sectors must come forward to invest in prospecting and reconnaissance operation and may also try for joint venture with foreign companies where there is synergy.

The GSI has developed the largest and most comprehensive earth-science data base in India. Therefore, the GSI should share their data and offer advanced short-term training to the member organizations for adoption of innovative techniques and concept oriented projects. Similarly, the GSI should also come forward to sponsor joint exploration and exploitation of the mines and minerals with State Governments.

We have also come across certain instances of illegal mining activities in different parts of the country. It seems that the Government is failing in its duty to check illegal mining activities. I would strongly urge the Ministry to take the issue of illegal mining activities as the persons indulged in this type of activities are swindling the national resources. They should be made accountable. They should be put behind bars. They should not be allowed to take the help of the law to prolong the cases pending against them in the courts.

Survey of mining activities should be done at regular intervals. This would help the Government to know whether illegal mining is taking place or not and whether the guidelines for mining activities are being floated or not.

As there are controversies in regard to rate of royalty, sale of non-core assets, quantity of mineral reserves, captive mineral reserves, mining of sponge iron, manganese deposits, mining of asbestos, would the Government consider nationalisation of mines across the country? I think this would put at rest all the issues involving mining in the country.

Another important factor, which is to be pursued by the Government with all its command, is the peripheral development in the mining areas. Often, we could see that very little development takes place in and around the mining areas. This is a serious matter to be attended to by the Government.

Yet another thing which I would like to point out here is that large deposits of Molybdenum have been discovered in my Parliamentary constituency, Dharmapuri. The Government should make all efforts to exploit this discovery for converting it into commercial activity, for revenue earning and also for providing employment opportunity together with turning this backward district into a prospering district in Tamil Nadu.

With these words, I conclude my speech.

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the debate on the Demand for Grant of the Ministry of Mines.

Mineral wealth of a country can be very effectively used to alleviate poverty, increase the quality of human life and create wealth for redistribution in the country. However, I fear to say that the Ministry of Mines of the Government of India has not been able to do that. The simple mandate of the Ministry of Mines is to survey, do the exploration of mineral wealth in the country, make legislation for mines regulation, increase the efficiency and ensure that scientific methods of mining are utilized for sustainable and environment friendly mining through its agencies of GSI, IBM, NEC and the other agencies that you have.

The simple fact that the contribution of the mining sector to the GDP in India has been a mere 2.2 per cent as against 16 per cent in Zambia, 19 per cent in Norway and even 5.6 per cent in Australia tells us that we have not been able to utilize and maximize the benefits from the mineral wealth of our country. The Government has taken some proactive steps. We have been fighting for not only the environment and R&R issues that have plagued the mining sector but we have also been fighting for a law, an archaic law which is more than 50 or 60 years old. I am happy to note that this Government has taken some positive steps to create a new National Mineral Policy and also to amend the MMRDA Act to try and develop the mining sector in the country.

However, the devil lies in the details and the file prints. We have to examine the proposed draft of the MMDRA Act to ensure that it is a progressive one and not a regressive one. Let me take the first clause that the current Government of India has so categorically professed to be a positive one, which has also been found place in the Address of the President to the Parliament.

The Government intends to bring about a legislation which will effect a 26 per cent profit sharing of mining companies with stakeholders. In this case we find that the description of profit with mining companies is an absolutely grey area. The amount of depreciation, because of huge heavy earth moving equipment which is used by mining companies, is tremendous. We have seen consistently that companies have tended to not disclose their full profits. So, when you go off a percentage of the profit sharing, how will you actually ensure that a fair amount of money goes down to the stakeholders?

I believe that the Planning Commission has also asked the Government to redraft the legislation offering the affected people 26 per cent royalty as compensation and not the profit. In this matter, may I state that the Government of Orissa – not only Government of Orissa, but all mineral bearing State Governments – have been requesting for increase in the *ad valorem* royalty. You have increased it to 10 per cent. But let us be clear. In 2009 the price of iron ore was nine dollars when it was used to plug holes in roads. Today it stands at anywhere between 900 dollars and 2000 dollars. The windfall gain of the mining companies is tremendous. The cost of mining more or less remains the same. We should consider, at least in the interim, an increase in the *ad valorem* royalty to at least 20 per cent and ensure that a part of that money goes to the stakeholders who are tribals or other communities directly affected by the mining activities.

The efficiency of the Mining Department can be judged by the efficiency of its institutions. Let me first look at IBM, Indian Bureau of Mines. I understand that as per the Mineral Conservation Development Rule of 1988 the IBM is absolutely and wholly responsible for the mining plan of a mine and monitoring mining activities thereafter. If that is true, is not the IBM, and therefore the Government of India, absolutely responsible for the illegal mining activities which have been demonstrated by the Members of the House? Why blame one State Government or another State Government? It is a matter which transcends all mineral States. We have to take a holistic view on it. IBM currently has no interaction with any State

Government. There is no way any State Government can actually influence the IBM or impact the working of the IBM. You would of course reply saying that under the MMRDA Act, Clause 4, there is also an element of responsibility of the State Government. I would suggest to have a working committee of the Central Government and State Governments to look into this matter. This matter is not about inefficiency of one political party or another; it is a matter of the loot of our national resources, resources which can eventually be used to better the life of our countrymen.

The other reason why the mining activities have failed to really take off in our country, and this is the evidence, is that the poorest States of our country are richest in mineral. Another reason why we have failed to take off is the fact that there is no infrastructure created to ensure that scientific mining actually takes place. I would suggest that let the Mines Ministry take the initiative and work with the Ministries of Railways and Surface Transport (National Highways) to ensure that proper infrastructure takes place and mining activities do not hinder the lives of existing villagers in and around that area.

Now let me come to the most important point, that is, the manner in which mines should be allotted. The old MMRDA Act envisions first-come-first-served basis for allotment of mines. Let me also state that first-come-first-served basis is the same principle applied by the Telecom Ministry when they gave out Spectrum. I understand in some cases where reconnaissance is required, where investment is required to unearth new mineral bearing areas that this may be the condition laid out. I absolutely agree. There should be in those cases where R&P is given out that huge capital investment is done to discover new mineral wealth that first-come-first-served basis should be applied and there should be a single transition from RP to PL to ultimately a mining licence. These are not the 1800s or 1900s that we are talking about; we are in the 21st century.

Most people know where the iron-ore is. A large part of the work has actually been done by the GSI and other institutions and we know even by word of mouth in which forest and in which village what mineral is being found. Here, I would suggest that you take up the principle of competitive bidding, something which, I believe, the hon. Finance Minister also made a mention of in his Budget Speech on 28th February 2011 by saying that he wants to develop a competitive system for exploiting natural resources. I would suggest and reiterate that here we take up the competitive bidding with a clause that value addition must come first. Let us be very clear that in a State or an area which is poor, if a company decides to put up a plant and give jobs to thousands and thousands of people, that act must be given priority over somebody who wants to just exploit the natural resources and make windfall profits for himself.

I do want to ask the hon. Minister one question. The normal response of the Ministry is that we are short of staff and we are short of trained personnel and therefore, mining activity is unscientific and unregulated because of which there is so much exploitation both of the nature and of human capital. If we are so short of staff, then why is it that we have only one branch of Indian School of Mines? The CII themselves have said that there is a shortage of over 10,000 people in the industry and there is projected shortage of about 8,500 mining engineers. Then, why is it that we cannot create more branches of the Indian School of Mines? I propose that the hon. Minister may consider putting one branch of it in every mineral-bearing State of the country.

Lastly, the GSI has, amongst the 42 studies that it has done, has done two very crucial studies on glaciers. It is mentioned by the Ministry in the Outcome Budget. One is the Detailed Glaciological Study on Hamta Glacier in Chandra and the other was inducted in the Arctic Expedition of National Centre for Antarctic and Ocean Research, NCAOR. These are studies which are very crucial for the climate change effect on the country. I was wondering whether there have been any follow up actions on these studies. These are 42 studies which have been done

by the GSI. I would like to know from the hon. Minister whether they have just passed them on to the relevant Ministries and whether there have been Action Taken Reports at all. I hope, the hon. Minister would clear it.

***श्री गणेश सिंह (सतना):** मैं खान मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर अपनी बात रख रहा हूं। हमारे देश में बड़ी मात्रा में बेशकीमती खनिज का भंडार है। खनिज का भंडारण निजी एवं सरकारी सेवा दोनों जगहों पर मौजूद है, लेकिन खनिज का जो दोहन हो रहा है, उसमें काफी सुधार की जरूरत है। जो खनन के मानदंड निर्धारित हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा है? इस तरफ जैसी निगरानी होनी चाहिए, वह नहीं होती है। आज जहां खनन हो रहा है, वहां का पर्यावरण खराब हुआ है, वहां के जल स्रोत सूख गये हैं, वहां का जल स्तर अत्यंत नीचे जा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, हैवी ब्लास्टिंग से पड़ोस के गांवों के मकान फट रहे हैं तथा गिर रहे हैं। लगातार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा खदान मालिकों को हर साल दिल्ली में बुलाकर प्रमाण-पत्र अच्छा कार्य करने का दिया जाता है। कई स्थानों में तो यह स्थिति है कि गहरी खदानों से भूकम्प जैसी स्थिति बन गयी है। मैं मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि खदानों की स्वीकृति देते समय अन्य सभी दुष्परिणामों के बारे में भी गहराई से विचार करें।

निजी क्षेत्रों में जो मिनरल है, देखा जाता है कि जबरन या अधिग्रहण का डर पैदा करके सस्ते दामों पर किसानों से जमीन हथिया ली जाती है। यह जो कानून बना हुआ है, उसमें संशोधन करते हुए जमीन के पट्टेदार को पर-टन कुछ न कुछ देने के लिए प्रावधान होना चाहिए। उसके साथ जब मिनरल निकल जाये तो उसे जमीन की फिलिंग करके सम्बन्धित किसान को जमीन लौटा दी जाये।

अक्सर देखा गया है कि जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, जिनके द्वारा मिनरल उत्खनन का कार्य किया गया है, वे सब घाटे में चल रहे हैं। वहीं निजी कंपनियों द्वारा भारी लाभ कमाया जा रहा है। इसका कारण क्या है? इस पर मंत्रालय को गहराई से विचार करने की जरूरत है। देश भर में बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन हो रहा है। माफिया पूरी तरह से सक्रिय हैं और उन पर रोक नहीं लग पा रही है। इससे सरकार को राजस्व की अधिक हानि हो रही है। मंत्रालय सिर्फ खदानों का आबंटन कर रहा है, लेकिन सुरक्षा जैसे मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है।

जो बजट आबंटन होता है, उसे किन-किन मदों में खर्च किया जाता है, इसमे पारदर्शिता की जरूरत है। कई जगह बेशकीमती खनिज रिजर्व फारेस्ट के कारण भूगर्भ में हैं। कुछ जगहों में तो रिकॉर्ड में वन लिखा है, परन्तु पेड़ नहीं हैं। ऐसी जगहों को चिन्हित कर वहां का मिनरल निकालने की अनुमति मिलनी चाहिए।

---

* Speech was laid on the Table

कच्चा माल विदेशों में भेजने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह क्षेत्र लाइम स्टोन के विशाल भंडारण का है। हैवी ब्लास्टिंग से जमीन में कंपन आ जाता है, मकान फट रहे हैं, जंगलों के बीचों-बीच खदानें चल रही हैं। ऐसी अनेकों नयी-नयी समस्याएं मौजूद हैं, जल स्रोत नीचे जा चुके हैं।

खदानों में काम करने वाले श्रमिकों एवं विस्थापित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनके परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी आवश्यक है। इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक असंगठित हैं, उन्हें संगठित करने की जरूरत है।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदान है। उसके बगल में रिजर्व फॉरेस्ट है। जिस विस्तार रूप में कार्य खदान का होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। भारत सरकार के खान मंत्रालय का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इतने बेशकीमती धातु के उत्खनन के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है।

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this important subject. According to the study of trends, mining industry has contributed approximately 2.5 per cent to three per cent to the GDP over the last few years and the same is expected to increase to about five per cent of the GDP over the next few years. Mining is a money-making business. Not only do mining companies prosper, but the Governments also make money from revenues. Workers also receive income and benefits.

The Government should plan alternative solutions such as the deeper level mining of available mineral resources, conservation and alternative locations for optimum utilisation of potential mineral belts, with modern and revised techno-economic viewpoints. The Government should emphasise that the concept of cluster-mining be worked out and new mineral areas involving combination of modern technology for mining be evolved with due consideration for Sustainable Development Framework, both for the existing as well as the future mining centres in India.

Sir, there is an acute shortage of trained personnel and skilled manpower as per the current scenario as well as the growth projections in the mining and mineral sector. The existing ITIs are not suitably equipped for skill development in this sector. This issue needs to be addressed preferably in the Public-Private Partnership model through the National Skill Development Board. The Government should revive the proper study methods according to the current modern technique and environment issues for the skills development for the mining industry in the context of requirement of skilled geoscientists and mining engineers, mates, surveyors and technicians. The Government should evolve a strategy for involving GSI Training Institute network of RTIs and FTCs across the country for imparting specialised short-term training courses in collaboration with identified mining sectors for fields like surveying, underground geological

mapping for mining etc. and finalize issuing diploma and degrees certificates in association with Universities.

The nature of mining processes creates a potentially negative impact on the environment both during the mining operations and years after the mine is closed. This impact has led to most of the nations of the world adopting regulations to moderate the negative effects of mining operations. Safety has long been a concern as well, but modern practices have improved safety in mines significantly.

They develop skin rashes, headaches, vomiting, diarrhea, etc. In fact, the symptoms of mercury poisoning are very similar to the symptoms of malaria. Many people who can not afford to go to a doctor or who live in a village where a doctor is not accessible, they often are not treated for their illnesses. If the water is contaminated, the people can not use it for bathing, cooking, or washing their clothes.

There is a serious concern over ongoing unscientific and haphazard mining activities in some parts of the States in India.

Sir, I am speaking for the first time in this House.

MR. CHAIRMAN: Yes, please carry on.

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR : Such mine operators do not generally take due cognizance of the geo-environmental factors essential for sustainable regional development and protection of interests of the local communities, particularly, in the tribal areas.

It is a very serious matter and the Government should look into the negative impact of mining operations. The Government should make a long-term policy and rules for the mine companies to follow stringent environmental and rehabilitation codes in order to minimize environmental impact and avoid having any impact on the human health in the country.

There is greater need of improvement in surveying by using scientific and innovative methods in the mining industry. I hope and trust that the Government will consider my views and take appropriate steps to boost the mining industry and protect the environment and human health of this country.

[*]**DR. PRASANTA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR) :**India has a long history of commercial coal mining covering nearly 220 years starting from 1774 by M/s Sumner and Heatly of East India Company in the Raniganj Coafield along the Western bank of river Damodar. However, for about a century the growth of Indian coal mining remained sluggish for want of demand but the introduction of steam locomotives in 1853 gave a fillip to it. Within a short span, production rose to an annual average of 1 million tonne (mt) and India could produce 6.12 mts. per year by 1900 and 18 mts per year by 1920. The production got a sudden boost from the First World War but went through a slump in the early thirties. The production reached a levelof 29 mts. by 1942 and 30 mts. by 1946

With the advent of Independence, the country embarked upon the 5 year development plans. At the beginning of the 1st Plan, annual production went upto 33 mts. During the 1st Plan Period itself, the need for increasing coal production efficiently by systematic and scientific development of the coal industry was being felt. Setting up of the National Coal Development Corporation (NCDC), a Government of India Undertaking in 1956 with the collieries owned by the railways as its nucleus was the first major step towards planned development of Indian Coal Industry. Along with the Singareni Collieries Company Ltd. (SCCL) which was already in operation since 1945 and which became a Government company under the control of Government of Andhra Pradesh in 1956, India thus had two Government coal companies in the fifties. SCCL is now a joint undertaking of Government of Andhra Pradesh and Government of India sharing its equity in 51:49 ratio. I request Hon. Minister for enhancement of Nalco.

[*] Speech was laid on the Table

Nationalisation of Coal Mines

Right from its genesis, the commercial coal mining in modern times in India has been dictated by the needs of the domestic consumption. On account of the growing needs of the steel industry, a thrust had to be given on systematic exploitation of coking coal reserves in Jharia Coalfield. Adequate capital investment to meet the burgeoning energy needs of the country was not forthcoming from the private coal mine owners. Unscientific mining practices adopted by some of them and poor working conditions of labour in some of the private coal mines became matters of concern for the Government. On account of these reasons, the Central Government took a decision to nationalize the private coal mines. The nationalization was done in two phases, the first with the coking coal mines in 1971-72 and then with the non-coking coal mines in 1973. In October, 1971, the Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Act, 1971 provided for taking over in public interest of the management of coking coal mines and coke oven plants pending nationalization. This was followed by the Coking Coal Mines(Nationalisation)Act, 1972 under which the coking coal mines and the coke oven plants other than those with the Tata Iron & Steel Company Limited and Indian Iron & Steel Company Limited were nationalized on 1.5.1972 and brought under the Bharat Coking Coal Limited (BCCL), a new Central Government Undertaking. Another enactment, namely the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973, extended the right of the Government of India to take over the management of the coking and non-coking coal mines in seven States including the coking coal mines taken over in 1971. This was followed by the nationalization of all these mines on 1.5.1973 with the enactment of the Coal Mines (Nationalization) Act, 1973 which now is the piece of Central Legislation determining the eligibility of coal mining in India.

***श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल):** आज अवैध उत्खनन में बढ़ोत्तरी हुई है। निश्चित तौर से देखा जाये तो देश के साथ एक असंवैधानिक रूप से बहुत बड़ा अनिती कार्य है, जिसे सरकार के द्वारा रोका जाना अति आवश्यक है।

आज देश में प्रचुर मात्रा में हमारे पास चाहे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हीरा, अभ्रक, कोयला अन्य भिन्न-भिन्न तमाम सारी अमूल्यवान चीजें धरती के अंदर समाहित हैं, परंतु आज इसका प्रचुर मात्रा में दोहन हो रहा है और इसे रोकने के लिए विशेष कठोर नीति एवं दंडात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता है, जिससे हम इस अमूल्य चीजों के अवैध उत्खनन को रोकने में समर्थ सिद्ध हो सकते हैं।

आज जितनी प्रचुर मात्रा में ये अमूल्य चीजें हैं, वहां उसके जैसा मूल्यवान हमारा वन एवं उससे जुड़ा पर्यावरण हमारे लिए और हमारे जनजीवन के लिए हमारे देश की समूची व्यवस्था एवं संतुलन को बनाये रखता है। क्या हमें इसे बचाने की आवश्यकता नहीं है?

नेल्को को यदि अनुमति दी गई है, वह विशेष उपाधी के द्वारा नवाजा गया है। क्या यह सही है। इसका सीधा स्पष्ट उद्देश्य है कि प्रतिस्पर्धात्मक कार्य होने चाहिए। (निविदा) को पहले निकाला जाये और निकाला जाना आवश्यक किया जाये। 1932 के सर्वे को यदि 2010-11 में इसे क्रियान्वयन करना है।

इतनी बड़ी सम्पदा में आज बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसमें सरकारी रूप से खनन का उपयोग बहुत कम है। मेरा मानना है यदि हम यहां आज गैर सरकारी संगठन का यदि सहारा लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम इस अमूल्य सम्पदा को बचाने का नहीं खुले रूप से डाका डालने का काम करेंगे क्योंकि आज जहां भी गैर सरकारी संगठन कार्य कर रही है, वहां अच्छे प्रतीकात्मक स्वरूप नजर नहीं है। यहां हम उनके हाथ में खुले रूप से उन्हें एक प्रकार की संवैधानिक ताकत देकर उन्हें और अधिक अवैध उत्खनन को बढ़ावा देंगे।

अर्थात अवैध उत्खनन को रोकने के लिए व्यापार-उद्योग देश की समृद्धि को बढ़ाने में हमें यह अमूल्य सम्पदा का उपयोग होना चाहिए। आज भी हमारे देश में विभत्र प्रदेश में खनिज सम्पदा प्रचुर मात्रा में है अथवा इसे रोजगार एवं देश की औद्योगिक इकाइयों को डाला जाये एवं इन क्षेत्रों में सर्वाधिक बेरोजगारों को रोजगार देकर इन्हें भी समाज एवं देश के प्रति सदृढ़ कार्य करने को सहभागी बनायें, ऐसा करके सरकार एक महत्वपूर्ण विशेष भूमिका निभाती है।

हमें देश एवं भारत के निर्माण में इस बहुमूल्य सम्पदा को बचाने के लिए विशेष अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। लगातार देश की अमूल्य सम्पदा खनिज तत्व मैगनीज, अभ्रक, हीरा, कोयला आज भी

---

* Speech was laid on the Table

भारत सरकार का खनन मंत्रालय ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता है।

कई जगह देखा जाये तो जी.डी.पी का उपयोग अन्य देशों में विभिन्न प्रतिशतों में है लेकिन भारत में जीडीपी 5.6 है। इससे प्रगति की ओर जाना चाहिए जैसा कि अन्य देशों में भी यह प्रगति के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है।

26% शेयर होल्डरों का (नियम) लाना चाहिए, जिसके द्वारा हम 26% रायल्टी दें अपितु लाभ भी स्पष्ट होना चाहिए जो 900 डॉलर के लगभग है। यह लाभ अच्छा है और इसका लाभ अनुसूचित जनजाति के पास जाना चाहिए।

आज भी राज्य सरकार को सही रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही राज्य सरकारों को लिया गया है। शायद यह भी कारण है कि खनिज को खनन से रोकने एवं सम्मिलित रूप से कार्य नीति भी नहीं बनाई गई है। अधिक से अधिक शाखायें खोली जानी चाहिए। आज भी इसमें अत्यधिक कमियां हैं।

आज यदि गहराई से देखा जाये तो अति गंभीर विषय है और इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आज यदि 50 वर्षों की लीज प्राप्त पूरा का पूरा तहसील को ध्यान दे तो वहां की पूरी सम्पदा पर गैर सरकारी संगठन जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि यहां भी भ्रष्टाचार एवं ऊंची पहुंच काम आती है और इस प्रचुर सम्पदा में गरीब बंधुआ मजदूर बनकर कार्य करता है। आज स्वतंत्र भारत एवं भारत के निर्माण वाले शब्द पर यह करारा तमांचा है।

आज भी सरकारी संगठन भी अवैध उत्खनन को बढ़ावा दे रहा है और उसका शिकार गरीब वहां रहने वाले आदिवासी उसके शिकार होते हैं और बदले में उनके परिवार को कुछ नहीं मिलता है। क्या कारण है कि यहां सरकार उदासीन है या सरकार इस क्षेत्र में जाकर सही जानकारी एवं वहां की सच्चाई को सामने लाने काप्रयास नहीं कर रही है। क्या सरकार उन आदिवासी गरीबों को न्याय देना नहीं चाहती। आज देश की पूरी आबादी में आदिवासी वर्ग को एक सही न्याय की दरकरार है क्योंकि वह भी इस देश का नागरिक है। उसने अपना सब कुछ खोया है। जल, जंगल, जमीन बदले में क्या मिला शायद यह एक प्रश्नचिन्ह बनकर रह गया है। क्या यह प्रश्नचिन्ह देश के लिए एक काला इतिहास सिद्ध न हो और मेरी यही एक मांग होगी। इन्हें रोजगार में इन्हें विशेष प्राथमिकता रूप से भागीदारी मिले एवं इनके जीवन की रक्षा एवं सुधार में सरकार की विशेष भूमिका हो तभी हम इस अमूल्य सम्पदा एवं वन पर्यावरण को बचाने एवं एक विकसित देश की कल्पना और विशेष भारत निर्माण को सदृढ़ करने में हम सफल सिद्ध होंगे।

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): The wide availability of the minerals in the form of abundant rich resources made it very conducive for the growth and development of mining sector in India. India produces as many as 86 minerals which include 4 Fuels, 10 metallic, 46 non-metallic, 3 atomic and 23 minor minerals.

The total value of mineral production during 2009-10 is estimated at Rs.127921-42 crores which shows an increase about 4.61% over that of the previous year.

The contribution of mining and quarrying sector to GDP in 2009-10 at Rs.31808/- crores indicated an increase of 8.7% over that in the preceding period.

India continued to wholly or largely self sufficient in minerals which construct primary minerals raw materials to industries such as thermal power, iron and steel, ferro-alloys, aluminium, cement, various types of refractors, chuna, clay based ceramics, glass, chemicals like caustic soda, soda ash, calcium etc.

Metallic Minerals

The value of metallic minerals in 2008-09 at Rs.31533.97 crores increased by about 7.49% over the previous year. Among the principal metallic minerals, iron ore contributed Rs.25,151 crores or 79.76%.

The value of production of non-metallic minerals at Rs.3527.62 crores during 2008-09 increased by 2.89% as compared to the previous year. Lime stone is in leading position by contributing 70-92% of the total value of non-metallic minerals in 2008-09. The value of production of minor minerals was estimated at Rs.16694.9 crores in 2008-09. The stock of minor minerals in the value of minerals production was estimated at 13.67% for 2008-09.

---

* Speech was laid on the Table

Coal Mining:

Coal is an important mining in India. It is widely for power generation and other purpose. Geological survey work should be made continuously to find out new coal mines.

In Tamil Nadu Nevalees Lignite Coal Mines are under production. Further survey must be conducted to augment the coal mining field.

Illegal Sandminig

Illegal sand mining is leading to diminish the increase of the government. Moreover, the sand mining in river is affecting the drinking water facilities to the rural population. We need a restricted policy for river sand mining.

Hardship to minor minerals

Road metals and building stores are coming under minor minerals. Most probably it is doing by the rural small entrepreneurs. It is giving more employment opportunities to the rural workers.

The mining department and local officials are giving more trouble and more restrictions to this small business. The road metal producing crushers and blue metal producing miners are gradually deteriorated. They are earning only a meagre amount of profit. Due to the MGNREGA work opportunity in village, the workers are not ready to come forward to work in Blue Metal stone mines. Lack of workers are hampering this building stone mining works substantially.

The valuable sand mines, the valuable minerals sand exporters and mines are not restricted much by the mining departments. They are not abide the rules and regulations of the mines. But the poor black stone vendors are miners are restricted minerals. They are suffering lot in rural areas.

It is essential to protect these poor small industrialists who are doing road work metals and building stone mines in rural areas by law.

In order to encourage this poor who are doing blue metal mining, the charging of `seniarge" can be removed. It will be a welcome able decision to help

the rural small businessman and also to encourage the employment opportunity to the village landless workers.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने देश की प्रगति के लिए, देश को आगे लाने के लिए आज यह जो प्रस्ताव रखा है, एन.सी.पी. पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं।

मैं जरूर चाहूंगा कि पिछले कई सालों से जो हमारा यह डिपार्टमेंट है, यह काम कर रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 10 सालों में और भी अच्छी तरह से उन्होंने प्रगति की है और आगे बढ़े हैं। हमारी टैक्नोलॉजी आगे-आगे जा रही है। हमारे बहुत से सदस्यों ने ज्योलोजिकल सर्वे की जो बात कही है, सही मायने में हमारी टैक्नोलॉजी इतनी आगे आई है कि जिसका फायदा हमें लेना चाहिए।

हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है कि जिस देश की इतनी आबादी को हम अच्छी तरह से रख सकते हैं, इतना अनाज जैसे पैदा करते हैं, वैसे ही मिनरल्स के बारे में यहां जो हमारी सम्पत्ति है, उसको भी अच्छी तरह से हम लोग बाहर लाकर उसका व्यापार भी कर सकते हैं और हमारे देश के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात मेरे ध्यान में नहीं आ रही है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसे अभी अन्दर रख दीजिए और जब जरूरत पड़ेगी, तब निकाल लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब जरूरत पड़े, तब निकालेंगे, तब तक हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, ज्यादा बाहर से मंगाना पड़ रहा है, इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यह होते वक्त सरकार की जिस तरीके से अलग-अलग नीतियां बन रही हैं, मुझे पता है कि 2-3 साल पहले कुछ ऐसी सदन में बात हुई थी कि इस बारे में अच्छा संशोधन लाया जायेगा, लेकिन वह संशोधन किस वजह से रोका गया है, मुझे पता नहीं है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि वह संशोधन जल्दी से जल्दी लाया जाये, उस पर बहस हो जाये तो वह हमारे देश के लिए अच्छी उन्नति की बात हो सकती है।

यह सब अलग-अलग राज्यों में हो रहा है। मैंने देखा कि दोनों तरफ से टोलमटाली चल रही थी, यहां से आप बाल रहे थे, वहां से आप बोल रहे थे, सब जगह से लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है? इस सदन में इस पर चर्चा हो रही है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि जब सदन में इस बारे में बात होती है, तो उसमें पर्यावरण की बात बहुत महत्वपूर्ण है। माइनिंग जितनी जरूरी है, पर्यावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं जरूर इस बात को रखना चाहूंगा, हालांकि सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है, लेकिन कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि राज्य बोलता है, केंद्र के पास जाइए और केंद्र बोलता है कि राज्य के पास जाइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे कानून है, जिसकी वजह से दोनों एक-दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी सभी राज्यों के खनिज मंत्रियों को बुलायें और सही मायने में इसकी पहल की जाए कि इसके लिए क्या करना चाहिए?

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र माइनिंग का इतना बड़ा जोन नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जो छोटी-छोटी माइनिंग होती हैं, पर्यावरण की जो भी चीजें कानून के दायरे में आती हैं, उसको ठीक तरीके से नहीं रखा जाता है, इसलिए महाराष्ट्र को गोवा माइनिंग जोनल डिवीजन कंट्रोल करता है। इस बारे में कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। कुछ हद तक फायदा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वहां खासकर माइनिंग इलाके जो लोग काम करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जो घर वाले होते हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वहां काम करने वालों के बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन उन बच्चों की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं होता है। उनकी बच्चों की माताओं की हेल्थ के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की ओर से कोई ऐसा खास प्रावधान किया जाए और हर राज्य को कहा जाए कि इतना खर्च आपको करना ही पड़ेगा या इन चीजों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति बहुत से राज्यों में है। आपको माइनिंग से बहुत पैसा मिलता है, लेकिन उसका कितना पर्सेंट हम उनके ऊपर खर्च करते हैं? वह कुछ भी नहीं है। मेरी सरकार से यह विनती है कि हर राज्य सरकार को इस बारे में कंपल्शन किया जाए, जैसे शिक्षा के बारे में कंपल्शन किया गया है, उसी प्रकार से उनके लिए भी कुछ किया जाए। माइनिंग जोन इलाके में रहने वाले लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूं कि वहां रहने वाले लोग बहुत गरीब होते हैं। खानों से हम लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जिनके माध्यम से यह पैसा आ रहा है, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैं सरकार से विनती करूंगा कि ऐसा कुछ ऐक्ट बनाया जाए, ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए, जिससे उन लोगों के बारे में हम ध्यान दे सकें। अभी कहा गया कि अलग-अलग राज्यों के लिए कुछ जगह पर आबंटन किया गया है कि इस-इस इलाके में, महाराष्ट्र के लिए इतना है, गुजरात के लिए इतना है, आदि, लेकिन बहुत सी जगह पर उनको अभी तक परमीशन नहीं दी गयी है। वह क्यों नहीं दी गयी, किस वजह से रूकी है? आम-आदमी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसमें राशि का भी नुकसान हो रहा है। इससे हम ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस बारे में आप जरूर सोचें। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सदन में यह बात रखी। इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं और उसके लिए समय कम पड़ेगा, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अगले साल जब इसे सदन में रखेंगे, तो और अच्छी बातें रखकर कि हमारे देश को अधिक से अधिक उन्नति की ओर कैसे लेकर जाएंगे, इसकी ओर ध्यान रखेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[*]SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI) : India has a long history of abusing of mineral resources. Mining industry kept in focus in all the Five Year plans of the country and it could not be perceived as anything but development in demanding people's forfeiture of their lands for national prosperity.

Mining in India depends on over 3100 mines, out of which over 550 are fuel mines; over 560 are miens for metals, and over 1970 are mines for extraction of non-metals. About 600 coals mines, 35 oil projects and 6000 metalliferous mines of different sizes employing quite a large number of persons. Both open cast mining and underground mining operations are carried out and drilling/pumping is undertaken for extracting liquid or gaseous fuels. The country produces and works with roughly 100 minerals, which are an important source for earning foreign exchange as well as satisfying domestic needs. India also exports iron ore, titanium, manganese, bauxite, granite, and imports cobalt, mercury, graphite etc.

But what concern me the most is that most minerals and mining operations are in the forest regions inhabited by tribal people. In our country, people displaced by various projects, is estimated to about 5 crores and out of these, approximately 1 crore people have been displaced by mining projects alone. People displaced by mining lost the rights to cultivate their traditional crops and forests being cut down for mining, they are unable to collect forest produce for consumption or for sale.

Seventy five percent of people displaced due to mining activities in different parts of the country have not yet received any form of compensation or rehabilitation. The country as on date does not have any specific relief and rehabilitation policy as a constitutional safeguard for these affected people. Especially, in the case of women the issues related to displacement primarily

[*] Speech was laid on the Table

affects their control over land and other resources. One can easily surmise the condition of women displaced and affected by mining in different sectors and problem of people in abandoned/closed mines. Starting from rat hole mining, small legal and illegal mining to large-scale mining mostly by the public sector since the 90's by the private sector's participation, there are a wide range of problems and conflicts in relation to mining. Especially, the problems of local communities, displaced or affected by mining have had far reached consequences. Displaced tribal communities, who never received any form of compensation or rehabilitation, have to migrate to bordering states in search of land and forests. An example is the migration of tribals from Orissa to the neighbouring state of Andhra Pradesh due to encroaching upon their land for mining purpose.

While India has been steadily attracting foreign investment into its booming mining sector, the fact that the best prospects lie in tribal-dominated and heavily forested areas is cause for concern. Workers affected by lung diseases- Silicosis, a lung disease caused by breathing in silica dust is another grim reality in the mining area. Despite an official order to provide compensation to the silicosis victims, nothing has been done so far. The workers also get affected by deadly diseases like tuberculosis and asbestosis. I would, therefore, request the Hon'ble Minister to look into these important issues and take remedial measures so that all the displaced and disease affected persons of mining activities can be rehabilitated properly with medical facilities, especially women who are most sufferers.

It is a dangerous trend that illegal mining is wide spreading in various ore-rich states or our country and has also generated controversy, which spans encroachment of forest areas, underpayment of government royalties and conflict with tribal people regarding land-rights. The Ministry of Mines and the Ministry of Environment and Forests have received over 20,000 cases of illegal mining during last few months. If we do the calculation, illegal iron ore mining and exports could be Rs.50,000 crore to Rs.60,000 crore. The spill-over of the effects of illegal mining into problems such as Naxalism and the distortion of Indian

democracy by mixed political and mining interests has also gained international attention. This also led to a nexus between criminal and anti-national elements, especially in Naxal-affected areas in various parts of our country.

Illegal mining activity has been reported in the Aravali Range. Bauxite mining by Vedanta Resources in tribal areas of Orissa have led to conflicts in land right. Due to the personal intervention of our Environment Minister the 8,000 strong Dongria Kondh tribes who believe the remote hills are the home of their God, Niyam Raja and rely on the land for their crops and livelihood has been saved from the onslaught of a Multi National Company. Had this mining project been cleared by the Government, these tribal group would have been rendered homeless? Niyamgiri is the source of two major rivers, the Vansdhara and Nagvalli that provide water for irrigation in the plans below. It is a storehouse of rare flora and fauna, the four-horned antelope and the golden gecko being among them. The hills provide food for the tribals. Fruits that grow there are sold in village markets. In short, the Niyamgiri Hills, the home of Niyam Raja, are at the center of Dongria Kondh culture. All these greenery would vanish if this mining project would have been set up.

Coal mining has also run into trouble as well in Angul district, Orissa over land issues. There have been severe ecological changes due to all these illegal mining. Certain species of animals, like the sloth bear, have disappeared in some region where illegal mining activity is going on. Medicinal plants from the area do not grow anymore. The entire system of rain has changed. It is reported that the entire area surrounding the mining area is denuded of greenery and has no agricultural activity. So, Government has to formulate a mechanism so that illegal mining is totally banned and before issuing any mining licence Government should consider all these environmental issues, and also see survival of tribal communities from the onslaught of Multi-nationals and in addition clearance from Ministry of Environment & Forests should be made mandatory before giving

clearance to any mining project to save our environment as well as primitive communities.

***श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा) :**

गोवा में आयरन ओर का खनन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है । उसका निर्यात हम चीन और जापान को करते हैं । आज गोवा की परिस्थिति यह है कि यहां पर कानूनी रूप से जितना खनन होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा गैर कानूनी रूप से खनन होता है । इसलिए यह गैर कानूनी खनन हो रहा है उसके ऊपर केन्द्र सरकार ने कोई उपाय योजना बनानी चाहिए और जो राजस्व की हानि हो रही उसको रोकना चाहिए । जो गैर कानूनी खनन वहां पर हो रहा है इसके कारण वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम लड़खड़ा गया है । पूरे गांवों में धूल ही धूल रहती है जिसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है । जिससे वे कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं । गोवा जो हरियाली के प्रसिद्ध है वह सारी हरियाली, खेती वहां की नष्ट हो रही है । खनन के बाद जो मिट्टी फेंकते देते हैं वह खेतों में डाल दी जाती है जिससे खेती भी प्रभावित हो रही है और जनता के इस नुकसान की भरपाई होने की कोई व्यवस्था नहीं है । निर्यात से करोड़ों रूपयों की जो विदेशी मुद्रा केन्द्र सरकार को मिलती है उसका थोड़ा अंश भी गोवा के लोगों को दिया जाए तो उनको बहुत राहत मिल सकती है । अतः यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गोवा के लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए योजना बनाए । गोवा की आधी जनसंख्या खनन पर ही निर्भर है ।

2011-12 के बजट में जो निर्यात करते हैं उन पर एक्साईज ड्यूटी बढ़ाई है । गोवा का जो आयरन ओर होता है इसका फेराज का कन्टेंट 52 से 58 प्रतिशत, गोवा निचले स्तर का आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है भारत में इसका उपयोग नहीं होता । पहले ही आयरन ओर का मूल्य पूरी दुनिया में कम हो गया है इसलिए इतनी अधिक ड्यूटी बढ़ाने से एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा । इसलिए एक्सपोर्टरों ने जो पहले आर्डर भी लिए उनको कैंसिल करना शुरू कर दिया है । कर्नाटक सरकार द्वारा आयरन ओर के निर्यात पर रोक लगाने के कारण पहले से ही 15 प्रतिशत निर्यात कम हो गया है । निर्यात ड्यूटी बढ़ने से यह और कम होने की संभावना है । इसलिए जो छोटे-मोटे ट्रांसपोर्टर, छोटी शिप इंडस्ट्री है उन पर निर्यात कम होने का कुप्रभाव पड़ेगा । छोटी शिप इंडस्ट्री तो

---

* Speech was laid on the Table

बंद होने के कगार पर है । पहले से लगभग 1200 छोटे शिप काम कर रहे हैं लगभग 25-30 नए शिप खरीदने के लिए आर्डर दिए हैं जिसके लिए बैंक ने लोन दिया है । ये सब लगभग 150 करोड़ के हैं । निर्यात कम होने से यह सब बंद हो जाएंगे । इस छोटे शिप उद्योग में कम से कम 7000 वर्कर सीधे जुड़ गए हैं और 15 हजार वर्कर अन्य तरीकों से इससे जुड़े हैं । यदि आयरन ओर का एक्सपोर्ट बंद हो गया तो उक्त हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इनके जीवन यापन का सहारा समाप्त हो जाएगा । छोटे शिप इंडस्ट्री एसोसियेशन ने इसलिए इस बजट में सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की है उसको कम करके पुनः 5 प्रतिशत करने की अपील वित्त मंत्री जी से की है ।

मेरी मांग है कि उक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी को फिर से 5 प्रतिशत तक लाया जाए ।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। खनिज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। अपनी बात की शुरूआत करते समय मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहती हूं। हम यहां पर खनिज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों की चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन यह मामला केवल एकपक्षीय सोच का मामला नहीं है।

जब तक हम इस मसले पर समग्रता के साथ चिंतन करते हुए नीति निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सदन में उपस्थित पक्ष, विपक्ष के सभी सदस्य यह बात जानते हैं और मानते हैं कि जब सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ और औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत हुई, तो खनिजों, खान, खदानों और उनके उत्खनन के बिना औद्योगिक क्रान्ति और विकास का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज जबकि हम लोग 21वीं सदी में खड़े हैं, इस सदन में बैठकर इस पर बहस कर रहे हैं, तब भी कहीं रायगुड़ा, काशीपुर, नियामगिरी के आसपास, झारखंड, मध्य प्रदेश में कोई गोंड, बैगा, औरांव अपनी-अपनी बस्ती से निकाला जा रहा होगा, बेदखल किया जा रहा होगा।

संजीदगी के साथ बात करने की जरूरत है कि आज जब हम यहां बहस करने के लिए खड़े हुए हैं, तब भी छत्तीसगढ़ में बहने वाली बेलाडिला की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली शंखिनी और डंकिनी नदियां कुछ और अधिक मटमैली होकर बह रही होंगी। आज जब हम खनिज के बारे में बात करेंगे, तो उसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे विषय हैं, मसलन खनिजों का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से जो विस्थापन उपजता है, उसके बारे में बात किए बगैर खनिजों के बारे में चर्चा करना मेरे ख्याल में पूरी बात नहीं होगी। जरूरत है कि हम उसके बारे में यहां बात करें। देश की आबादी के आठ फीसदी लोग आदिवासी वर्ग के हैं। सभापति महोदय, पिछले इतने वर्षों में, आजादी के बाद से लेकर अब तक, जब से विकास की अवधारणा पैदा हुई और हम आगे बढ़े, अगर पूरे देश के कुल विस्थापन को देखें, तो चालीस फीसदी विस्थापन आदिवासी वर्ग के लोगों का हुआ।

मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं। वर्ष 1991 में 769 हेक्टेयर फॉरैस्ट लैंड उद्योग हेतु होती थी, 1993-94 में आते-आते वह फॉरैस्ट लैंड, जिस पर माइनिंग और उसके अलावा उद्योग और अन्य चीजों के लिए गतिविधियां शुरू हुईं, उसमें 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जिसमें से तकरीबन एक-तिहाई माइनिंग के लिए होने लगा। मैं कहना चाहती हूं कि हम जब भी माइनिंग के बारे में बात करते हैं तब विस्थापन के बारे में बात किए बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। विस्थापन के बारे में अगर किसी ने ऐतिहासिक कदम उठाया, मैं कहना चाहती हूं कि समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में 1997

के जुलाई महीने में माननीय उच्चतम अदालत ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। हम अपने संविधान में पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। पांचवी अनुसूची में आदिवासी वर्ग को यह सुरक्षा, संरक्षण है कि आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी तरह लैंड का ट्रांसफर किसी गैर आदिवासी को नहीं किया जा सकता। लेकिन आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम जिले में उस समय, जब बिरला और उसके साथ-साथ 17 दूसरी कम्पनियों को पट्टे जारी किए गए थे, तब माननीय उच्चतम अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए उन सारे पट्टों को निरस्त किया और उसके साथ-साथ यह जोड़ा कि आगे इस तरह से पट्टे लीज़ पर नहीं दिए जा सकते। एक तरफ उच्चतम अदालत ने यह फैसला दिया, दूसरी तरफ हमारी पार्लियामैंट, तत्कालीन सरकारों ने मिलकर 'पेसा' कानून बनाया, आदिवासी वर्ग को विस्थापन से बचाने के लिए पांचवी अनुसूची में प्रावधान किया। मैं कहना चाहती हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि अगर पेसा कानून भी बात करता है तो मात्र गौण खनिजों की बात करता है, प्रमुख खनिजों की बात वह भी नहीं करता। जब तक आदिवासी वर्ग के विस्थापन के मामले में हम कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं करते तब तक बेदखली के मामले इसी तरह सामने आते रहेंगे।

नियामगिरी पर्वत में डोंगरिया कोंध समाज के लोग जिस पर्वत की देवता की तरह पूजा करते हैं, जिस पर्वत पर उनकी आस्थाएं टिकी हुई हैं, वहां पर वेदांता कम्पनी द्वारा उन लोगों को खदेड़े जाने की बात सामने आयी।

सभापति महोदय, मैं यूपीए की चेयरपर्सन माननीय श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने केन्द्र सरकार के माध्यम से उस पर रोक लगायी। यहां पर बात एक नियामगिरी की नहीं है, एक नियामगिरी को इस तरह के इंटरवेंशन से बचाया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर एक नियामगिरी समाप्त होगा, तो जगह-जगह पर छत्तीसगढ़, झारखंड आदि अन्य सभी जगहों पर नियामगिरी में जिस तरह की घटनाएं हुईं, उसी तरह अन्य जगहों पर भी घटनाएं होती रहतीं।

सभापति महोदय, ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ग्लोबलाइजेशन के बाद, वर्ष 1993 के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमैंट हमारे देश में आने लगा। वर्ष 2006 मे करीब-करीब सौ फीसदी एफडीआई को मान्य किया गया और लगातार आदिवासी संरक्षित क्षेत्रो में, अनुसूचित क्षेत्रों में इन कम्पनियों के माध्यम से काम होना शुरू हुआ।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने बजट सत्र के शुरू होने के समय दिये गये अपने अभिभाषण में इसकी जोरदार ढंग से पैरवी की कि आने वाले समय में नयी

माइनिंग नीति, नयी खनिज नीति लायी जायेगी। मुझे विश्वास है कि उस विचारधारा से जुड़ी हुई केन्द्र सरकार, जिसने आजादी से पहले जंगल सत्याग्रह की पैरवी की थी, जिसने आजादी के बाद ऐतिहासिक आदिवासियों के साथ न्याय करते हुए वनाधिकार कानून और पेसा कानून को प्रावधान दिया, ट्राइबल पंचशील और सब प्लान की बात की, वही विस्थापन नीति में भी मानवता के दृष्टिकोण के साथ काम निश्चित करेगी। जो नयी खनिज नीति आयेगी, उसमें यहां पर उपस्थित मेरे अन्य साथियों ने कहा। माइन्स का मामला डेप्रिसियेशन का है। वेल्यू लगातार घटती है। उसमें अगर आप किसी को मुनाफे में हिस्सेदारी देंगे, तो वह काफी नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासी वर्ग के लोग अगर अपने क्षेत्र से हटाये जाते हैं और वे लगातार जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करते हैं, तो वह उनका नैतिक अधिकार है। उस अधिकार से हम उन्हें वंचित नहीं कर सकते। हमारा और इस सदन का कर्तव्य है कि जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ने वाले भूमिपुत्र आदिवासियों को इन सारी खदानों में बराबरी की हिस्सेदारी और मालिकाना हक मिलना चाहिए, इसकी मैं यहां पर बात करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं दूसरी बात पर आती हूं। उत्खनन से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? पूरी लैंड की टोपोग्राफी बदल जाती है। लगातार जो मैटल सल्फाइड्स होते हैं, वे जब आक्सीजन के प्रभाव में आते हैं, उनका जब ऑक्सीडेशन होता है और वे आयरन सल्फाइड्स बनते हैं, तब लगातार वे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। जब केलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ, उसके ट्रीटमैंट के लिए साइनाइट का इस्तेमाल किया जाता था तब भी यही स्थिति वहां पर भी बनी थी। मैं कहना चाहती हूं कि जितने लोग भी उत्खनन का काम करते हैं, उसके साथ-साथ जो एबंडन करके माइन्स को चले जाते हैं, यानी जो परित्यक्त खदानें हैं, इस बात को मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे देश में ऐसी कोई इन्वेंटरी नहीं है, जहां पर परित्यक्त खदानों का एक डाटा बनाया जाये। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि जो कम्पनियां यह काम करती है, उनसे एक क्लीन-अप कॉस्ट लिया जाना चाहिए और पॉल्यूटर्स पे की नीति की तर्ज पर जो पर्यावरणीय हानि हुई है, उसका खामियाजा वे भरे, उसे न्यून से न्यूनतम करते हुए काम करने की जिम्मेदारी आईबीएम और जीएसआई की है।

सभापति महोदय, आज यहां शुरू में कोयले के बारे में भी बात हुई। कोयले का इस मंत्रालय की बहस से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन पहले आओ, पहले पाओ की जो नीति है, वह नीति यूपीए ने कंटीन्यू की। उस नीति की शुरुआत एनडीए के समय से हुई। मैं यहां पर किसी तरह से प्वाइंट्स स्कोर करने के लिए यह बात नहीं कह रही हूं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि जिस तरह से विकसित देशों ने वहां पर कानून बनाये हैं, मै आपको उदाहरण देना चाहती हूं -- कम्प्रीहैन्सिव इन्वायरमेंटल रिस्पांस

कम्पैनसेशन एंड लॉयबिलिटी एक्ट, क्लीनर्स एक्ट और क्लीन-अप कॉस्ट। जब तक इस बारे में बात नहीं होगी, तब तक खनिज मामलों में बात पूरी नहीं होगी। मैं कहना चाहती हूं कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में उसका कम से कम पर्यावरणीय नुकसान हो और जो परित्यक्त खदानें हैं, जिसका कभी डाटा नहीं होता, जिसके बारे में कोई ट्रीटमैंट नहीं किया जाता, जिसकी कॉस्ट केवल और केवल सरकारों के जिम्मे आ जाती है, पर्यावरण पर आ जाती है, लोगों पर आ जाती है, उसकी कॉस्ट उनको लेना चाहिए।

18.00 hrs.

उसकी कॉस्ट उनको देनी चाहिए। ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी।

ग्रीनलैण्ड में कई वर्षों पूर्व नॉर्वे से माइग्रेट होकर नॉर्स जाति के लोग वहां पर पहुंचे। उन्हें अपने ऊपर बहुत घमण्ड था, जैसे हमारे बहुत सारे शहरी लोगों को भी होता है कि वे सबसे ज्यादा सभ्य हैं, जैसे कि हमारी कुछ कंपनियों को भी होगा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, जाहिल और गंवार समझे जाने वाले इनुआइट लोग वर्षों से, सदियों से, हजारों वर्षों से वहां रह रहे थे, लेकिन ये नॉर्स जाति के लोग केवल 450 साल में अपने द्वारा किए गए, अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा किए गए पर्यावरणीय नुकसान की वजह से समाप्त हो गए। आज हमारे लिए वह एक मिसाल है और हमें इस बात के लिए देखना है कि हम किस तरह से पर्यावरणीय नुकसान को खत्म करते हुए, इसमें पारदर्शिता ला सकें।

अंत में, मैं कहना चाहूंगी की जीएसआई और आईबीएम का सशक्तीकरण होना चाहिए। हमारे पास अन्य देशों में बनाए कानूनों की भरमार है, इंडस्ट्री टैक्स के माध्यम से यह काम हो सकता है, क्लीन-अप कॉस्ट के माध्यम से हो सकता है, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट कॉस्ट के माध्यम से हो सकता है। इस तरह से हम अपने खनन को बरकरार रखते हुए, पर्यावरण का कम से कम नुकसान करेंगे और विस्थापितों की रक्षा करेंगे।

बार-बार यह बात होती है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार क्या कर रही है? फेडरल व्यवस्था में भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें सीमावर्ती दो राष्ट्रों की तरह नहीं हैं, दोनों की मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी है और दोनों का मिलकर यह लक्ष्य होता है कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा हित के लिए काम करें। मैं कहना चाहती हूं कि अगर कुछ लोग बार-बार यह कहते हैं कि यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है, तो एक तरह से वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश सरकारें अपनी जिम्मेदारी का वहन करने

में नाकामयाब हैं। मैं चाहती हूं कि यह बात यहां पर नहीं हो, सभी मिलकर अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का वहन करें। मैं उम्मीद करती हूं कि नई खनिज नीति इन सारे अनसुलझे सवालों का जवाब देगी।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) :**

खनन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा में सम्मिलित करने हेतु निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं :-

वर्ष 2011-12 में खनन विभाग के बजट में मात्र 400 करोड़ राशि की बढ़ोत्तरी की गई है जो पूरे देश की खनिज संपदा को देखते हुए अत्यंत ही कम है । अतः इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे खनन दोहन की नीति का विस्तार हो सकें और विभाग को आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए अधिक राशि प्राप्त हो सके ।

मैं राजस्थान से आता हूं । मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में जिप्सम के अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होती रहती है । किसानों के खेतों में जिप्सम है, लेकिन जिप्सम की खुदाई सरकार के नियंत्रण में होने के कारण किसान अपने खेत का जिप्सम अवैध रूप से खोदते है और प्लास्टर ऑफ पैरिस की ईकाइयों को बेचते हैं । किसानों द्वारा निकाले गए जिप्सम को अवैध बताया जाता है और इस अवैध जिप्सम को वैध करने के लिए सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है । यदि किसानों को जिप्सम निकालने की अनुमति प्रदान कर दी जावें या ऐसी औद्योगिक ईकाइयां जो जिप्सम का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है उनको जिप्सम निकालने की अनुमति प्रदान कर दी जावे तो इससे एक ओर सरकार का राजस्व बढ़ेगा और दूसरी ओर अवैध खनन के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा । यद्धपि यह विषय राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है लकिन भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी राज्यों में इस तरह के प्रकरणों को इकजाई करके एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर इसका निर्णय कराया जाना चाहिए जिससे अवैध खनन की समस्याओं का निस्तारण हो सकें ।

---

* Speech was laid on the Table

देश में लगभग 90 प्रकार का खनिज संसाधन उपलब्ध है और इस खनिज संसाधन को माईनर मिनरल एवं मैजर मिनरल के नाम से विभक्त किया गया है । माईनर मिनरल एवं मैजर मिनरल की नीतियां भी अलग-अलग है । उदारीकरण के इस युग में खनिज संसाधन के वर्गीकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता है और वर्तमान मांग व आपूर्ति के अनुसार इनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए जिससे सरकार को ज्यादा राजस्व प्राप्त हो सके एवं अवैध खनन की शिकायतों में भी कमी आ सकें ।

राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज संसाधन है जिसमें राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है लेकिन जितनी रॉयल्टी राजस्थान के खनिज संसाधनों से भारत सरकार को प्राप्त होती है उसके अनुपात में भारत सरकार राजस्थान के खनिज संसाधनों के विकास में कम खर्च करती है । इससे संविधान में उल्लेखित संघीय ढांचे के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है । अन्य राज्यों की भी ऐसी शिकायत है अतः भारत सरकार के स्तर से ऐसी नीति बननी चाहिए जिससे खनिज संसाधन वाले राज्यों को रॉयल्टी की राशि ज्यादा प्राप्त हो सकें एवं राज्य का खनिज संसाधन सर्वांगीण रूप में विकसित हो सके ।

अवैध खनन के प्रकरण में केवल एक राज्य तक सीमित होने की व्यवस्था के विपरीत संपूर्ण देश को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए और जांच एजेंसी को सक्रिय किया जाना चाहिए । सभी राज्यों के लिए एक जैसी व्यवस्था किए जाने की जरूरत है । पार्टी विवाद से ऊपर उठने की जरूरत है ।

अवैध खनन के स्थानों पर पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था पेट्रोलिंग के रूप में की जानी चाहिए । भारत सरकार के पैरा-मिल्ट्री फोर्सज को भी इस उपयोग में आवश्यकता पड़ने पर लिया जाना चाहिए ।

देश के खनिज संसाधनों को पहले आओ - पहले पाओ, पहले खनिज खोजो फिर खनिज की खान प्राप्त करो जैसी नीतियों को वर्तमान युग में तिलांजलि देने की जरूरत है । वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है इसमें यदि खनिज संसाधनों का नीलामी के माध्यम से बिक्री होगी तो सरकार को ज्यादा राजस्व प्राप्त हो सकता है । नीलामी की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को कुछ प्रतिशत निर्धारित कर खान आवंटन में आरक्षण

किया जा सकता है जिससे सरकार की कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना भी साकार हो सकती है ।

खान आवंटन के समय पर्यावरणविदों की सहायता ली जानी चाहिए तथा छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना में पर्यावरण विभाग की एनओसी देने की जटिल प्रक्रिया को सरलीकृत बनाकर परेशानी के निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

रेलवे को ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जैसे ही रेलवे को यह शिकायत प्राप्त हो कि किसी विशेष क्षेत्र में अवैध खनन होता है तो ऐसे स्थानों से माल की ढुलाई यदि रेलवे द्वारा रोक दी जाती है तो उससे भी अवैध खनन को रोकने में असर पड़ेगा और भविष्य में जब नीति बनाई जाएगी तो खनन विभाग को ज्यादा आय प्राप्त हो सकती है ।

खनिज संसाधनों के दोहन के रूप में मशीनों के साथ-साथ मजदूरों द्वारा भी खनन का कार्य किया जाता है और यह सभी मजदूर असंगठित क्षेत्र के होते हैं अतः ऐसे मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा योजना बनाई जानी चाहिए जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य एवं पेंशन आदि की सभी सुविधाएं सम्मिलित होनी चाहिए ।

खनन के कारण ज्यादातर आदिवासी व कमजोर वर्ग के लोग विस्थापित होते हैं । विस्थापितों को पुनर्वास के लिए 33% राशि आरक्षित की जानी चाहिए ।

माइनिंग के सर्वेक्षण के कार्य को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना चाहिए और उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।

***श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** मैं खानमंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के खान मंत्रालय के बजट का समर्थन करता हूँ। आज देश में भारत की विकास दर में खान मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान है । इसीलिए योजना आयोग ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय खनिज नीति और विषय पर विधान नामतः खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के संबंध में सिफारिशे करने के लिए उच्च स्तरीय समिति (होदा समिति) गठित की थी । समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2008 में राष्ट्रीय खनिज नीति अधिसूचित की गयी । और उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को लेने और राष्ट्रीय खनिज नीति विधायी ढांचे में लाने के लिए कार्य शुरू किया गया है । हमारी सरकार ने प्रमुख खनिजों के रायल्टी के निर्धारण और वसूली को सरल बनाया जा सके उसके लिए रायल्टी प्रणाली को युक्तियुक्त् बनाया गया है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) का गहराई से अध्ययन करके 31 मार्च, 2009 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उस रिपोर्ट को स्वीकार भी किया जा चुका है । उसी के आधार पर जी एस आई को सुदृढ़ बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि खनिज बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो सीमित एवं अनवीकरणीय है । ये उनके आधारभूत उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ जुटाते हैं तथा विकास के प्रमुख संसाधन है । भारत में खनिज उत्खनन का इतिहास हड़प्पा सभ्यता जितना पुराना है । प्रचुर भंडार के रूप में खनिजों की विस्तृत उपलब्धता ने भारत में खनिज क्षेत्र की वृद्धि और विकास को सुसाध्य बना दिया है । खनन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है । आजादी के बाद से मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में, खनिज उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुयी है । भारत 86 खनिजों का उत्पादन करता है । जिनमें 4 ईधन, 10 धात्विक, 46 गैर धात्विक, 3 परमाणु एवं 23 गौण, खनिज (इमारती एवं अन्य पदार्थ सहित) शामिल हैं । वर्ष 2009-10 के दौरान खनिज उत्पादन का कुल मूल्य (परमाणु खनिजों को छोड़कर) 127921.42 करोड़ रूपये अनुमानित है । जो पूर्व वर्ष की तुलना में करीब 4.61 % की बढ़ोतरी दर्शाता है खनिज के मामले में भारत पूरी तरह अथवा अधिकांशतः आत्मनिर्भर रहा है । आज देश की आजादी में आदिवासी का 8 % है लेकिन विसथापन के मामले में 40 % है जो काफी चिन्तनीय है । हमें आदिवासियों की चिन्ता करके उनके हितों के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है । क्योंकि ये खनिज तापीय ऊर्जा उत्पादन, लौह और इस्पात, लौह मिश्र धातु, एल्यूमिनियम, सफेद पिगमेंट इत्यादि जैसे उद्योगों के आवयक घटक हैं । भारत खनिज ईंधनों में कोयला स्टील संयंत्र के लिए आवश्यक निम्नतर एश कोकिंग कोल को

---

* Speech was laid on the Table

छोड़कर एवं लिग्नाईट/धात्विक खनिजों में बॉक्साईट क्रोमाइट, लौह एवं मैगजीन अयस्क, इल्मेनाईट तथा रूटाईल और क्राइसोआईल, एसेस्टस, बौरेक्स, लूआरोइट, कायनाईट, पोटाश, राक फास्फेट एवं मूल सल्फर को छोड़कर प्रायः सभी औद्योगिक खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर है । केन्द्र सरकार देश भर में खनिज प्रसाधन में बुनियादी एक समानता को सुनिश्चित करने के लिए एन एम पी को प्रभाव देने के लिए आवश्यक विधायी उपाय तेयार करने के कार्य मे लगी है । राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अनुरूप सभी राज्यों को मॉडल राज्य खनिज नीति परिचालित किया गया है । माडल ढाँचे का उद्देश्य राज्य सरकारों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने राज्यों के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति के दायरे में उपयुक्त खनिज नीतियां विकसित करने के लिए सहायता के रूप में कार्य करना है । आज देश में अवैध खनन कई राज्यों में हो रहा है । उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड में अवैध खनन अभिशाप हो गया है । जिससे राजस्व की काफी नुकसान हो रहा है । यद्यपि खनिज राज्य सरकार की संपत्ति है और संपूर्ण रायल्टी राज्य सरकारों को प्राप्त होती है । इसको रोकने के लिए खान खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम 1957) के तहत राज्यों को शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर रही है । आज विकास दर में करीब 5 % खान मंत्रालय का योगदान है । इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ ।

***श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं खान मंत्रालय की अनुदान की मांग 2011-12 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, सरकार ने बजट पेश करने के पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। उसमें मुद्रास्फीति पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि देश में धातु और खनिजों के दामों में हो रही महंगाई का भी मुद्रास्फीति बढ़ने पर असर हुआ है। इसका मतलब है कि खनिज और धातुओं का भी हमारे ऊपर प्रभाव पडता है। खनिज देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ता है कि सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नहीं है। देश की विकास दर बढ़ रही है लकिन खनिज क्षेत्र में इस तरह की बढ़ौत्तरी दर्ज नहीं हो पा रही, हम खनिज के कारोबार में लगातार पिछडते जा रहे हैं। लोक उद्यम सर्वेक्षण के ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2009-10 से पूर्व देश में 2962 खानों की संख्या थी लेकिन 2009-10 में अब यह 2729 है। खानों की संख्या में हो रही कमी का क्या कारण है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। लोक उद्यम के खंड 1 के अनुसार अन्य खनिज एवं धातू का कुल कारोबार 2008 में 16454.29 करोड़, 2009 में यह 17984.60 करोड़ और 2010 में यह 15991.61 करोड़ रूपये दिखाया गया है। इसका मतलब खनन क्षेत्र के कारोबार में कमी हो रही है। इसमें खनिज क्षेत्र की कुछ प्रमुख कंपनियों के उत्पादन के आंकड़े दिये गये हैं1 उसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 2008-09 में 30036 एम.टी कथोड और 51777 एम.टी. वायर रॉडस का उत्पादन किया है तो 2009-10 के दौरान 17516 एम.टी. कथोड और 41999 एम.टी. वायर राडस का उत्पादन किया और एक कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लि0 ने 2008-09 में 356340-13856 और 19392 एम.टी. स्टाईल और जिरकॉन का उत्पादन किया तो 2009-10 में 355105 एम.टी. और 13138 एम.टी. स्टाइल और 18553, जिरकॉन का उत्पादन किया। ऑयरन ओवर क्षेत्र की के.आई.ओ.सी. एल. लि. ने 2008-09 में 1376 एम.टी. आयरन और पेलेट तथा 0.118 एम.टी. आयरन का उत्पादन किया और 2009-10 में 1273 एम.टी. आयरन और पेलेट्स श्और 0.062 एम.टी. वीग आयरन का उत्पादन दिया। मैं आंकड़ों के फेर में जाना नहीं चाहता। मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की खनिज कंपनियां अपने क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रही। हम खनिज क्षेत्र में विकास की बात कर रहे है तो सार्वजनिक क्षेत्र की खनिज उत्पादन कंपनियों के उत्पादन में पिछड़ने को हमें गंभीरता से लेना होगा। इतना ही नहीं तो खनिज क्षेत्र की कुछ मुख्य आयरन ओवर कंपनी और जे एंड के खनिज विकास कंपनियां घाटे की कंपनियों के सूची में शामिल हैं।

आज देश को खनिज के आधार पर विकास की जरूरत है। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में हमें विकास करना है तो हमें खनिज संसाधनों का राष्ट्र हित में दोहन करना होगा लेकिन खनिज क्षेत्र का जो परिदृष्य

---

* Speech was laid on the Table

हमारे सामने उभर कर आ रहा है, उससे विकास की कोई बात सामने नहीं आ रही है। 2006 में अनवारूल हुडा समिति ने देश में खनिज उत्पादन बढाने और इसके विकास के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की और इसी रिपोर्ट के आधार पर 2008 में हमारी खनन नीति तैयार की गई, पर इसके बाद 31 मार्च 2009 को योजना आयोग द्वारा समिति, भारती भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अध्ययन के लिए समिति, भारतीय खान ब्यूरो के कामकाज के लिए समिति हाल ही में नो.गो. के लिए मंत्री समुद्र की समिति इन समिति के फेर में हमारी खनन निति उलझकर रह गई है। अगर 2008 में बनी खनन निति से फायदा नहीं हो रहा तो यह जल्दबाजी में क्यों बनाई गई, इसका जवाब मंत्री महोदय को देना होगा। खनन क्षेत्र के द्वारा खनिज उद्योग का विकास होगा, वहां रोजगार उपलब्ध होगा लेकिन यह नहीं हो रहा है। इसके कारणों को हमें तलाशना होगा। हमारे खनन क्षेत्र अधिकतर संविधान के पांचवी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र है, वहां के आदिवासी क्षेत्र में नक्सल समस्या उभर रही है। वहां रोजगार और विकास के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इसका हमें विचार करना होगा। इन क्षेत्रों को हमें विकास की मुख्यधारा में लाना होगा तो हमें वहां के खनन के आधार पर उद्योग, प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण करना होगा। लेकिन खेद से कहना पड़ता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं केन्द्रित कर रही है।

खनिज से हमारे जनजातीय क्षेत्र में विकास सुनिश्चित हो सकता है लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार को देश में खनिजों के आयात पर हो रहे राजस्तव खर्च को देखते देश में खनिजों को चिन्हित करने और इसके राष्ट्रहित में उत्खनन और प्रसंस्करण करने की निती बनाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को इन सुझावों पर अमल करने का आग्रह करता हूं। खनिज हमारे देश के लोगों की संपत्ति है, इसका ध्यान रखकर इसका दोहन करना चाहिए। इसके साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is 6 o' clock. We shall continue this discussion tomorrow.

Now, we will take up `Zero Hour' matters and the time of the house is extended till the completion of `Zero Hour'.

श्री प्रदीप माझी (नवरंगपुर): महोदय, मैं एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरी कांस्टीट्वेंसी में दो संप्रदाय हैं - कोंडारेड्डी एवं झोड़िया, मैं उनको आदिवासी संप्रदाय में शामिल करने के लिए अपील करता हूं। आंध्र प्रदेश में कोंडारेड्डी को आदिवासी संप्रदाय की मान्यता मिली हुई है। अभी जब हमारे मलकानगिरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नक्सलाइट्स द्वारा अगवा किया गया था, ।उनकी यही मांग थी कि कोंडारेड्डी को आदिवासी संप्रदाय में शामिल किया जाए। वे परंपरागत आदिवासी हैं। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और रायगड़ा का झोड़िया संप्रदाय भी आदिवासी है, उनको भी आदिवासी संप्रदायों में शामिल करने की मैं अपील करता हूं। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिकमेंडेशन कर चुकी है, भारत सरकार जल्द से जल्द इन दोनों संप्रदायों - कोंडारेड्डी और झोड़िया, को आदिवासी संप्रदायों में शामिल करे।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Orissa Government has said that this is to be included. I would also support the cause which Shri Pradeep Majhi has mentioned. It should be taken up by the Government as quickly as possible.

SHRI D.B. CHANDRE GOWDA (BANGALORE NORTH): I would like to rise an important issue regarding to convert the State Highway No 23 to upgradation as a new National Highway from Ginigera to Mahaboobnagar *via*. Gangawati, Manvi, Sindhanur, Kalmala, Raichur joining at Jadachada, NH - 7, the total length of which is approximately 280 km.

Sir, this State Highway is converted as all weather and National Highways standard quality has been done by the State Government of Karnataka, if it is converted as a National Highway, there will be no extra burden of the NHAI. The only future maintenance cost should be borne by the NHAI. This highway connects Karwar and Mangalore ports and it also connects Andhra Pradesh and Hyderabad. This Highway is connecting Tourist Hubs and World and Historical Heritage places and Industrial and Agricultural Centres like Hampi, and steel industries, cement industries, and also connects the production centres of Rice and Maize, Cotton, and also that of Granites.

As it involves both commercial and public transportation, it is essential to convert it to a National Highway. Sir, through you I would request the Minister of Road Transport and Highways to convert this State Highway to a National Highway. I thank you for the opportunity given to me.

18.06 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, देश में 28 लाख आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं हैं। सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं के मासिक भत्ते को जो पहले 1000 रुपए था, फिर उसे 1500 रुपए कर दिया और अब और बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। इसी तरह सहायिकाओं के मासिक भत्ते को जो पहले 500 रुपए था, फिर 750 रुपए किया और अब बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के तहत जो छः लाख आशाकर्मी आती हैं, मैं उनकी व्यथा यहां बताना चाहता हूं। हमारे देश में 1000 की आबादी के ऊपर एक आशाकर्मी काम कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं कि उन्हें कोई मासिक भत्ता नहीं मिलता है। जब कभी महीने में एकाध काम मिलता है तो उन्हें 100 रुपए या 200 रुपए तक मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा अंधेर सरकार के अधीन इन आशाकर्मियों के साथ हो रहा है और साथ ही दोहरा मानदंड भी सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो सेविका और सहायिका को मासिक भत्ता दिया जाता है, जो अब बढ़ाकर तीन गुना तक कर दिया है। दूसरी तरफ आशाकर्मी को कुछ नहीं मिलता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर इन छः लाख आशाकर्मियों का क्या कसूर है? ये आशाकर्मी सरजमीं पर दाइयों का काम करती हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की संचालन समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि आशाकर्मियों को कम से कम 500 रुपए मासिक भत्ता मिलना चाहिए। उसके लिए कहा जा रहा है कि वित्त विभाग से बात करेंगे या उससे बात करेंगे और इसे लागू नहीं किया जा रहा है। दुनिया में किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होता है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से और आसन से भी अपेक्षा करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में वे इस बात को लाएं। जब आंगनवाड़ी की सेविकाओं और सहायिकाओं का वेतन बढ़ा दिया है तो आशाकर्मियों को क्यों नहीं मासिक भत्ता दिया जा रहा है। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की संचालन समिति ने जो प्रस्ताव पास किया था उन्हें 500 रुपए प्रति माह देने का, कम से कम वह तो उन्हें दिलाकर इसकी शुरूआत तो करनी चाहिए। अगर सरकार उनके साथ न्याय नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा। आज तमाम राज्यों में आशाकर्मी इस बात को लेकर संगठित होकर आंदोलन कर रही हैं और अपना कलेजा पीट रही हैं। दिल्ली में भी जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। ऐसी हालत में जबकि देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला पदासीन है, यहां आसन पर भी एक महिला हैं, यूपीए की अध्यक्षा भी एक महिला हैं और विपक्ष की नेता भी एक महिला हैं, तो फिर इन गरीब महिलाओं को क्यों वंचित किया जा रहा है। हम महिलाओं को सम्मान और फायदा देने वाली बात करते हैं, लेकिन जो महिलाएं

सरजमीं पर है, उनको सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। आश्चर्य यह है कि कोई जानने वाला भी नहीं है।

यशवंत सिन्हा जी कुछ दिन पहले सदन में भाषण करते हुए बता रहे थे कि सरकार की नीति के तहत 40 वर्ष की विधवा को पेंशन मिलेगी, उससे कम उम्र की विधवा को नहीं मिलेगी। इस तरह से विधवाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है। एक ओर तो कहा जाता है कि 40 वर्ष की विधवा होने पर पेंशन देंगे, रोजगार देंगे, आप समझ सकते हैं कि कैसा रोजगार आप किसी विधवा को देंगे, जबकि इन गरीब महिलाओं को मासिक भत्ते से भी वंचित कर दिया गया है। इतने सारे बड़े पदों पर महिलाओं के रहते हुए भी महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था।

इसीलिए मैं मांग करता हूं कि सदन के सभी पार्टी के नेता यह जानें कि आशा को कोई मासिक भत्ता नहीं मिलता। आंगनवाड़ी सेविकाओं के भत्ते में वृद्धि हुई है और लोगों ने उसकी प्रशंसा की है। लेकिन आशा क्योंकि 6 लाख की संख्या है, उसका स्वर मजबूत नहीं, गरीब महिलाएं हैं और बच्चों के नेपकिन बदलने और बीमार की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, लेकिन उसके साथ अन्याय हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह अन्याय कब तक चलेगा। सभापति जी, मैं आपको पंच मानता हूं और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपा करके इस बात की जानकारी ली जाए। जबकि नेशनल रुरल हैल्थ मिशन की संचालन समिति ने पारित किया है कि उन्हें बढ़ाकर भत्ता मिलना चाहिए, फिर वित्त विभाग में कौन अधिकारी हैं जिन्होंने उसे रोका हुआ है, मैं यह जानना चाहता हूं। कब तक यह अन्याय होगा, इसका नोटिस माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप तो लीजिए। यह दोहरा मापदंड सरकार में क्यों अपनाया जा रहा है और कौन अधिकारी इसमें रोड़ा अटका रहे हैं, इसकी जानकारी ली जाए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you have made your point. What is your demand finally?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अन्याय के कारण जंग होती है, आंदोलन होता है, इसलिए महोदय, इस पर विचार किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, those of you who want to associate themselves with this matter, please send your slips at the Table.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : श्री दारा सिंह चौहान, श्री धनन्जय सिंह, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती कमला देवी पटले, श्री अशोक अर्गल, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री जे.एम. आरुन रशीद, श्री विष्णु पद राय, श्री

ए.टी.नाना पाटील, श्री जगदम्बिका पाल व डा. रामचन्द्र डोम को माननीय रघुवंश प्रसाद जी के विषय के साथ एसोसिएट किया जाता है।

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Sir, I want to bring to the notice of this House and the Government, an important matter of national importance.

Presently, the tsunami disaster has affected Japan which directly which indirectly affected the nuclear power plant installations. It has damaged the nuclear installations and radiation hazards are there. Probably, this will be the second disaster in the world of its kind after Chernobyl. Thousands of people have already been affected by tsunami directly and we do not know how many people will be affected by radiation hazards.

Now our Government has also proposed nuclear power plants in different parts of our country and some nuclear power plants are already operating. We have to be very much cautious about it. One specific issue which I want to bring to the notice of the Government is that the proposed nuclear power plant with a capacity of 9900 MW at Jaitapur in Maharashtra falls in the seismic zone category-III as per the Geological Survey of India report. The past data shows that between 1985-2005 about 92 earthquake instances took place in that area.

Especially in the year 1993 there was one of the biggest earthquakes in the area which recorded 6.2 in the Richter scale. In this area the ground soil is already unstable as per the opinions of the scientists and geologists. But unfortunately, either knowing full well, or for not having gone into the full details of these scientific data, the Government has proposed installing this nuclear power station there in the coastal zone which is already in a vulnerable position both scientifically and technically. Moreover, in this backdrop of the disaster in Japan where our nuclear scientists are helplessly waiting to bring under control such a disaster though I have full faith in the ability of our nuclear scientists of our country and also I am not against nuclear power generation for civil purposes… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : So, what is your advice?

DR. RAM CHANDRA DOME : Sir, thousands of people will be affected and the livelihood of farmers and fishermen will be at stake. They are in agitation for economic reasons and also to protest against their displacement. But that agitation has been brutally attacked by the administration and police there. Hundreds of fishermen and farmers are behind the bars.

Sir, under the circumstances, my considered view and also the considered view of my Party is that this proposed nuclear power plant at Jaitapur should be scrapped immediately and simultaneously other proposed sites also should be meticulously and cautiously assessed before installing nuclear power stations in such places. Also, a proper assessment of the already installed nuclear power stations should be done so far as the safety part is concerned so that this sort of a disaster does not happen in our country. I urge upon the Government to look into these serious issues and take appropriate action and not go in for further installation of nuclear power station at Jaitapur.

MR. CHAIRMAN: Shri Saidul Haque may be allowed to associate with the matter raised by Dr. Ram Chandra Dome.

Shri Shivarama Gouda --- Absent.

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance relating to wasteful flow of Shenbagavalli River in the hilly border areas of Tamil Nadu and Kerala in the Western Ghats caused by the wall collapse to a sluice gate that has been left unattended for the past 30 years. I would like to draw the attention of this august House towards the serious damage caused to an important water resource potential in my constituency Tenkasi and left unattended for more than 30 years affecting the irrigation and drinking water availability. In the Western Ghats, atop the hills in my constituency Shenbagavalli sluice gate, as a traditional barrage like structure with a wall, was situated in between both the States of Tamil Nadu and Kerala. That wall structure for that dam-like arrangement got broken 30 years ago. It has not been repaired as yet. More than 25,000 acres of land in my constituency were dependent on that for irrigation. That watershed arrangement augmented the ground water potential there. In the absence of regular storage due to the breaking of the wall, the water availability in that hilly terrain has been seriously hit.

Sir, I would like to point out that our National Water Management Policy aims at conserving water. But to the contrary, for the past 30 years, the Government has not taken any action to immediately attend to the need of that water resource point by way of constructing a side wall. This has resulted in the wasteful flow of water from Shenbagavalli River towards the west into the Arabian Sea. In all these years, the people of my constituency have been trying to draw the attention of the Government to have the wall rebuilt again as it is situated inside Kerala. Unfortunately the Kerala Government is not at all taking any action in this regard even when a huge amount of water during rains and flash floods wastefully flow away without extending the traditional benefits enjoyed by the people on this side of the border in Tamil Nadu. Enough funds must be allocated for this purpose and Kerala Government needs to take up this job in its own

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

interest also. The painful fact is that it is only the Kerala Government that has put spokes in any positive progress to evolve a solution to this vexing problem. The Union Water Resources Ministry must come forward to ensure sharing of waters which is a national asset especially at a time when the water sharing is to be between two different States. The Union Government must take it up with the Government of Kerala to see that appropriate action is taken at the earliest. I urge upon the Centre to see that effective steps are taken to repair the Shenbagavalli sluice structure to extend the benefit to the poor people and agriculturists in the hilly terrains of my constituency. I would like to point out that I have already raised this matter in this House on an earlier occasion, but no action has been taken so far by any of the Governments, be the Centre or the Government of Kerala. We have not heard even a single word about this from both the Union Government and the Kerala Government. This kind of indifference leaving small matters will lead to discontent among the local population and may erupt as an inter-State river water dispute.

Hence I urge upon the Union Water Resource Ministry to make available funds needed to go in for reconstructing the damaged wall of that dilapidated watershed structure on the Shenbagavalli River and take up with the Government of Kerala to complete the work at their end to help solve the water problem in my constituency.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार के विश्वविद्यालयों की खराब हालत की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां एक तरफ बिहार सरकार बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा केवल शिक्षा पर खर्च कर रही है वहीं दूसरी तरफ बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। पांच विश्वविद्यालयों में अभी तक वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हुई है। दो महीने से बिहार सरकार एपाइंटमेट के लिए कह रही है लेकिन माननीय कुलाधिपति अभी तक एपाइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। इससे भी मजेदार बात यह है कि उन्होंने जयप्रकाश विश्वविद्यालय में एक ऐसे व्यक्ति को कुलपति का चार्ज दिया है जो व्यक्ति प्रोफेसर के लिए क्वालीफाई भी नहीं करता है। इनके ऊपर भोजपुरी गायिका के प्रति अभद्र व्यवहार का आरोप है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह व्यक्ति इसके लायक नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी उस वाइस चांसलर बनाया गया है। इससे भी खराब स्थिति कामेश्वर सिंह संस्कृति विश्वविद्यालय की है, वहां के कुलपति और रजिस्ट्रार, दोनों पर एफआईआर दर्ज है, दोनों फरार हैं। बिहार सरकार के कहने के बावजूद भी उन्हें हटाया नहीं गया बल्कि इन्चार्ज वाइस चांसलर को बनाया गया। मेरा निवेदन है कि माननीय कुलाधिपति को बिहार के पांचों विश्वविद्यालय में कुलपति की पोस्टिंग जितनी जल्दी हो सके, करनी चाहिए। इस तरह के जितने व्यक्ति हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज है, माननीय कुलाधिपाति को उन्हें सैक करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र जालना के संवेदनशील मुद्दे को उठाने के लिए आपने मुझे इजाजत दी। जालना से दीक्षा भूमि एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। इसका परिचालन कोलापुर और धनबाद के बीच होता है। जालना एक औद्योगिक नगर है तथा स्टील एवं बीज उद्योग के लिए जाना जाता है। इन दो उद्योगों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काफी संख्या में कार्यरत हैं। उपरोक्त ट्रेन के जालना में ठहराव न होने से इन लोगों को अपने घर से अन्य क्षेत्रों में जाने में काफी दिक्कत होती है। मैं स्वयं इस मुद्दे को लेकर रेल मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। जालना की जनता में इस मुद्दे पर आंदोलन हुआ है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के जालना स्टेशन ठहराव हेतु संबंधित रेलवे डिवीजन को निदेश देकर जालना के लोगों को राहत प्रदान करें।

MR. CHAIRMAN : Shri P.C. Mohan, I am not going to allow you to speak. If hon. Speaker permits you, you can speak tomorrow.

SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): My name is there.

MR. CHAIRMAN: Your name is there. But according to rules, I cannot allow you to speak against the sitting Members. I cannot allow you to speak.

… (*Interruptions*)

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तराखंड के उन बी.एड. प्रशिक्षितों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो अपनी नियुक्ति संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन करने पर विवश हैं। लेकिन राज्य सरकार उन बी.एड. एवं टी.ई.टी. प्रशिक्षित बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है।

वर्ष 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा विशिष्ट बीटीसी की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशिक्षण वर्ष के आधार पर जो विज्ञप्तियां जारी की गई थीं, उन्हीं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती उत्तराखंड राज्य में की जानी चाहिए। वर्तमान राज्य सरकार के नये शासनादेश के लागू होते ही हजारों प्रशिक्षित नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड की राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वह 2006 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा तय किये गए दिशा-निर्देशों को लागू कर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करे, ताकि साठ हजार से अधिक बी.एड. प्रशिक्षित नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर न हों और सन 2006 की विशिष्ट बीटीसी प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति का लाभ इन्हें प्राप्त हो सके। राज्य के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य में अध्यापकों के खाली पदों को पूर्व के नियमों के अनुसार भरा जाए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

18.26 hrs

At this stage, Shri P.C. Mohan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: According to rules, I cannot allow you to speak against the sitting Members in the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If hon. Speaker allows you , I have nothing against you. Hon. Speaker is there inside. If you want, you can meet her.

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं, मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में आज जो स्थिति है, हो सकता है कि राजस्थान के सभी जिलों में यह स्थिति हो। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। पिछले पांच माह से उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। वे लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने जगह-जगह जिला मुख्यालयों पर धरना भी दिया है, राज्य सरकार को ज्ञापन भी दिया है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से तनख्वाह की कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है, उसके कारण उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है और वे कह रहे हैं कि प्लान की सीलिंग बढ़ नहीं सकती और उन्हें तनख्वाह मिल नहीं सकती। पिछले पांच माह से यदि उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हमारे यहां राजस्थान में आठवीं कक्षा के हाफ ईयरली एग्जाम डिस्टर्ब हो गए हैं और आगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा भी आ रही हैं जिसके डिस्टर्ब होने की संभावना है ।

मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो यहां पत्र लिखे हैं और उन्होंने जो कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप प्लान में संशोधन करके हमें पैसा भेजिये। यदि आप पैसा नहीं भेजेंगे तो हमारे टीचर्स को पैसा नहीं मिलेगा और ो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा नहीं करा पायेंगे, इससे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान में उन्हें तुरंत पैसा भेजें, जिससे टीचर्स को पैसा मिले और उन्होंने जो धरना दे रखा है, वह समाप्त हो। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri Lal Singh, you are speaking from the Minister's seat.

… (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी परमीशन से दूसरी जगह से बोल रहा हूं। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी स्टेट जम्मू कश्मीर में वैष्णोंदेवी माता का पवित्र स्थान है जहां हर साल 31 मार्च को टैंडर होता है। माता के दर्शन करने के लिये लोग पिट्ठू, पालकी और पौंणी पर बैठकर जाते हैं। वहां 25 हजार मजदूर काम करते हैं। इन्हें गरीब लोग कहा जाता है। उन लेबर्स पर 12 परसेंट लेबर टैक्स लगता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार को हर साल 8 करोड़ रुपया आता है। आप ऐसा सैकुलरिज्म कहीं नहीं देखेंगे जैसा वहां है। 70 परसेंट मुस्लिम बकरवाल लोग यात्रा कराते हैं और यह टैक्स 12 परसेंट है जो 31 मार्च को टैंडर निकाला जाता है। यह माफिया और गुंडे ले जाते हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि यह टैक्स माफ किया जाये, वहां किसी किस्म का टैंडर न हो। एक बात और कहना चाहता हूं कि ये लेबर लोग यात्रियों को ऊपर उठाकर ले जाते हैं तो उनके रहने के लिये बारिश, बर्फ में रहने के लिये कोई इंतजाम नहीं है। ये लोग खाना होटलों में इसलिये नहीं खा सकते क्योंकि इनके कपड़े अलाऊ नहीं करते हैं। मेरी विनती है कि सरकार इस मामले में इंटरवीन करे। मजदूरों की खून पसीने की कमाई की जेब से 8 करोड़ रुपया निकालना कोई नेक काम नहीं है।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Mr. Chairman, Sir I would request the Government to give necessary direction to various State Governments to strictly adhere to the Right to Education Act. I regret to state here that many unaided schools in the country frequently violate the provisions of the Act. As per report, the hon. High Court of Delhi has served notice to nine unaided schools in Delhi regarding the violation of the RTE Act. Similar incidents are occurring in various parts of the country.

Such incidents raise serious concerns over the success of the Right to Education Act in its letter and spirit. The Act is one of the golden feathers in the UPA Government underlines the imperativeness to ensure each and every child's right to education irrespective of his or her social and economic condition. The Act was passed in according with the ground realities in our country. However, its success depends on its strict adherence.

Therefore, I would request the Government to give necessary direction to various State Governments to strictly adhere to the Right to Education Act.

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे करोड़ों लोगों की भावनायें जुड़ी हुई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र मथुरा में ब्रज क्षेत्र है। यमुना नदी से लोगों की भावना जुड़ी हुई है। चतुर्वेद समाज इस नदी को पूजता है। विशेष आयोजन होते हैं। दुनिया के लोग आते हैं लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब भी मथुरा और आगरा के लोग नदी की ओर देखते हैं तो उन्हें बहुत ही दुख होता है क्योंकि वह नदी से नाले का स्वरूप बनकर रह गई है। करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया गया, बहुत तरह से प्रयास किये गये, अलग-अलग समय पर कोर्ट ने आदेश दिये जिनकी पालना नहीं हुई। वर्ष 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया था। मैं जानता हूं कि मथुरा प्रशासन ने उनकी एक बात को भी लागू नहीं किया है। यमुना एक्शन प्लान पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये। जो योजनायें बनीं, वे व्यावहारिक नहीं थी और न वे सार्थक सिद्ध हो पायी।

महोदय, मैं रूल 377 के तहत इस सदन में इस विषय को उठा चुका हूं और उस समय मैंने जो मांग की थी, उसके जवाब में मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा है कि आज भी स्थिति यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में औद्योगिक और घरेलू कचरा इस नदी में बिना किसी ट्रीटमेंट के चल रहा है। जापान में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और जापान सरकार से यमुना एक्शन प्लान को आर्थिक सहायता मिलती आयी है। आज एक संकट है, यमुना एक्शन प्लान के तृतीय फेज़ की चर्चा है। मैं अपनी ओर से सुझाव देना चाहता हूं कि आज आप इन नदियों के स्वरूप को देखें तो यह बहुत ही दखः का विषय है, अगर यमुना एक्शन प्लान के अगले फेज़ पर कोई अमल होता है, कोई विचार होता है तो उसमें स्थानीय लोगों की, विशेषज्ञों की राय हमें जरूर लेनी चाहिए।

महोदय, आज संगम से दिल्ली तक साधु-संत समाज, बुद्धिजीवी वर्ग और सामाजिक संस्थाएं यमुना बचाओं आन्दोलन के तहत पद यात्रा कर रहे हैं। हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। आज जानकारी मिलती है कि हरियाणा के पर्यावरण मंत्री हमारे केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि यह हरियाणा की समस्या नहीं है। हरियाणा में पानी प्रदूषित नहीं हो रहा है। हरियाणा में अमोनिया लेवल नॉर्मल है, हरियाणा में ऑक्साइड लेवल नॉर्मल है। हरियाणा, दिल्ली को दोष देता है, दिल्ली, हरियाणा को दोष देता है और इसमें आम आदमी पिस रहा है, जिसकी श्रृद्धा उस नदी से जुड़ी हुई है। यह नदी कई प्रदेशों से होकर जाती है। मैं मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह गंगा नदी का एक विशेष जिक्र हमारे बजट में हुआ और एक प्राधिकरण उसके लिए बनाया गया है, एक हाई-पावर कमेटी जो लैफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली की अध्यक्षता में है, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा है कि एक प्राधिकरण बनायें जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरी नदी की

समीक्षा कर सके, जितनी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पर नजर रख सके। नगर पालिकाएं, प्रदेश सरकार की एजेंसियों की उदासीनता के कारण यह नदी दूषित हो रही है। आप इस कार्य को उन पर न छोड़ें।

MR. CHAIRMAN : Shri Dhnanjay Singh, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Gorakhnath Pandey and Shri Vijay Bahadur Singh associate with Shri Jayant Chaudhary.

*SHRI P.R. NATARAJAN (COMBATORE): Mr. Chairman, Sir, the Hindustan Photo Films unit in Ooty, the Otacamund in Tamil Nadu is an important industrial unit in the public sector manufacturing quality photo films and X-Ray films. In 1991, it had 4,500 employees on its roll. Currently, the total number of staff has shrunk to a mere 800. More than 55 per cent of its employees were drawn from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It is also to be pointed out that more than 10,000 people were getting job opportunities as indirect beneficiaries due to the functioning of this unit. Due to the globalization policy towed by this Government, this unit has been pushed to attain a sick state. I am afraid that the Union Government is adopting strategies and methods to see that this unit meets with a natural death and gets buried with a funeral by way of sending it to BIFR. In his Budget Speech, the hon. Finance Minister has stated that steps would be taken to rejuvenate this unit roping in the State Government also. Though it is said that Rs. 30 crore was allocated last year for this unit, nothing has been earmarked for 2011-12. Without fund allocation how can reconstruction and rehabilitation be done?

Hence, I urge upon the Union Government to allocate adequate funds to see that the Hindustan Photo Films unit is revived at the earliest. The employees there are continuing without any rise in pay for more than 20 years now. I humbly request the Union Government to attend to the problems of the agitated workers who have not at all been heard for long. With this I conclude. Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to raise a very important matter.

I would like to draw the attention of the House, especially the attention of the hon. Minister for Parliamentary Affairs who is present in this House today relating to a very sad incident and a very important issue that is before our country today.

Shri Niyamat Ansari, an activist monitoring the use of NREGS funds in Jharkhand was murdered after he unearthed a massive embezzlement of funds. This is, probably, the fifth NREGS-related murder for the last four years. Most of the victims are whistleblowers. In India, whistle-blowing is becoming a risky proposition. Today, the right to information is guaranteed by law but, at least, 10 RTI activists have been killed in the last two years who were trying to exercise this right.

One may state that in a horrible, tragic way the RTI activists are working and starting to hurt the corrupt.

The Government of India had, on 26th of August last year, introduced a Bill in the Lok Sabha to expand the definition of whistle blowers to cover anyone who makes a disclosure of public interest. Hitherto, it was only a public servant who could be a whistle blower. This Bill was introduced after the murder of the environmentalist Amit Jethava who had been campaigning to protect the Gujarat Gir Lion Reserve. In January, Vithal Geeta of Aurangabad was killed for exposing major irregularities in private schools in Maharashtra. In February last year, Arun Sawant was killed in Thane while Shashidhar Mishra was shot dead in Begusarai.

There is an urgent need to protect the whistle blowers and those exercising the RTI to unearth wrongdoing. That can only happen at a political level. Unless political parties put their organisational strength behind the activists, they cannot go about their task fearlessly. This may sound contradictory because locally vocal people and so-called elites are nearly always behind corrupt rackets. But since

politics abhors a vacuum, there will always be a political force opposed to the corrupt one.

Let us not forget that political empowerment emancipates and mobilisation for RTI is a means to empowerment. It is high time the Government comes out urgently with a legislative mechanism to protect the whistle blowers. I would request the Parliamentary Affairs Minister to, at least, respond to this issue because this Bill is pending. Of course, there have been exigencies because this Bill could not be placed before the House in this Session. But I would like to get an assurance from the Minister if he can respond now. If it is not possible to bring this Bill in this Session, it should be brought in the ensuing Session at least because this Bill expands the definition of whistle blowers with the result more and more people can get protection from this measure.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): अध्यक्ष महोदय, देश में कई मॉइक्रोफाइनेन्स कम्पनियां गरीबों को वित्तीय सहायता देने के नाम पर मालामाल हो रही हैं। गरीबी एक बड़ी और संगठित धन्धा बन गई है। यह मॉइक्रोफाइनेन्स कम्पनियां सिर ऊंचा करके यह भी कहती हैं कि हम गरीबों को गरीबी सेवा से ऊपर लाने में मदद कर रहे हैं जबकि गरीबों का शोषण करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रही हैं।

महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इन कम्पनियों को गरीबों से अत्यधिक ब्याज दर पर कर्ज देना न्यायोचित कैसे ठहरा रखा है, जबकि वह निर्धनतम व्यक्ति से वसूली जाती है। यह ब्याज दर 24 प्रतिशत तक होती है, जो वसूली के समय तक चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 35 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। यदि माइक्रोफाइनेन्स निचले स्तर के गरीब को ऊपर उठाने का दावा करता है तो मुझे यह आश्चर्य होता है कि अभिजात्य वर्ग के लिए इतनी ब्याज दर क्यों नहीं रखी जाती है। मै माइक्रोफाइनेन्स के 30 से 35 प्रतिशत तक ब्याज दर को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन हालात में जबकि एक किसान को फसली ऋण 7 प्रतिशत पर मिलता है, जबकि एक महिला को ऋण चुकाने के लिए 30 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता है। क्या इन माइक्रोफाइनेन्स कम्पनियों की इस अति पर रिजर्व बैंक का ध्यान नहीं है? यह लूट-खसोट हर हाल में बंद होनी चाहिए तथा इन माइक्रोफाइनेन्स कम्पनियों पर सख्त नियम लागू करना चाहिए तथा दोषी कम्पनियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। यह मेरी माँग है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री अशोक अर्गल।

श्री अशोक अर्गल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ, जो कि रेलवे से जुड़ा हुआ है।

एनडीए की सरकार में चंबल के पिछड़े क्षेत्र व बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने के लिए भिंड से उरई, राठ, हरपालपुर, महवा रेल मार्ग का निर्माण आवश्यक है। इस रेल मार्ग के सर्वे के लिए उन्होंने घोषणा की थी। रेलवे ने उसका सर्वे भी करवाया। यह 215 किलोमीटर का मार्ग है। इसका सर्वे पूरा हो गया है। वर्ष 2003 में इसका सर्वे हो चुका है परंतु इसके लिए अभी तक योजना से कोई भी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह बुंदेलखंड का पिछड़ा क्षेत्र है। इसके लिए हमारे यूपीए की तरफ से राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड की विकास की भी बात की है लेकिन इस महत्वपूर्ण परियोजना, जिसका सर्वे पूरा हो गया है, यदि इस परियोजना के लिए समय पर राशि नहीं दी जाएगी तो इसकी आज जो कॉस्ट है वह दुगुनी हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से, इस सरकार से, रेलवे से मांग करता हूं कि इस चंबल के पिछड़े क्षेत्र भिंड और बुंदेलखंड को विकास की तरफ ले जाने के लिए रेल मंत्रालय पर्याप्त राशि दे। इस परियोजना के पूरा होने से रेलवे को बहुत लाभ होगा एवं इस क्षेत्र का विकास होगा। मैं चाहता हूं कि इस परियोजना के लिए केन्द्र की सरकार शीघ्र राशि आवंटित करे। यही मेरी आपके माध्यम से मांग है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं, यदि आप चाहें तो वे इस परियोजना के बारे में कुछ बोलें, क्योंकि आठ साल हो गए हैं। माननीय बंसल जी।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। राहुल जी उस क्षेत्र में गए हैं। (.... व्यवधान)

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Thank you, Sir. I want to bring to the notice of the Government about the need of the hour to cover HIV patients by medical insurance from the Central Government's side. The HIV positive people are currently not provided insurance. This amounts to violation of the national mandate to providing stigma-free care and support services to the HIV positive.

Medical studies have revealed that timely initiation of anti-retroviral therapy can prolong their lives up to 20 years. In fact, India has the third largest number of people living with HIV. In my parliamentary constituency, Theni, downhill of Kodaikanal, Bodi Mettu and Kambam Mettu and other adjoining hill stations the presence of HIV positive patients registered in the local bodies is very large. Some NGOs with the help of the Central Government are helping them but not satisfactorily.

Therefore, I would request the Government to provide adequate medical treatment including medical insurance to the HIV patients, their children and families in my constituency.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के विषय को रखना चाहता हूं। बिहार में एक मात्र कैमूर जिला का मुख्यालय भभुआ ही रेल लाइन से वंचित है। राज्य में 38 जिले हैं तथा 37 जिला मुख्यालय रेल लाइन से जुड़े हुए हैं। भभुआ रोड से भभुआ मुंडेसरी धाम तथा भभुआ दिनारा आरा लाइन प्रस्तावित है। भू-अर्जन का कार्य भी शुरु हो चुका था। मगर रेल बजट में शामिल इस प्रस्तावित लाइन का कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा है।

सभापति जी आप आश्चर्य करेंगे कि इस लाइन का शिलान्यास भी सदन के सर्वोच्च आसन पर विराजमान माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हो चुका है। यह इलाका भी उन्हीं का है। वे यहां के प्रतिनिधि हैं और यहां से स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी जिन्हें हमलोग बड़े आदर से बाबूजी कहते थे, यहां के प्रतिनिधि रह चुके हैं।

बिहार प्रदेश का पश्चिमी भाग आरा, रोहतास, बक्सर, कैमूर कभी शाहाबाद के नाम से जाना जाता था जो आज चार खंडों में बँटकर भी सोन नहर प्रणाली से मिले पानी के चलते धान एवं गेहूँ के भारी उत्पादन के कारण औद्योगिक विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। विकास की भारी संभावना वाले इस इलाके को रेल लाइन की ज़रूरत है। कृषि उत्पादन की खपत एवं निर्यात तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक वस्तु के साथ उत्पादित माल को बाज़ार तक ले जाने के लिए देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए इस रेल लाइन की आवश्यकता महसूस कर ही इस रेल लाइन के निर्माण को स्वीकार किया गया था। मुंडेश्वरी स्थान एक विख्यात स्थल है। कैमूर की पहाड़ियों में स्थित यह पर्यटन स्थल 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कैमूर का जंगल, जहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, जहाँ उग्रवाद अपनी चरम सीमा पर जा चुका है, रेल मंत्री जी की घोषणा भी है कि ऐसे इलाकों तक रेल की लाइन को ले जाना है ताकि विकास की किरणें वहाँ तक भी पहुँचें। वर्तमान सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में बजट आबंटन की बात होते हुए भी निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ना लोगों में भारी असंतोष पैदा कर रहा है। यूपीए-1 के पूर्व रेल मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। वर्षों से प्रगति के लिए आवश्यक रेल लाइन की आशा बनाए रखना आम आदमी के लिए असंभव होता जा रहा है।

महोदय, मैं मांग करता हूँ कि आरा-दिनारा-मोहनिया-भभुआ-मुंडेश्वरी स्थान रेल लाइन का निर्माण का कार्य तत्काल शुरू कर कृषि, उद्योग एवं पर्यटन की अपार संभावना से पूर्ण इलाके की वांछित आवश्यकता को पूरा किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Prof. Saidul Haque. I think you have associated previously.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Sir, I will just take two or three minutes.

MR. CHAIRMAN: Yes, please.

SK. SAIDUL HAQUE : Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me permission to speak. The Government is going to construct 9900 MW nuclear power plant in Jaitapur in Maharashtra. People and villagers in and around the area are agitating against the proposed plant. Jaitapur falls in the Seismic Zone 3 category and data from the Geological Survey of India shows that between 1985 and 2003, there were 92 earthquakes there. The biggest earthquake in Jaitapur was recorded in 1993 measuring 6.2 on the Richter scale. The unrecorded earthquake took place two years ago. The geologists tell that the ground is unstable. In the face of Japan earthquake and its effects on the Nuclear Power Plant, our hon. Prime Minister has told that they are taking every measure for safeguard. But there is no guarantee that the Government's safeguard will protect the people and ecologically sensitive Konkan Coast from a nuclear disaster if another earthquake happens there. Environmentalists tell that the third explosion at the Fokushima Plant in Japan confirms that in the event of an earthquake, precautionary measures and safeguards will not avert a disaster. So it is better not to have a nuclear power plant in this seismic zone at Jaitapur in Maharashtra. The Government should accept the people's demand not to have a power plant there and also in other places which pose a danger to the people at large. Thank you, Sir.

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): Mr. Chairman, Sir, the State of Orissa encountered a consecutive second year drought in 2010 owing to inadequate and uneven pattern of rainfall in the months of June, July and August which is very crucial for Kharif crops. The State Government has declared 10,991 villages of 117 blocks and 104 wards of 14 Urban Local Bodies in 17 Districts as drought affected having sustained crop loss of 50 per cent and above during Kharif

2010 on the basis of estimated reports. The number of drought affected villages may go up after receipt of crop cutting experiment reports.

The State Government has submitted a detailed memorandum to the Ministry of Agriculture on 13th November, 2010 seeking Central assistance of Rs. 1589.19 crore which includes outstanding release of Rs. 401.13 crore on account of floods in 2008.

In response to the Memorandum, an Inter-Ministerial Central Team deputed by the Government of India visited the affected areas during 22nd to 26th November, 2010.

It is understood that the report of the Central Team has already been considered by the Inter-Ministerial Group (IMG) headed by the Secretary, Ministry of Agriculture in the meeting held on 20th December, 2010 and the recommendation of the IMG to provide the Central Assistance has been communicated to the concerned Ministries.

However, the High Level Committee, which will take a final view on the matter, has not yet been convened and no Central Assistance has been released so far. The State is, therefore, facing resource problem for financing the expenditure on different drought relief measures.

It is a matter of great regret that when funds have been released out of the National Disaster Response Fund (NDRF) to other States in various occasions without the visit of the Central Team, the Government of India has not released any funds for Orissa in spite of the recommendation of the IMG. Hence, I would urge upon the Government of India to be sympathetic to the people of Orissa and release funds as asked by the Government of Orissa.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान-निकोबार में महात्मा गांधी नरेगा स्कीम की मजदूरी पर झगड़ा शुरू हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 अक्टूबर 2010 से मिनीमम मजदूरी 156 रूपए से बढ़ाकर 190 रूपए कर दी गई थी, साथ में वैरीएबल डीए, जो दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों में दिया गया था। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जो लोग प्राइवेट सैक्टर में काम

करते हैं या खेत, रोड़ और सिविल काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं। सभी के लिए एक ही वेजीज़ है, 190 रूपए प्रति दिन। 1 अक्टूबर, 2010 से साथ में वेरिएबल डीए साल मे दो बार। यही पेमेंट किसान के खेत में काम करने वाले मजदूर और अन्य मजदूर को मिलता है। इसी मुताबिक अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में सौ दिन काम करने वाले को 190 रूपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी गई। लेकिन अचानक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उस मजदूरी को रिवाइज़ करके 170 रूपए कर दिया। पहले हमें 190 रूपए मिलता था, लेकिन बाद में घटाकर 170 रूपए कर दिया, मतलब 20 रूपए प्रति दिन कम कर दी। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भारत के आखिरी हिस्से में स्थित है और महात्मा गांधी जी बोलते थे कि जो दूर खड़ा है, उसे देखो, चिंतन करके मजदूरी दो। भारत सरकार ने मिनिमम वेजिज़ रिवाइज़ कर दी और इस रिवीज़न में अंडमान-निकोबार को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। असम में मिनिमम वेजिज़ 87 रूपए थी और उसे बढ़ाकर 130 कर दिया गया, कुल बढ़ोतरी 43 रूपए की हुई। पश्चिम बंगाल में 96 से बढ़ाकर 130 रूपए कर दिया गया, बढ़ोतरी हुई 24 रूपए। अरूणाचल में 80 रूपए से बढ़ाकर 118 रूपए कर दिया गया, बढ़ोतरी 38 रुपए बढ़े और हमारे केवल 14 रुपए बढ़े। पहले 190 रुपए मिलते थे, लेकिन अब घटाकर 170 रुपए कर दिए गए हैं।

मैं मांग करता हूं कि अंडमान में सरकार जो मिनिमम वेज दे रही है, सबको बराबर 190 रुपए दिए जाएं। सौ दिन रोजगार देने की बात कही जा रही है। अंडमान में किसी को दस दिन, किसी को बारह दिन और किसी को आज तक काम मिला ही नहीं है। काम नहीं मिलता है, तो सरकार ने जो वायदा किया था, उन्हें कम से कम पेमेंट तो मिलनी ही चाहिए। उसके बाद जो जेई, एई, ग्राम सेवक या सेविका काम करा रहे हैं, उनके पास न व्हीकल्स है, न टीए है, न डीए है, काम हाई स्कील्स जॉब है और तनख्वाह मामूली है। उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और जीने लायक तनख्वाह दी जाए। वे तभी सही ढंग से काम कर सकेंगे।

महोदय, महात्मा गांधी योजना में हमारी आखिरी मांग है कि अंडमान में फारेस्ट एनक्रोचमेंट में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी मनरेगा स्कीम शुरू की जाए। सरकार तुरंत अंडमान को ध्यान में रखते हुए जो मिनिमम वेजिज एक्ट बनाया है, उसे पूरी तरह से लागू किया जाए, मतलब कम से कम 190 रूपए प्रति दिन दिया जाए।

19.00 hrs.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दामोदर घाटी निगम में ठेका मजदूरों, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने और कनिष्ठ लिपिक सह टंकक 2010/डी-2 की परीक्षा में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि दामोदर घाटी निगम में करीब 20-25 वर्षों से 1300 स्थाई प्रकृति के अस्थाई श्रमिक कार्यरत हैं, जिनको प्रबंधन द्वारा सूचीबद्ध किया गया है और न्यूनतम मजदूरी के अलावा अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, परन्तु उनकी सेवाओं को स्थाई श्रमिक के रूप में नियमित नहीं किया गया है। कॉंट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के तहत ऐसे श्रमिकों की सेवाओं को ठेका मजदूर के रूप में कार्य कराने के विरूद्ध है। उक्त नियम के अनुपालन के कारण राज्य सरकार ने श्रम विभाग द्वारा ऐसी ठेका प्रथा से काम न कराने के लिए निर्देश जारी किया। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा इस प्रकार से ठेका प्रथा से काम कराना उचित नहीं है। ऐसे मजदूरों को स्थाई कर्मचारी के रूप में नियमित करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि डीवीसी में मृत कर्मचारियों के 500 आश्रितों को नियुक्ति देने का मामला लगभग 12 वर्ष से लम्बित है। इनको पांच लाख रुपए मुआवजा देने की नीति बनाई गई, जब कि ऐसे आश्रितों को नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि डीवीसी में कई वर्षों से ग्रुप सी और डी की कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि कि वर्तमान में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराया जा रहा है, वैसी स्थिति में ऐसे मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति उनके द्वारा कराई जाए। अभी हाल में डीवीसी में जूनियर क्लर्क सह टंकक, 2010 की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में टाइपिंग की गति परीक्षा में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। निजी लाभ के लिए अयोग्य परीक्षार्थियों को योग्य करार दिया गया।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि अविलम्ब इसे रद्द करके सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि दीया खामोश है, परन्तु दिल किसी का तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम पड़ती है। बिहार अंधेरे में है, वह अंधेरे का चितकार है। वह बिहार, जो आजादी और शहादत की मां, जहां दसवें सिक्ख गुरू की

जन्मस्थली है, दुनिया के जनतंत्र की दीपशिखा अंधेरे में है। बिहार के बंटवारे के बाद वहां के जो थर्मल पावर स्टेशंस, कोयला खदान थे, वे झारखंड में रह गए। आज बिहार को सेंट्रल पुल से जो 1500 मेगावाट बिजली प्राप्त होनी है, उसकी कटौती कर दी गई है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि अस्पताल बंद हैं, रेलगाड़ियों का चलना दुभर हो रहा है। इतना ही नहीं, हमें कोल लिंकेज भी नहीं दिया जा रहा है। हमें प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग भी नहीं करने दिया जा रहा है। हमें गंगा नदी के जल का उपयोग कहल गांव युनिट के लिए नहीं करने दिया जा रहा है। बिहार प्रताड़ित एवं दंडित है। हम किसी के ऊपर दोषारोपण करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से सदन के सामने वर्तमान सरकार से कहना चाहते हैं कि ये मंत्रियों के समूह की एक बैठक बुलाएं, जो बिहार की समस्याओं पर विचार करें।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि कहां तो तेथा, चिरागां हरेक घर के लिए, कहां चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए, यहां दरखतों के छाए में धूप लगती है, चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए। नमस्कार।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति जी, पूरे देश में जो छावनी परिषद हैं, उनमें से आम आदमी को आने-जाने के लिए, नागरिकों को आने-जाने के लिए रास्ता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वाराणसी जनपद के वाराणसी छावनी क्षेत्र के अंदर करियप्पा मार्ग से आम नागरिकों के सामान्य रूप से आने-जाने पर आंशिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। उस मार्ग से बड़ी गाड़ियों से लोग नहीं आ-जा सकते हैं। लाखों नागरिक प्रति दिन उस रास्ते का उपयोग कर के जिला मुख्यालय जाते और आते हैं, लेकिन सेना के अधिकारियों के कुछ गलत निर्णय के कारण वहां के नागरिकों को प्रताड़ित और उत्पीड़ित किया जाता है।

महोदय, अगर कोई व्यक्ति साइकिल से जाता है और करियप्पा मार्ग के गेट पर कोई साइकिल पर चढ़कर निकले, तो वहां के सेना के अधिकारी या कर्मचारी उस व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं और उन्हें साइकिल से उतार कर के और साइकिल उठाकर जाने के लिए मजबूर करते हैं। उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति अपनी सवारी गाड़ियों से, फिर चाहे वह साइकिल हो या मोटर साइकिल हो, उससे सीधे चढ़कर उस गेट से नहीं निकल सकता है, जबकि देश के अन्य भागों में जो छावनी परिषद हैं, चाहे वह लखनऊ की छावनी परिषद हो या पटना की छावनी परिषद् हो, उससे चार पहिए वाली गाड़ियां आती और जाती हैं, लेकिन बनारस में करियप्पा मार्ग को आंशिक रूप से बन्द करने से बनारस के लाखों नागरिकों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है।

महोदय, वाराणसी, देश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है। उसका देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मैं, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस देश से अंग्रेज तो देश से चले

गए, लेकिन उनके बनाए कानून आज भी देश में जिस प्रकार से चल रहे हैं और उन कानूनों के आधार पर जिस प्रकार से सेना के अधिकारी और कर्मचारी आम नागरिकों का उत्पीड़न करते हैं, वह एक गम्भीर मामला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सेना की बाउंड्री से सटा हुआ फुलवरिया गांव से होता हुआ एक संकरा रास्ता है। सेना की उस बाउंड्री को यदि थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए या हटा दिया जाए, तो करियप्पा मार्ग से न जाकर आम जनता उसके बगल से भी आ जा सकती है। फिर वह रास्ता भी उसी करियप्पा मार्ग से जाकर मिलता है। इस प्रकार से लाखों लोगों के सामने प्रति दिन जो गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका समाधान हो जाएगा।

महोदय, बीमारी आदि के समय, बीमार बच्चों को ले जाने और बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने में बहुत परेशानी होती है। जो माताएं और बहनें साइकिलों से जाती हैं, उन्हें उस गेट पर उतर कर के उन्हें जाना-आना पड़ता है। वे अपने ही देश में एक तरह से गुलामी महसूस करती हैं। पांच मिनट के लिए अथवा एक सैकिंड के लिए ही सही, लेकिन वे गुलामी तो महसूस करती ही हैं। यह गम्भीर लोक महत्व का मामला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और रक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर करियप्पा मार्ग को पूर्ण रूप से आम जनता के लिए खोलें, जिस प्रकार से वह पहले जी.टी. रोड के रूप में प्रयुक्त होता रहा था जैसे पहले आम जनता के लिए आने-जाने के लिए खुला रहता था, वैसे ही खोलने का काम करें। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow, the 17th March, 2011 at 11 a.m.

19.08 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 17, 2011/Phalguna 26, 1932 (Saka).